विषय - सूची

भाग - क .....
जोखिम प्रबंधन .....
खंड - I .....
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I के अलावा भारत में निवासी व्यक्तियों हेतु सुविधाएं.....
खंड - II .....
भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों हेतु सुविधाएं .....
खंड - III .....
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I हेतु सुविधाएं .....
भाग - ख .....
अनिवासी बैंकों के खाते .....
भाग - ग .....
अंतर - बैंक विदेशी मुद्रा लेनदेन .....
भाग - घ .....
शामिल ऑप्शन .....
भाग - ङ .....
रिज़र्व बैंक को रिपोर्टें .....
अनुबंध I .....
अनुबंध II .....
अनुबंध III .....
अनुबंध IV .....
अनुबंध V .....
अनुबंध VI .....
अनुबंध VII .....
अनुबंध VIII .....
अनुबंध IX .....
अनुबंध X .....
अनुबंध XI .....

अनुबंध XII .....

अनुबंध XIII .....

अनुबंध XIV .....

अनुबंध XV .....

अनुबंध XVI .....

अनुबंध XVII .....

अनुबंध
XVIII .....

अनुबंध XIX .....

अनुबंध XX .....

परिशिष्ट .....

भाग - क
जोखिम प्रबंधन

खंड - I

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I के अलावा भारत में निवासी व्यक्तियों हेतु सुविधाएं

भारत में निवासी व्यक्तियों (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक के अलावा) हेतु सुविधाओं का वर्णन नीचे के पैराग्राफ 'क' तथा 'ख' में किया गया है। **पैराग्राफ 'क'** में उत्पादों एवं संबंधित उत्पादों के परिचालनात्मक दिशानिर्देश दिए गए हैं। 'क' के तहत दिए गए परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अलावा **पैराग्राफ 'ख'** में उन आम अनुदेशों को विस्तार में दिया गया है जो निवासियों (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I के अलावा) हेतु सभी उत्पादों पर लागू हैं।

क. उत्पाद एवं परिचालनात्मक दिशानिर्देश

भारत में निवासी व्यक्तियों (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक के अलावा) हेतु उत्पाद/ सुविधाओं को अग्रलिखित उप-शीर्षों के तहत विस्तार से दिया गया है:-

1. संविदागत एक्सपोज़र
2. संभाव्य एक्सपोज़र
3. विशेष प्रबंध

1. संविदागत एक्सपोज़र

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों को अतर्निहित दस्तावेज सबूती रखने होंगे ताकि अंतर्निहित विदेशी करेंसी एक्सपोज़र के अस्तित्व को स्पष्टत: स्थापित किया जा सके। दस्तावेजी सबूतों के सत्यापन के माध्यम से प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक अंतर्निहित जोखिम की वास्तविकता से संतुष्ट हों चाहे भले ही ये चालू या पूंजी खाता लेनदेन हो। समुचित अधिप्रमाणन के तहत मूल दस्तावेज पर संविदा के पूरे विवरण मार्क किए जाएं एवं इन्हें सत्यापन हेतु रखा जाए। तथापि, यदि मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना संभव न हो तो उपयोगकर्ता के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित मूल दस्तावजों की प्रति प्राप्त की जाए। दोनों ही मामलों में संविदा प्रस्तावित करने से पूर्व प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक को अपने ग्राहक से एक वचनपत्र के साथ-साथ सांविधिक लेखा-परीक्षक का प्रमाणपत्र भी हासिल करना चाहिए {ब्योरे के लिए सामान्य अनुदेश का पैरा क (अ) देखें}। लॉजिस्टिक मसलों के मद्देनज़र, संविदा की बुकिंग के समय अंतर्निहित (अंडरलाइंग) के ब्योरे रिकॉर्ड किए जाएं एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम 15 दिन की अनुमति दी जाए। यदि ग्रहक 15 दिन के

अंदर दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाए तो संविदा निरस्त कर दी जाए एवं यदि कुछ विनिमय लाभ हुआ हो तो इसे ग्राहक को न दिया जाए। यदि ग्राहक किसी एक वित्त वर्ष में तीन बार 15 दिन के अंदर दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाए तो भविष्य में अनुमत व्युत्पन्न संविदा की बुकिंग की अनुमति केवल तभी दी जाए जब संविदा बुकिंग के समय अंतर्निहित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं।

इस सुविधा के तहत उपलब्ध उत्पाद इस प्रकार हैं:-

i) वायदा विदेशी विनिमय संविदाएं

सहभागी

बाजार-सृजक - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक

उपयोगकर्ता - भारत में निवासी व्यक्ति

उद्देश्य

क) फेमा, 1999 या इसके तहत बनाए गए या जारी किए गए नियमों/ विनियमों/ निदेशों/ आदेशों के तहत विदेशी मुद्रा की बिक्री एवं/ या खरीद संबंधी लेनदेन हेतु विनिमय दर जोखिम के प्रति बचाव हेतु।

ख) समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश (ईक्विटी एवं ऋण) के बाजार मूल्य के संबंध में विनिमय दर जोखिम के बचाव हेतु।

i. समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) वाली संविदाएं कैंसिल हो सकती हैं या देय तारीख तक विस्तारित की जा सकती हैं। यदि ओडीआई के बाजार मूल्य के संक्षेपण (मूल्य के उतार-चढ़ाव/ हानि के कारण) के कारण कोई बचाव अरक्षित हो जाए ग्राहक के इच्छा व्यक्त करने पर बचाव को परिपक्वता तक बने रहने की अनुमति दी जाए। देय तिथि में विस्तार की अनुमति उस तारीख के बाजार मूल्य तक होगी।

ग) आयात पर देय सीमा-शुल्क के संबंध में निर्यातकों के आर्थिक (करेंसी सूचकांकित) जोखिम बचाव सहित विदेशी करेंसी में मूल्यवर्गित पर भारतीय रुपए (आईएनआर) निपटाए गए लेनदेनों की विनिमय दर जोखिम के बचाव हेतु।

i. वायदा विदशी मुद्रा संविदा में शामिल ऐसे सभी लेनदेन परिपक्वता पर नकदी में निपटाए जाएंगे।

ii. ये संविदाएं एक बार निरस्त होने पर दोबारा बुक नहीं की जा सकती हैं।

iii. वायदा संविदा की तारीख के बाद यदि सरकारी अधिसूचना के कारण सीमा-शुल्क की दर (दरों) में कोई परिवर्तन होता है तो आयातक को परिपक्वता से पहले संविदा को निरस्त करने और/ या पुन: बुक करने की अनुमति दी जाए।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

वायदा विदेशी विनिमय संविदा हेतु इन आम सिद्धांतों का पालन किया जाए:-

क) बचाव की परिपक्वता अंतर्निहित लेनदेन की परिपक्वता से अधिक नहीं होनी चाहिए। उक्त प्रतिबंधों के अधीनकरेंसी का बचाव एवं परिपक्वता काल ग्राहकों पर छोड़ देना चाहिए। जहां कहीं करेंसी का बचाव करेंसी के अंतर्निहित जोखिम से भिन्न हो वहां निदेशक मंडल के अनुमदन से कॉरपोरेट की जोखिम प्रबंधन नीति के तहत ऐसे बचाव की अनुमति होनी चाहिए।

ख) जिन मामलों में अंतर्निहित लेनदेन की सटीक राशि का पता न लगाया जा सके तो समुचित नुमान के आधार संविदा बुक की जाए। तथापि, अनुमानों की आवधिक समीक्षा की जाए।

ग) विदेशी करेंसी ऋण/ बॉंड बचाव हेतु केवल तभी पात्र होंगें जब अंतिम रूप में रिज़र्व बैंक अनुमति दे दे, ऐसा उन मामलों में किया जाए जिनमें अनुमोदन आवश्यक हो या रिज़र्व बैंक द्वारा ऋण पंजीकरण संख्या आबंटित की जाती हो।

घ) वैश्विक निक्षेपागार रसीद (जीडीआर)/ अमेरिकन निक्षापागार रसीद (एडीआर) बचाव के लिए तभी पात्र होंगी जब निर्गम मूल्य को अंतिम रूप दे दिया जाए।

ङ) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता (ईईएफसी) में शेष राशि खाता धारक द्वारा बिक्री को सुपुर्दगी हु चिन्हित रखा जाएगा एवं ऐसी संविदाओं को निरस्त नहीं किया जाएगा। तथापि, ये परिपक्वता पर विस्तारण हेतु पात्र होंगी।

च) जिन संविदागत जोखिमों में वायदा संविदा में सभी चालू खाता लेनदेन के साथ-साथ एक वर्ष से या इससे कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाले सभी पूंजीगत खाता लेनदेन के मामले में शामिल करेंसियों में यदि एक करेंसी रुपया हो तो इन्हें मुक्त रूप में निरस्त किया जा सकता है एवं पुन: बुक किया जा सकता है।

छ) जिन वायदा संविदाओं में शामिल करेंसियों में से एक करेंसी रुपया हो तो समस्त बचाव लेनदेनों के मामले में निवासियों द्वारा की गई बुकिंग यदि एक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक से निरस्त की गई है तो इसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक से पुन: बुक किया जा सकता है:-

i) अंतरण प्रस्तावित प्रतिस्पर्धी दर के कारण हुआ हो, जिस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक से संविदा की गई है उससे बैंकिंग संबंध निरस्त कर दिया गया हो;

ii) निरस्तीकरण एवं पुन: बुकिंग संविदा की परिपक्वता की तारीख पर एक साथ की जाए; एवं

iii) मूल संविदा निरस्त करना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक की होगी जिसने संविदा की पुन: बुकिंग की हो।

ज) निम्नलिखित शर्त (झ) के अधीन वायदा संविदा को निरस्त एवं पुन: बुक किया जा सकता है।

(i) पुन: बुकिंग की सुविधा तब तक प्रदान न की जाए जब तक कि अनुबंध V में कॉरपोरेट जोखिम के बारे में निर्धारित सूचना प्रस्तुत न करे।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक बचाव व्यापार लेनदेन हेतु संविदा के प्रतिस्थापन की अनुमति दे सकता है पर इसके लिए वह इस तथ्य से संतुष्ट हो कि परिस्थतियों के तहत ऐसा प्रतिस्थापन आवश्यक था। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अंतर्निहित प्रतिस्थापन की राशि एवं परिपक्वता काल का भी सत्यापन करे।

ii) क्रॉस करेंसी आप्शन (जिसमें रुपया शामिल न हो)

सहभागी

बाजार-सृजक - रिज़र्व बैंक द्वारा इसके लिए अनुमोदित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक।

उपयोगकर्ता - भारत में निवासी व्यक्ति।

उद्देश्य

क) व्यापार लेनदेन से उत्पन्न विनिमय दर जोखिम को बचाव प्रदान करना।

ख) विदेशी मुद्रा में निविदा बोली के प्रस्तुत करने के कारण उत्पन्न आकस्मिक विदेशी मुद्रा को बचाव प्रदान करना।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

क) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक केवल बिल्कुल सादा (प्लेन वनीला) यूरोपीयन ऑप्शन[1] प्रस्तावित कर सकते हैं।

ख) ग्राहक मांग या विक्रय ऑप्शन खरीद सकते हैं।

ग) अंतर्निहित के सत्यापन के अधीन इन लेनदेनों को मुक्त रूप से खरीदा जा सकता है और/ या निरस्त किया जा सकता है।

घ) क्रॉस करेंसी फारवर्ड संविदा पर लागू सभी दिशानिर्देश क्रॉस करेंसी ऑप्शन संविदा पर लागू हैं

ङ) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक परस्पर (बैक - टू - बैक) आधार पर पूर्णत: कवर क्रॉस करेंसी ऑप्शन को लिखित कर सकते हैं। भारत से बाहर स्थित बैंक, विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित ऑफ-शोर बैंकिंग यूनिट या अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यताप्राप्त ऑप्शन एक्सचेंज या भारत में कोई अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इन कवर लेनदेनों को कर सकते हैं। ऑप्शन लिखने के इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस कारोबार को करने से पूर्व प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 11वीं मंजिल, मुंबई 400 001 से एक-बारगी अनुमोदन हासिल करना होगा।

---

[1]यूरोपियन केवल ऑप्शन का चयन तारीख की समाप्ति पर ही किया जा सकता है अर्थात किसी देय समय पर एकल पूर्व-परिभाषित।

iii) विदेशी करेंसी - भारतीय रुपया ऑप्शन

सहभागी

बाजार-सृजक - रिज़र्व बैंक द्वारा इसके लिए अनुमोदित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक।

उपयोगकर्ता – भारत में निवासी व्यक्ति।

उद्देश्य

क) समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 25/ 2000 - आरबी की अनुसूची के अनुसार विदेशी करेंसी जोखिम के प्रति बचाव प्रदान करना।

ख) विदेशी मुद्रा में निविदा बोली के प्रस्तुत करने के कारण उत्पन्न आकस्मिक विदेशी मुद्रा को बचाव प्रदान करना।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

क) न्यूनतम 9 प्रतिशत सीआरएआर वाली प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक बैक-टू-बैक आधार पर विदेशी मुद्रा - भारतीय रुपया ऑप्शन प्रस्तावित कर सकते हैं।

ख) वर्तमान में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक केवल बिल्कुल सादा यूरोपियन ऑप्शन प्रस्तावित कर सकते हैं।

ग) ग्राहक मांग या विक्रय ऑप्शन खरीद सकते हैं।

घ) विदेशी करेंसी - भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा वायदा संविदा पर लागू सभी दिशानिर्देश विदेशी करेंसी - भारतीय रुपया ऑप्शन संविदा पर भी लागू होंगे।

ङ) शर्तों के अधीन, रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन लेकर ऐसे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को विदेशी मुद्रा - भारतीय रुपया ऑप्शन रन करने की अनुमति है जिनके पास आंतरिक नियंत्रण, जोखिम निगरानी/ प्रबंधन प्रणाली, प्रतिभूतियों का दैनिक बाजार मूल्य आदि के पर्याप्त प्रबंध हों। विदेशी करेंसी - भारतीय रुपया ऑप्शन बुक करने का कारोबार करने के इच्छुक एवं नीचे दिए गए न्यूनतम पात्रता मानकों को पूरा करने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को रिज़र्व बैंक के पास आवेदन करना होगा, इस आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी (निदेशक मंडल/ जोखिम समिति/ एल्को) का अनुमोदन, इस संबंध में विस्तृत ज्ञापन, ऑप्शन लेखन के स्वरूप एवं अनुमत सीमा के बारे में निदेशक मंडल का निर्दिष्ट अनुमोदन होना चाहिए। निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए जाने वाले ज्ञापन में अन्य मामलों के साथ-साथ गिरावट जोखिम के बारे में भी उल्लेख होना चाहिए:-

न्यूनतम पात्रता मानक:-

i. निवल मालियत रु. 300 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए।

ii. 10 प्रतिशत सीआरएआर

iii. निवल एनपीए निवल अग्रिम के 3 प्रतिशत से अधिक न हो

iv. पिछले कम-से-कम तीन वर्ष में लगातार लाभ हुआ होना चाहिए

रिज़र्व बैंक आवेदन पर विचार करेगा एवं अपने विवेक पर एक-बारगी अनुमोदन प्रदान करेगा। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों से अपेक्षित है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन सीमा के तहत अपने ऑप्शन पोर्टफोलियो का प्रबंधन करें।

च) प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपना ऑप्शन प्रीमियम का उद्धरण रुपए में दें या रुपया/ विदेशी करेंसी आनुमानिक के प्रतिशत के रूप में दें।

छ) परिपक्वता पर ऑप्शन संविदा का निपटान या तो स्पॉट आधार पर सुपुर्दगी द्वारा हो या संविदा में निर्दिष्टानुसार स्पॉट आधार पर रुपया में निवल नकदी निपटान हो। परिपक्वता से पूर्व लेनदेन के मोचन पर संविदा का नकद समायोजन इसी तरह के ऑफ-सेटिंग ऑप्शन के बाजार मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

ज) बाजार-सृजकों को अनुमति है कि वे अपने ऑप्शन पोर्टफोलियों के "डेल्टा" का बचावहाजिर एवं वायदा बाजार तक अपनी पहुंच बनाकर कर सकते हैं। अन्य "ग्रीकों" का बचाव अंतर-बैंक बाजार में ऑप्शन लेनदेन में शामिल होकर किया जा सकता है।

झ) ऑप्शन संविदा का "डेल्टा" एकदिवसीय खुली स्थिति का अंग होगा।

ञ) प्रत्येक परिपक्वता के अंत पर "डेल्टा" के समतुल्य की गणना एजीएल के लिए की जाएगी। प्रत्येक बकाया ऑप्शन संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता (जीवन) को विभिन्न परिपक्वता सीमाओं (बकेट) के तहत समूहों के उद्देश्य के आधार पर लिया जा सकता है।

ट) ऑप्शन बही चलाने वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को अनुमति है कि वे विदेशी करेंसी भारतीय रुपया आप्शन में बाजार सृजन के कारण उत्पन्न जोखिमों को कवर करने के लिए एकदम सादा क्रास – करेंसी ऑप्शन स्थिति शुरू कर सकते हैं।

ठ) बैंक दैनिक आधार पर पोर्टफोलियों की आस्तियों के बाजार मूल्य हेतु आवश्यक प्रणाली विकसित करें। फेदाई संख्या अंतर्निहित अस्थिरता अनुमान की मैट्रिक्स को दैनिक रूप से प्रदर्शित करेगा जिसे सहभागी अपने पोर्टफोलियों में आस्तियों के बाजार मूल्य हेतु उपयोग में ला सकता है।

ड) आप्शन संविदाओं का लेखा ढ़ांचा फेदाई के 29 मई 2003 के परिपत्र सं. एसपीएल-24/ एफसी-रुपी आप्शन/ 2003 के अनुसार होगा।

iv) विदेशी करेंसी – भारतीय रुपया अदला-बदली (स्वैप)

सहभागी

बाजार – सृजक – भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक। ऐसे बहुपक्षीय (एमएफआई) या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान (आईएफआई) के साथ स्वैप करने के लिए[2], जिनमें भारत सरकार शेयरधारक है वे परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तों के तहत पैरा (ठ) देखें।

उपयोगकर्ता –

i. विदेशी करेंसी देयता वाले एवं विदेशी करेंसी देयता से रुपया देयता की ओर जाने वाले विदेशी करेंसी – भारतीय रुपया अदला-बदली करने वाले निवासी।

ii. विदेशी करेंसी देयता वाले एवं विदेशी करेसी देयता से रुपया देयता की ओर जाने वाले भारतीय रुपया - विदेशी करेंसी अदला-बदली (आईएनआर - एफसीवाई) करने वाले निगमित निवासी संस्थान, बशर्ते वे कुछ न्यूनतम विवेकसम्मत अपेक्षाएं पूरी करते हों जैसे कि जोखिम प्रबंधन प्रणाली एवं प्राकृतिक बचाव या आर्थिक जोखिम। प्राकृतिक बचाव या आर्थिक जोखिम की अनुपस्थिति में, भारतीय रुपया – विदेशी मुद्रा अदला-बदली (रुपाय देयता से विदेशी मुद्रा देयता की तरफ अग्रसर होना) सूचीबद्ध कंपनियों या न्यूनतम रु. 200 करोड़ की निवल मालियत वाली गैर-सूचीबद्ध कंपनियों तक प्रतिबंधित रहनी चाहिए। इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक से अपेक्षित है कि वह अदला-बदली (स्वैप) की उपयुक्तता एवं औचित्य की जांच करे एवं कॉरपोरेट की वित्तीय सुदृढ़ता के बारे में संतुष्ट हो।

उद्देश्य:-

जिनकी दीर्घावधि विदेशी करेंसी उधारी या विदेशी करेंसी देयता में दीर्घावधि भारतीय रुपया उधारी में अंतरण हेतु थी उनके लिए विनिमय दर और/ या ब्याज दर जोखिम एक्सपोजर बचाव।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

क. ऐसा स्वैप लेनदेन नहीं किया जाएगा जिसमें रुपए या इसके समतुल्य का सीधा भुगतान शामिल हो।

ख. "दीर्घावधि एक्सपो[1]जर" से तात्पर्य ऐसे जोखिम से है जिसकी अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष या इससे अधिक हो।

ग. एक बार जब स्वैप लेनदेन निरस्त हो जाए तो फिर इसे किसी भी प्रणाली या किसी भी नाम से पुन: बुक या पुन: प्रवेश नहीं किया जा सकता है। तथापि ,एफसीवाई – भारतीय रुपया वाले स्वैप के मामले में[3] [2]यदि आधार अस्तित्व में हो तो स्वैप संविदा के निरस्त होने पर ग्राहक को नए स्वैप में पुन: प्रवेश की अनुमति दी जाए ताकि आधार का बचाव किया जा सके पर यह केवल

[2] 5 नवंबर 2015 का ए.पी. (डीआईआर सीरिज) परिपत्र सं. 28

3 एपी (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र संख्या 78 दिनांक 13 फरवरी 2015

निरस्त की गई मूल स्वैप संविदा के परिपक्वता काल की समाप्ति पर ही किया जाए। यह छूट भारतीय रुपया – एफसीवई स्वैप पर लागू नहीं हे।

घ. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक लीवरेज स्वैप ढ़ांचे को प्रस्तावित न करें। आम तौर पर लीवरेज स्वैप ढ़ांचे में यूनिटी को छोड़कर गुणक फैक्टर बैंचमार्क दर (दरों) से संबद्ध होगा जो कि ऐसे फैक्टर की अनुपलब्धता में स्थिति के बनाम भुगतान करने योग्य या प्राप्य को परिवर्तित कर सकता है।

ङ. स्वैप की आनुमानिक मूलधन राशि आधार ऋण की बकाया राशि से अधिक न हो।

च. अपनी दीर्घावधि विदेशी करेंसी उधारी के बचाव के लिए निवासी ऐसे बहुपक्षीय या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान (एमएफआई / आईएफआई) के साथ एफसीवाई – भारतीय रुपया स्वैप कर सकता है जिनमें भारत सरकार शेयरधारक है बशर्ते उक्त (क) से (च) के अलावा निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाए:-

छ. ऐसे स्वैप लेनदेन संबंधित एमएफआई / आईएफआई द्वारा भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ परस्पर आधार पर कर सकते हैं।

ज. स्वैप के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को केवल उन्हीं बहुपक्षीय वित्तीय संस्तानों (एमएफआई) या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (आईएफआई) का सामना करना होगा जिनमें भारत सरकार शेयरधारक सदस्य हो।

झ. एफसीवाई - भारतीय रुपया का परिपक्वता काल न्यूनतम तीन वर्ष का होगा।

ञ. निवासी उधारकर्ता के अपनी स्वैप बाध्यताओं को पूरा करने में चूक करने पर संबंधित एमएफआई/ आईएफआई भारत में प्रतिपक्षीय प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के प्रति अपनी तद्नुरूपी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए विदेशी करेंसी निधि लाएगी।

v) **लागत घटाने का ढ़ांचा** अर्थात क्रॉस करेंसी आप्शन लागत घटाने का ढ़ांचा एवं विदेशी करेंसी - भारतीय रुपया आप्शन लागत घटाने का ढ़ांचा।

सहभागी

बाजार - सृजक - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

उपयोगकर्ता -सूचीबद्ध कंपनियां एवं उनकी सहायक कंपनियां/ संयुक्त उपक्रम/ सहायक जिनका एक ही कोष एवं तुलन पत्र हो तथारु. 200 करोड़ की न्यूनतम मालियत वाली गैर सूचीबद्ध कंपनियां।

बशर्ते

क) प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर ऐसे सभी उत्पाद उचित मूल्यांकित हों;

ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों एवं ऐसे उत्पादों/ संविदाओं के साथ-साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के अन्य लागू दिशानिर्देश का पालन कंपनी को करना होगा जबकि प्रत्याशित हानि की पहचान एवं अप्राप्त हानियों की पहचान न की जाए।

ग) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की 2 दिसंबर 2005 की प्रेस विज्ञप्ति में निर्धारित वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण किया जाए।

घ) कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति होनी चाहिए जिसमें एक स्पष्ट खंड में लागत कम करने के ढ़ांचे के स्वरूप/स्वरूपों की अनुमति होनी चाहिए।

(नोट:- उक्त लेखा व्यवहार एएस 30/ 32 या इसके समतुल्य संक्रमण व्यवस्था अधिसूचित है।)

उद्देश्य

व्यापार लेनदेन, विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) एवं एफसीएनआर (बी) जमाराशि के प्रति घरेलू स्तर पर लिए गए विदेशी करेंसी ऋण के कारण उत्पन्न विनिमय दर जोखिम के प्रति बचाव करना।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

क) एकल आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा आप्शन लेखन की अनुमति नहीं है।

ख) उपयोगकर्ता एकसाथ एकदाम सादा यूरोपियन ऑप्शन की खरीद एवं बिक्री की ऑप्शन रणनीति को अपना सकते हैं बशर्ते प्रीमियम की कोई निवल पावती न हो।

ग) लीवरेज्ड ढ़ांचे, डिजिटल ऑप्शन, बैरियर ऑप्शन, रेंज एक्यूरल्स एवं अन्य कोई मोहक उत्पाद अनुमत नहीं हैं. ढ़ांचे के परिपक्वता काल के आधार पर जिनकी गणना की जाए ऐसे सबसे बड़े आनुमानिक ढ़ांचे के हिस्से की गणना आधार हेतु की जाए।

घ) ऑप्शन के डेल्टा को टर्म शीट पर स्पष्टत: दर्शाया जाए।

ङ) विदेशी मुद्रा कर परिचालनों की मात्रा एवं उपयोक्ता के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अनवरत लाभप्रदता, उच्च निवल मालियत, टर्नओवर आदि सरीखे अतिरिक्त सुरक्षा मानक निर्धारित कर सकते हैं।

च) बचाव की परिपक्वता आधार लेनदेन की परिपक्वता से अधिक नहीं हो सकती हे एवं इसी तथ्य के अधीन उपयोक्ता परिपक्वता काल के बचाव का चयन कर सकता है। आधार के रूप में व्यापारिक लेनदेन होने की स्थिति में ढ़ांचे का परिपक्वता काल दो वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है।

छ) एमटीएम की स्थिति के बारे में उपयोक्ताओं को आवधिक आधार पर सूचित किया जाता रहे।

vi) विदेशी मुद्रा में उधारी का बचाव, ये विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना तथा उधार देना) विनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

उत्पाद - ब्याज दर स्वैप, क्रॉस करेंसी स्वैप, कूपन स्वैप, क्रॉस करेंसी ऑप्शन, ब्याज दर कैप या कॉलर (खरीद), वायदा दर करार (एफआरए)

सहभागी

बाजार - सृजक

क) भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

ख) भारत में विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए अधिकृत भारतीय बैंक की भारत से बाहर की शाखा

ग) भारत में एसईज़ेड में ऑफशोर बैंकिंग इकाई।

उपयोगकर्ता

भारत के ऐसे निवासी जिन्होंने विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना तथा उधार देना) विनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार विदेशी मुद्रा में उधार लिया हो।

उद्देश्य

ऋण एक्सपोजर पर ब्याज दर जोखिम तथा करेंसी जोखिम का बचाव एवं ऐसे बचाव से मोचन।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

क) उक्त उत्पादों में रुपया किसी भी तरह से शामिल नहीं होना चाहिए।

ख) अंतिम आदेश संख्या दी गई हो या विदेशी करेंसी में उधार लेने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा ऋण पंजीकरण संख्या आबंटित की गई हो।

ग) उत्पाद के आनुमानिक मूलधन की राशि विदेशी करेंसी ऋण की बकाया राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

घ) उत्पाद की परिपक्वता अंतर्निहित ऋण की शेष परिपक्वता से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2) पिछले निष्पादन के आधार पर संभाव्य एक्सपोज़र

सहभागी

बाजार - सृजक - भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

उपयोगकर्ता - माल तथा सेवाओं के आयातक एवं निर्यातक

उद्देश्य

एक्सपोजर की घोषणा के आधार पर एवं पिछले तीन वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) के वास्तविक आयात/ निर्यात टर्नओवर या पिछले वर्ष का वास्तविक टर्नओवर, इनमें से जो भी अधिक हो, के आधार पर करेंसी जोखिम का बचाव करना। पिछले निष्पादन के आधार पर संभाव्य जोखिम को केवल व्यापारिक माल के साथ-साथ सेवाओं के व्यापार के संबंध में बचाव किया जा सकता है।

उत्पाद

वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं, क्रॉस करेंसी आप्शन (इनमें रुपया शामिल नहीं होगा), विदेशी मुद्रा - भारतीय रुपया आप्शन एवं लागत कम करने संबंधी ढ़ांचे {जैसा कि खंड 'ख' पैरा 'थ' 1 (v)}।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

क) लागत कम करने संबधी ढ़ांचे का प्रयोग करने की अनुमति उन्हीं कॉरपोरेट्स को होगी जिनकी न्यूनतम निवल मालियत रु. 200 करोड़ की हो तथा वार्षिक निर्यात एवं आयात टर्नओवर रु. 1000 करोड़ से अधिक न हो एवं खंड 'ख' पैरा 'थ' 1 (v) में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करते हों।

ख) चालू वित्त वर्ष (अप्रैल - मार्च) के दौरान बुक की गई संविदाएं एवं किसी भी समय बकाया संविदाएं इनसे अधिक न हों:-

i) पात्र सीमा अर्थात पिछले तीन वर्ष के वास्तविक निर्यात टर्नओवर का या पिछले वर्ष का वास्तविक निर्यात टर्नओवर, इनमें से जो निर्यात अधिक हो, का औसत।

ii)पात्र राशि का सौ प्रतिशत अर्थात पिछले तीन वर्ष के वास्तविक आयात टर्नओवर का या पिछले वर्ष का वास्तविक आयात टर्नओवर, इनमें से जो आयात अधिक हो, का औसत। जो आवेदक चालू वित्त वर्ष में पिछली सीमा के पचास प्रतिशत तक की संविदा पहले ही बुक कर चुके हों वे बढ़ी हुई सीमा के कारण उत्पन्न अंतर हेतु पात्र होंगे।

ग) उपर्युक्त पैराग्राफ (ख) (i) तथा (ख) (ii) में उल्लिखित पात्र सीमा के 75 प्रतिशत बुकिंग वे निर्यातक/ आयातक निरस्त करने के पात्र हैं जो मामला अनुसार लाभ या हानि के लिए पात्र हैं। उपर्युक्त पैराग्राफ (ख) (i) तथा (ख) (ii) में उल्लिखित पात्र सीमा के 75 प्रतिशत बेशि वालि बुक संविदाएं सुपुर्दगी योग्य

आधार पर होंगी एवं इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है। निरस्तीकरण की स्थिति में यह बात अंतर्निहित होगी कि निर्यातक/. आयातक को हानि सहनी होगी और वे लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

घ) आयात/ निर्यात लेनदेन के लिए इन सीमाओं की गणना अलग से की जाएगी।

ङ) उच्च सीमाओं की अनुमति आवेदन करने पर मामला-दर-मामला आधार पर विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय द्वारा दी जाएगी। अतिरिक्त सीमाएं अगर अनुमोदित की जाती हैं तो ये सुपुर्दगी योग्य आधार पर होंगी।

च) बिना दस्तावेजी सबूत के बुक की गई संविदाएं इस सीमा के प्रति मार्क की जाएंगी। एक बार निरस्त होने पर ये संविदाएं पुन: बुक नहीं की जा सकती हैं। विस्तार की अनुमति नहीं है।

छ) प्राधिकृत व्यापारी बैंक निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के बारे में स्व-संतुष्ट होने के बाद अपने ग्राहकों को पिछली निष्पादन सुविधा के प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं:-

i) ग्राहक से यह वचन लिया जाए कि बुक की गई सभी संविदाओं की परिपक्वता के पहले समर्थन में दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत किए जाएंगे।

ii) आयातकों एवं निर्यातकों को अनुबंध VI के अनुसार इस सुविधा के तहत अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के पास बुक राशि से संबंधित घोषणा तिमाही आधार पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को देनी चाहिए जिस पर मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) एवं कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) के हस्ताक्षर होने चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी की अनुपस्थिति में मुख्य वित्त अधिकारी के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) या मुख्य परिचालन अधिकारी (कू) सह-हस्ताक्षरी होने चाहिए।

iii) इस सुविधा के लिए पात्र होने के लिए निर्यातक ग्राहक के सकल अतिदेय बिल उनके टर्नओवर के 10 प्रतिशत से अधिक न हों।

iv) पात्र सीमा के 50 प्रतिशत से अधिक की सकल बकाया संविदाओं की अनुमति प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक दे सकते हैं पर इसके लिए वे अपने ग्राहक की वास्तविक अपेक्षा के बारे में संतुष्ट हों और इसके लिए वे अनुबंध VII के फॉर्मेट के मुताबिक निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच करें जिन पर सीएफओ एवं सीए के हस्ताक्षर हों:-

- इस आशय की घोषणा कि सुविधा का प्रयोग करते समय सभी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है; एवं
- पिछले तीन वर्ष में ग्राहक के आयात/ निर्यात टर्नओवर का प्रमाणपत्र।

कंपनी सेक्रेटरी की अनुपस्थिति में सीएफओ के सह-हस्ताक्षरी के रूप में सीईओ या सीएफओ हस्ताक्षर करेंगे।

ज) एक बार उपयोग हो जाने के बाद पिछली निष्पादन सीमाएं संविदाओं का निरस्तीकरण या परिपक्वता पर इन्हें पुन: प्रभावी न बनाया जाए।

झ) पिछली निष्पादन सीमाओं की गणना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक प्रत्येक वित्त वर्ष के आरंभ में करें। अंकेक्षित आंकड़ों (पिछले वर्ष के) की रूपरेखा कभी-कभी वित्त वर्ष के आरंभ में भी शुरू हो जाती है। तथापि, वित्त वर्ष की अंतिम तारीख के तीन महीने के अंदर विवरण प्रस्तुत न किया जाए तो तब तक यह सुविधा उपलब्ध न कराई जाए जब तक कि अंकेक्षित आंकड़े प्रस्तुत न कर दिए जाएं।

ञ) वार्षिक लेखा-परीक्षा अभ्यास के रूप में सांविधिक लेखा-परीक्षन इनकों सत्यापित करे:-

- इस सुविधा के तहत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के पास बुक राशि; एवं
- पिछले वित्त वर्ष में इस सुविधा का उपयोग करते समय सभी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है।

च) डील-पूर्व स्तर पर पिछले निष्पादन की सीमा की पुष्टि के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक समुचित प्रणाली स्थापित करें। ग्राहक की घोषणा के अलावा, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ग्राहक के साथ पिछले लेनदे, टर्नओवर आदि का भी मूल्यांकन करें।

छ) इस सुविधा के तहत घटकों को प्रदत्त सीमा एवं उनके द्वारा इनके उपयोग के बारे में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों से निर्धारित अनुबंध X में मासिक रिपोर्ट (प्रत्येक महीने के अंतिम शुक्रवार के अनुसार) प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

3. विशेष छूट

i) लघु तथा मध्यम उद्यम (एसएमई)

सहभागी

बाजार-सृजक - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

उपयोगकर्ता - लघु तथा मध्यम उद्यम (एसएमई)[4]

3

उद्देश्य

विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति एसएमई के प्रत्यक्ष एवं / या अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र से बचाव।

उत्पाद

वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं

---

[4] एसएमई ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, रिजर्व बैंक परिपत्र आरपीसीडी । पीएलएनएस । बीसी संख्या 63/06.02.31/2006-7 दिनांक 4 अप्रैल , 2007 द्वारा परिभासित ।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश:- जिन लघु तथा मध्यम उद्यमों (एसएमई) का विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति प्रत्यक्ष एवं / या अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र है उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन आधार दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के बिना ही वायदा संविदाओं को बुक करने/ निरस्त करने/ विस्तार करने की अनुमति है ताकि वे अपने एक्सपोज़र का प्रभावी ढ़ंग से प्रबंधन कर सकें:-

क) ऐसी संविदाएं उन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के माध्यम से बुक की जाएं जिनके साथ एसएमई की ऋण सुविधा हो तथा बुक की गई कुल वायदा संविदाएं इनके द्वारा विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं या इनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं या पूंजीगत व्यय हेतु ली गई ऋण सुविधा के अनुरूप होनी चाहिए।

ख) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को 2 नवंबर 2011 के पत्र डीबीओडी. नं. बीपी. बीसी. 44/ 21.04.157/2011-12 के माध्यम से जारी "व्युत्पन्न पर व्यापक दिशानिर्देश" के पैरा 8.3 के अनुसार एसएमई ग्राहकों के लिए वायदा संविदाओं के बारे में *"उपयोगकर्ता का औचित्य"* एवं *"उपयुक्तता"* हेतु समुचित सावधानी बरतनी चाहिए।

ग) इस सुविधा का उपयोग करने वाले एसएमई को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को इस संबंध में घोषणा देनी होगी कि उसने इस सुविधा का उपयोग करते हुए अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक से पहले ही कितनी राशि की वायदा संविदाएं बुक कर रखी हैं।

ii) **निवासी व्यक्ति, फर्म एवं कंपनियां**

सहभागी

बाजार - सृजक - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

उपयोगकर्ता - निवासी व्यक्ति, फर्म एवं कंपनियां

उद्देश्य

आवक एवं जावक दोनों ही तरह के वास्तविक या अनुमानित विप्रेषण के कारण उत्पन्न होने वाले अपने विदेशी मुद्रा जोखिम का बचाव करने के लिए स्व-घोषणा के आधार पर आधार दस्तावेजों को प्रस्तुत किए बिना 1,000,000 अमेरिकी डॉलर (एक मिलियन अमेरिकी डालर) तक की वायदा संविदाएं बुक की जा सकती हैं।

उत्पाद

वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं एवं एफसीवाई - भारतीय रुपया आप्शन

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

क) इस सुविधा के तहत बुक की जाने वाली संविदाएं सामान्यत: सुपुर्दगी आधार पर होती हैं, संविदाओं का निरस्तीकरण एवं पुन: बुकिंग की अनुमति है। संस्था के ट्रैक-रिकॉर्ड को देखते हुए तो संविदा की पुन: बुकिंग या निरस्तीकरण के समय यदि संबंधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक आवश्यक समझे तो आधार दस्तावेजों की मांग कर सकता है। किसी भी समय बकाया संविदाओं का आनुमानिक मूल्य 1,000,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक न हो।

ख) केवल एक वर्ष के परिपक्वता काल वाली संविदाएं ही बुक करने की अनुमति दी जाए।

ग) ऐसी संविदाएं उस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के माध्यम से बुक की जाएं जिनके साथ निवासी व्यक्ति/ फर्म/ कंपनी का बैंकिंग संबंध अनुबंध XV में दिए गए फॉर्मेट में आवेदन-सह-घोषणा के आधार पर हो। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस बात से स्व-संतुष्ट हों कि बचाव करने वाली संस्थाएं वायदा संविदाओं या एफसीवाई - भारतीय रुपया आप्शन की बुकिंग में अंतर्निहित जोखिम के स्वरूप को समझती हों एवं ऐसे ग्राहकों की वायदा संविदाओं/ एफसीवाई - भारतीय रुपया आप्शन की *"उपयोगकर्ता का औचित्य"* एवं *"उपयुक्तता"* हेतु समुचित सावधानी बरतनी चाहिए।

ख. भारतीय निवासियों द्वारा की गई काउंटर पर (ओटीसी) विदेशी मुद्रा संविदाओं हेतु सामान्य अनुदेश

ऊपर दिए गए दिशानिर्देश निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न को संचालित करती हैं वहीं काउंटर पर (ओटीसी) विदेशी मुद्रा संविदाओं पर लागू कतिपय सामान्य सिद्धांत एवं सुरक्षा हेतु विवेकसम्मत प्रतिपफल नीचे दिए गए हैं। निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न उत्पादों के लिए दिए गए दिशानिर्देशों के अतिरिक्त उपयोगकर्ता (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों से इतर भारतीय निवासी) एवं बाजार सृजकों (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक) द्वारा सामान्य अनुदेशों का पालन सावधानीपूर्वक करना चाहिए।

क) यदि सभी तरह के विदेशी व्युत्पन्न लेनदेन {सिवाय भारतीय रुपया - विदेशी करेंसी अदला-बदली के अर्थात खंड ख के पैरा ठ (1) (iv)} किए जाते हैं तो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को ग्राहक से यह घोषणा लेनी होगी कि एक्सपोज़र बचाव रहित है तथा इसे अन्य किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक से बचाव में नहीं लिया गया है। कॉरपोरेटों को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को वार्षिक आधार पर

यह प्रमाणपत्र देना होगा कि व्युत्पन्न लेनदेन प्राधिकृत हैं एवं इस बारे में उनके निदेशक मंडल (साझीदारी या स्वत्वाधिकारी फर्मों के मामले में समतुल्य फोरम) को जानकारी है।

ख) **संविदागत एक्सपोज़र** के मामले में, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को निम्नलिखित हासिल करने चाहिए:-

i) ग्राहक से इस आशय की घोषणा कि इस अतर्निहित जोखिम को किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक/ बैंकों से कवर नहीं किया गया है। यदि एक ही एक्सपोज़र का बचाव अंश में कई प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के साथ किया गया हो तो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक/ बैंकों के साथ पहले ही बुक की गई राशि का उल्लेख घोषणा में किया जाए। यह घोषणा डील पुष्टि के रूप में भी ली जा सकती है।

ii) सांविधिक लेखाकार से इस आसय का वार्षिक प्रमाणपत्र भी लेना चाहिए कि वर्ष के दौरान किसी भी समय सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के पास बकाया संविदाओं का मूल्य अंतर्निहित जोखिम मे मूल्य से अधुक नहीं होना चाहिए। तथापपि, यह पुन: दुहराया जाता हे कि ग्राहक के साथ व्युत्पन्न लेनदेन करने वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंक को ग्राहक से इस आशय की घोषणा लेनी होगी कि जिस व्युत्पन्न लेनदेन के प्रति संविदागत जोखिम बुक किया जा रहा है उसे किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी बैंक के साथ व्युत्पन्न लेनदेन हेतु प्रयोग में नहीं लाया गया है।

ग) व्युत्पन्न विदेशी मुद्रा विनिमय एक्सपोज़र के बचाव की अनुमति नहीं है। तथापि, भारतीय रुपया - विदेशी करेंसी अदला-बदली के मामले में उपयोगकर्ता आरंभ पर ही करेंसी जोखिम को कैप करने के लिए एकबारगी एकदम सादा क्रॉस करेंसी आप्शन (जिसमें रुपया शामिल न हो) में शामिल हो सकता है।

घ) व्युत्पन्न संविदा के मामले में आनुमानिक राशि किसी भी समय वास्तविक अंतर्निहित एक्सपोज़र से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, व्युत्पन्न संविदा का परिपक्वता काल अंतर्निहित एक्सपोज़र के परिपक्वता काल से अधिक नहीं होना चाहिए। संपूर्ण लेनदेन के लिए आनुमानिक गणना इसके पूरे परिपक्वता काल पर की जाए एवं बचाव किए जा रहे अंतर्निहित एक्सपोज़र को व्युत्पन्न संविदा की आनुमानिक राशि के समनुरूप होना चाहिए।

ङ) किसी समय विशेष में विशेष एक्सपोज़र/ इसके अंश के प्रति केवल एक बचाव लेनदेन बुक किया जा सकता है।

च) व्युत्पन्न लेनदेन के मीयादी पत्रक (वायदा संविदाओं के अलावा) में निम्नलिखित का अनिवार्य एवं स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए:-

i) लेनदेन का उद्देश्य जिसमें उल्लेख किया गया हो को बचाव में इस उत्पाद तथा इसके घ;कों ने ग्राहक की कैसे सहायता की है;

ii) लेनदेन के निष्पादन के वक्त चल रही हाजिर दर;

iii) विभिन्न परिस्थितियों में अधिकतम हानि/ निकृष्ट अधोगामी मात्रा।

छ) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक केवल वही उत्पाद प्रस्तावित कर सकते हैं जिनका मूल्य वे स्वतंत्र रूप से तय कर सकते हों। यह बैक-टू-बैक आधार पर प्रस्तावित किए जाने वाले उत्पादों पर भी लागू है। सभी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न उत्पादों का मूल्य-निर्धारण हर समय स्थानीय स्तर पर प्रदर्शनीय होना चाहिए।

ज) 2 नवंबर 2011 के पत्र नं. बीपी. बीसी. 44/21.04.157/2011-12 में बताए गए अनुसार बाजार-सृजक उपयोक्ताओं को व्युत्पन्न उत्पाद (वायदा संविदाओं को छोड़कर) प्रस्तावित करने से पूर्व उत्पादों की *"उपयोगकर्ता का औचित्य"* एवं *"उपयुक्तता"* के बारे में समुचित सावधानी बरतनी चाहिए।

झ) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक परिदृश्य विश्लेषण (सेनारियो एनालिसिस) को अपने उपयोगकर्ताओं के साथ साझा करना चाहिए जिसमें संभाव्य उर्ध्वगामी के साथ-साथ अधोगामी के ज़िक्र के साथ उत्पादों को प्रभावित करने वाले विभिन्न बाजार मानकों के संवेदनशीलता विश्लेषण का भी उल्लेख होना चाहिए।

ञ) 20 अप्रैल 2007 के डीबीओडी. नं. बीपी. बीसी. 86/ 21.04.157/ 2006-07 के माध्यम से व्युत्पन्नों पर जारी व्यापक दिशानिर्देशों के प्रावधान एवं समय-समय पर विदेशी व्युत्पन्न के बारे में होने वाले संशोधन लागू होंगे।

ट) 19 सितंबर 2008 के परिपत्र डीबीओडी. नं. बीपी. बीसी. 46/ 08.12.001/ 2008-09 तथा 8 दिसंबर 2008 के परिपत्र डीबीओडी. नं. बीपी. बीसी. 94/ 08.12.001/ 2008-09 के अनुसार बैंकों के मध्य व्युत्पन्नों पर सूचना साझा करना अनिवार्य है।

4. मान्यता प्राप्त स्टॉक/ नए एक्सचेंजों पर करेंसी फ्यूचर्स

भारत में व्युत्पन्न बाजार को और विकसित करने एवं निवासियों एवं अनिवासियों के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा बचाव उपकरणों के वर्तमान मैन्यू को और विस्तार देने के लिए करेंसी फ्यूचर्स संविदाओं के ट्रेड की अनुमति देश में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजो या नए एक्सचेंजों पर दी गई है। करेंसी फ्यूचर्स का बाजार भारतीय रिज़र्व बैंक एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों, दिशानिर्देशों, अनुदेशों के अधीन होगा।

भारत में करेंसी फ्यूचर्स बाजार में सहभागिता भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी तथा समय-समय पर संशोधित[5] निदेशों के अधीन की जाती है, ये निदेश करेंसी फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 {6 अगस्त 2008 की अधिसूचना सं.

एफईडी. 1/डीजी (एसजी) - 2008} (निदेश) एवं 19 जनवरी 2010 की अधिसूचना नं. एफईडी. 2/ईडी (एचआरके) - 2009 में निहित हैं।

करेंसी फ्यूचर्स निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:-

अनुमति:-

(i) करेंसी फ्यूचर्स अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) - भारतीय रुपया (आईएनआर), यूरो (ईयूआर) - भारतीय रुपया (आईएनआर), जापानी येन (जेपीवाई) - भारतीय रुपया (आईएनआर), पाएंड स्टर्लिंग (जीबीपी) - भारतीय रुपया (आईएनआर), ईयूआर - यूएसडी, जीबीपी - यूएसडी एवं यूएसडी - जेपीवाई में अनुमत है।

(ii) निम्नलिखित पैरा 6 में दी गई शर्तों के अधीन "भारत के निवासी व्यक्ति " करेंसी फ्यूचर्स संविदाओं की खरीद एवं बिक्री कर सकते हैं।

[4](iii) भाग क, खंड II, पैराग्राफ सं. 2 में उल्लिखित शर्तों के अधीन विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) को करेंसी फ्यूचर्स संविदाओं में भाग लेने की अनुमति है।

करेंसी फ्यूचर्स की विशेषताएं

मानकीकृत करेंसी फ्यूचर्स में ये विशेषताएं होती हैं:-

क. विदेशी करेंसी - भारतीय रुपया संविदाओं अर्थात यूएसडी - भारतीय रुपया, ईयूआर - भारतीय रुपया, जीबीपी - भारतीय रुपया तथा जेपीवाई - भारतीय रुपया एवं क्रॉस करेंसी सविदाओं (जिनमें भारतीय रुपया शामिल नहीं है) अर्थात ईयूआर - यूएसडी, जीबीपी - यूएसडी एवं यूएसडी - जेपीवाई को ट्रेड की अनुमति है।

ख. यूएसडी - भारतीय रुपया तथा यूएसडी - जेपीवाई संविदाओं का आकार यूएसडी 1000 होगा, ईयूआर - भारतीय रुपया तथा ईयूआर - यूएसडी संविदाओं का आकार ईयूआर 1000 होगा, जीबीपी - भारतीय रुपया तथा जीबीपी - यूएसडी संविदाओं का आकार जीबीपी 1000 होगा एवं जेपीवाई - भारतीय रुपया संविदा का आकार जेपीवाई 100,000 होगा।

ग. सभी विदेशी करेंसी - भारतीय रुपया संविदाएं भारतीय रुपया उद्धृत होंगी एवं इनका निपटान होगा। ईयूआर - यूएसडी एवं जीबीपी - यूएसडी क्रॉस करेंसी संविदाएं यूएसडी में तथा यूएसडी -

---

[5] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत जारी संशोधित निदेश 10 दिसंबर 2015 के ए.पी. (डीआईआर सीरिज) सं. 35 में निहित हैं जिससे ही ईयूआर - आईएनआर, जीबीपी - आईएनआर एवं जेपीआई - आईएनआर में क्रॉस करेंसी फ्यूचर्स एवं आप्शन तता एक्सचेंज ट्रेडिड आप्शन शुरू किए गए।

जेपीवाई संविदाएं जेपीवाई में उद्धृत होंगी। सभी क्रॉस करेंसी संविदाएं रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित तरीके से भारतीय रुपए में निपटाई जाएं।

घ. संविदाओं की परिपक्वता 12 महीने से अधिक की न हो।

ङ) यूएसडी - भारतीय रुपया का निपटान मूल्य रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर होगी एवं ईयूआर - भारतीय रुपया, जीबीपी - भारतीय रुपया तथा जेपीवाई - भारतीय रुपया संविदाओं का निपटान मूल्य अंतिम ट्रेडिंग दिवस को रिज़र्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित विनिमय दर होगी। क्रॉस करेंसी संविदाओं के भारतीय रुपए में निपटान मूल्य की गणना यूएसडी - भारतीय रुपया संदर्भ दर एवं ईयूआर - भारतीय रुपया, जीबीपी - भारतीय रुपया तथा जेएपीवाई - भारतीय रुपया हेतु यह गणना अंतिम ट्रेडिंग दिवस को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित समतुल्य विनिमय दर के आधार पर की जाएगी।

सदस्यता

(i) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के करेंसी फ्यूचर्स बाजार की सदस्यता ईक्विटी व्युत्पन्न खंड या नकदी खंड की सदस्यता से अलग होनी चाहिए। करेंसी फ्यूचर्स बाजार में ट्रेडिंग एवं समाशोधन दोनों की ही सदस्यता सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन होगी।

(ii) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10 के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा "प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक" के रूप में अधिकृत बैंकों न्यूनतम विवेकसम्मत अपेक्षाओं को पूरा करने पर अपने स्वयं के खातों एवं अपने ग्राहकों की ओर से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के करेंसी फ्यूचर्स बाजार के ट्रेडिंग एवं समाशोधन सदस्य बनने की अनुमति है।

(iii) जो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक उक्त न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते एवं जो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक शहरी सहकारी बैंक हैं या राज्य सहकारी बैंक हैं वे केवल ग्राहक के रूप में करेंसी फ्यूचर्स बाजार में भागीदारी कर सकते हैं बशर्ते इसके लिए उन्हें रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभाग से अनुमोदन प्राप्त हो।

स्थिति संबंधी सीमाएं

i. करेंसी फ्यूचर्स बाजार में विभिन्न श्रेणियों के सहभागियों हेतु स्थिति सीमाएं सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन होंगी।

ii. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक नेट ओपन पोज़ीशन (एनओपी) एवं एग्रीगेट गैप (एजी) सीमाओं जैसी विवेकसम्मत सीमाओं में परिचालन करेंगे।

जोखिम प्रबंधन उपाय

करेंसी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग न्यूनतम, अत्यधिक हानि एवं कैलेंडर स्प्रैड मार्जिन बनाए रखने के अधीन होगी एवं एक्सचेंजों के समाशोधन कॉरपोरेशन/ समाशोधन गृहों को सुनिश्चित करना चाहिए कि समय - समय पर सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर सहभागी ऐसे मार्जिन बनाए रखें।

निगरानी एवं प्रकटीकरण

करेंसी फ्यूचर्स बाजार में लेनदेनों की निगरानी एवं प्रकटीकरण सेबी द्वारा जारी दिशनिर्देशों के अनुसार की जाएगी।

करेंसी फ्यूचर्स एक्सचेंज/ समाशोधन कॉरपोरेशन

जब तक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10 (1) के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकार जब तक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों एवं इनके संबंधित समाशोधन कॉरपोरेशनों/ समाशोधन गृहों के पास न हो तब तक वे करेंसी फ्यूचर्स से संबंधित कारोबार में डील न करें या अन्यथा इस कारोबार को न करें।

5. मान्यताप्राप्त स्टॉक/ नए एक्सचेंजों पर करेंसी आप्शन

निवासियों एबं अनिवासियों को उपलब्ध एक्सचेंज ट्रेड बचाव उपकरणों के वर्तमान मेन्यू को विस्तार देने के उद्देश्य से देश में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में या नए एक्सचेंजों में एकदम सादा करेंसी आप्शन संविदाओं की ट्रेडिंग की अनुमति दी गई है। एक्सचेंज ट्रेडिड करेंसी ऑप्शन निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:-

अनुमति

(i) करेंसी आप्शन संविदाएं[6] यूएसडी - भारतीय रुपया हाजिर दर, ईयूआर - भारतीय रुपया हाजिर दर, जीबीपी - भारतीय रुपया हाजिर दर, तथा जेपीवाई - भारतीय रुपया हाजिर दर में अनुमत हैं। क्रॉस करेंसी आप्शन संविदाएं (जिनमें भारतीय रुपया शामिल नहीं है) ईयूआर - यूएसडी हाजिर दर, जीबीपी - यूएसडी हाजिर दर तथा यूएसडी - जेपीवाई हाजिर दर में अनुमत हैं।

(ii) निम्नलिखित पैराग्राफ 6 में निर्धारित शर्तों के अधीन "भारत के निवासी व्यक्ति" एक्सचेंज ट्रेडिड करेंसी आप्शन संविदाओं को खरीद और बेच सकते हैं।

(iii) भाग क, खंड II, पैराग्राफ सं. 2 में निर्धारित शर्तों के अधीन विदेशी संविभाग निवेशक (एफपीआई) एक्सचेंज ट्रेडिड करेंसी आप्शन संविदाओं में भाग ले सकते हैं।

एक्सचेंज ट्रेडिड करेंसी आप्शन की विशेषताएं

मानकीकृत एक्सचेंज ट्रेडिड करेंसी आप्शन में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं:-

i. समनुरूप अनुमत करेंसी जोड़े की हाजिर दर करेंसी आप्शन का आधार होगी।

ii. ये आप्शन प्रीमियम स्टाइल वाले यूरोपियन क्रय एवं विक्रय आप्शन होंगे।

iii. यूएसडी - भारतीय रुपया तथा यूएसडी - जेपीवाई संविदाओं का आकार यूएसडी 1000 होगा, ईयूआर - भारतीय रुपया तथा ईयूआर - यूएसडी संविदाओं का आकार ईयूआर 1000 होगा, जीबीपी - भारतीय रुपया तथा जीबीपी - यूएसडी संविदाओं का आकार जीबीपी 1000 होगा एवं जेपीवाई - भारतीय रुपया संविदा का आकार जेपीवाई 100,000 होगा।

iv. सभी संविदाओं के जिन प्रीमियम में भारतीय रुपया शामिल होगा वे भारतीय रुपए में उद्धृत होंगी। ईयूआर - यूएसडी एवं जीबीपी - यूएसडी संविदाओं के प्रीमियम यूएसडी में तथा यूएसडी - जेपीवाई संविदाएं[5] जेपीवाई में उद्धृत होंगी। क्रॉस करेंसी संविदाओं के मामले में प्रीमियम का भुगतान यूएसडी भारतीय रुपया संदर्भ दर या रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित मनुरूपी विनिमय दर से भारतीय रुपए में किया जाए। बकाया स्थिति यूएसडी - भारतीय रुपया तथा यूएसडी - जेपीवाई संविदा के लिए यूएसडी में, ईयूआर - भारतीय रुपया तथा ईयूआर - यूएसडी संविदा के मामले में यूरो में तथा जीबीपी - भारतीय रुपया एबं जीबीपी - यूएसडी संविदा के लिए जीबीपी में होनी चाहिए।

v. संविदाओं की परिपक्वता 12 महीने से अधिक की न हो।

vi. सभी संविदाएं भारतीय रुपए में नकद निपटाई जाएं।

vii. यूएसडी - भारतीय रुपया का निपटान मूल्य रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर होगी एवं ईयूआर - भारतीय रुपया, जीबीपी - भारतीय रुपया तथा जेपीवाई - भारतीय रुपया संविदाओं का निपटान मूल्य संविदा के अंतिम ट्रेडिंग दिवस को रिज़र्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित विनिमय दर होगी। क्रॉस करेंसी संविदाओं के भारतीय रुपए में निपटान मूल्य की गणना यूएसडी - भारतीय रुपया संदर्भ दर एवं ईयूआर - भारतीय रुपया, जीबीपी - भारतीय रुपया तथा जेएपीवाई - भारतीय रुपया हेतु यह गणना अंतिम ट्रेडिंग दिवस को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित समतुल्य विनिमय दर के आधार पर की जाएगी।

सदस्यता

i) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के एक्सचेंज ट्रेडिड करेंसी आप्शन बाजार में ट्रेड करने के लिए वे सभी सदस्य पात्र हैं जो करेंसी फ्यूचर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए सेबी में पंजीकृत हैं। एक्सचेंज ट्रेडिड

[6] एपी (डीआईआर श्रंखला) संख्या 35 दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 जिसमे रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन संशोधन निदेश निहित हैं ।

करेंसी आप्शन बाजार में ट्रेडिंग एवं समाशोधन दोनों की ही सदस्यता सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन होगी।

ii) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10 के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा "प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक" के रूप में अधिकृत बैंकों को अग्रलिखित न्यूनतम विवेकसम्मत अपेक्षाओं को पूरा करने पर अपने स्वयं के खातों एवं अपने ग्राहकों की ओर से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के करेंसी फ्यूचर्स बाजार के ट्रेडिंग एवं समाशोधन सदस्य बनने की अनुमति है:-

क) रु. 500 करोढ की न्यूनतम निवल मालियत।

ख) 10 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर।

ग) निवल गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) 3 प्रतिशत से अधिक न हो।

घ) पिछले 3 वर्ष में निल लाभ अर्जित किया हो।

जो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक विवेकसम्मत अपेक्षाओं को पूरा करते हों वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से एक्सचेंज ट्रेडिड करेंसी आप्शन संविदाओं की ट्रेडिंग समाशोधन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश बना सकते हैं।

iii) जो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक उक्त न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते एवं जो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक शहरी सहकारी बैंक हैं या राज्य सहकारी बैंक हैं वे केवल ग्राहक के रूप में एक्सचेंज ट्रेडिड करेंसी आप्शन बाजार में भागीदारी कर सकते हैं बशर्ते इसके लिए उन्हें रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभाग से अनुमोदन प्राप्त हो।

स्थिति संबंधी सीमाएं

i. करेंसी आप्शन में विभिन्न श्रेणियों के सहभागियों हेतु स्थिति सीमाएं सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन होंगी।

ii. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक नेट ओपन पोज़ीशन (एनओपी) एवं एग्रीगेट गैप (एजी) सीमाओं जैसी विवेकसम्मत सीमाओं में परिचालन करेंगे।

जोखिम प्रबंधन उपाय

करेंसी आप्शन की ट्रेडिंग न्यूनतम, अत्यधिक हानि एवं कैलेंडर स्प्रैड मार्जिन बनाए रखने के अधीन होगी एवं एक्सचेंजों के समाशोधन कॉरपोरेशन/ समाशोधन गृहों को सुनिश्चित करना चाहिए कि समय - समय पर सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर सहभागी ऐसे मार्जिन बनाए रखें।

निगरानी एवं प्रकटीकरण

एक्सचेंज ट्रेडिड करेंसी आप्शन बाजार में लेनदेनों की निगरानी एवं प्रकटीकरण सेबी द्वारा जारी दिशनिर्देशों के अनुसार की जाएगी।

करेंसी आप्शन में लेनदेन हेतु एक्सचेंज/ समाशोधन कॉरपोरेशन का प्राधिकरण

जब तक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10 (1) के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकार जब तक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों एवं इनके संबंधित समाशोधन कॉरपोरेशनों/ समाशोधन गृहों के पास न हो तब तक वे एक्सचेंज ट्रेडिड करेंसी आप्शन से संबंधित कारोबार में डील न करें या अन्यथा इस कारोबार को न करें।

6. एक्सचेंज ट्रेडिड करेंसी व्युत्पन्न (ईटीसीडी) में निवासियों की सहभागिता हेतु शर्तें

क. घरेलू सहभागियों को आधार एक्सपोजर के किसी भी अस्तित्व को साबित किए बिना प्रति एक्सचेंज 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) तक की यूएसडी - भारतीय रुपया जोड़ी की लांग (खरीद) के साथ-साथ शॉर्ट (बिक्री) की स्थिति बनाने की अनुमति है। इसके अलावा, घरेलू सहभागियों को ईयूआर - भारतीय रुपया, जीबीपी - भारतीय रुपया तथा जेपीवाई - भारतीय रुपया जोड़ी को मिलाकर आधार एक्सपोजर के किसी भी अस्तित्व को साबित किए बिना प्रति एक्सचेंज 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) की लांग (खरीद) के साथ-साथ शॉर्ट (बिक्री) की स्थिति बनाने की अनुमति है। निगरानी के उद्देश्य से एक्सचेंज यूएसडी से इतर करेंसी की संविदाओं के लिए सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं ताकि ये सीमाएं 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य ही रहें। एक्सचेंज इन सीमाओं पर निगरानी रखें एवं इनके उल्लंघन की स्थिति में इसकी रिपोर्ट वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को की जाए।

ख. निवासियों को क्रॉस करेंसी फ्यूचर्स एवं एक्सचेंज ट्रेडिड क्रॉस करेंसी आप्शन में आधार एक्सपोज़र को साबित किया बिना ही एक्सचेंज द्वारा निर्धारित स्थिति सीमा के अधीन स्थिति लेने की अनुमति है।

ग) जो घरेलू सहभागी ईटीसीडी बाजार में उक्त पैराग्राफ (क) में उल्लिखित सीमाओं से अधिक की स्थिति लेना चाहते हों उन्हें आधार एक्सपोज़र के अस्तित्व को साबित करना होगा। इसके लिए प्रक्रिया इस प्रकार होगी:-

i) जो सहभागी माल या सेवाओं के निर्यातक या आयातक हैं उनके लिए ईटीडीसी में समुचित बचाव स्थिति की पात्र सीमा का निर्धारण (i) पिछले तीन वर्ष के निर्यात या आयात टर्नओवर के औसत, या (ii) पिछले वर्ष के निर्यात या आयात टर्नओवर के आधार पर होगा।

ii) एक्सचेंज के ट्रेडिंग सहभागी को अपने सांविधिक लेखापरीक्षक से उक्त सीमा/ सीमाओं के बारे में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा/ होंगे, साथ ही मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के हस्ताक्षर से एक वचनपत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि बकाया ओटीसी व्युत्पन्न संविदा एवं बकाया ईटीसीडी संविदा का कुल योग, यथा स्थिति अनुसार, हमेशा वास्तविक संविदागत निर्यात या आयात के समनुरूप होगा।

iii) उक्त प्रमाणपत्र के आदार पर ट्रेडिंग सदस्य संबंधित ग्राहक की तरफ से पात्र सीमा [उक्त पैरा (i) के अनुसार] के पचास प्रतिशत तक ईटीसीडी संविदाएं बुक कर सकता है। यदि कोई सहभागी ईटिसीडी में पचास प्रतिशत की पात्र सीमा से अधिक की स्थिति लेना चाहता है तो उसे मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) या कंपनी के वित्त एवं लेखा के वरिष्ठतम अधिकारी से या कंपनी सेक्रेटरी से इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा कि बकाया ओटीसी व्युत्पन्न संविदा एवं बकाया ईटीसीडी संविदा का कुल योग पात्र सीमा के समनुरूप है। कंपनी सेक्रेटरी की अनुपस्थिति में इस वचनपत्र पर मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) या कंपनी के वित्त एवं लेखा के वरिष्ठतम अधिकारी के साथ-साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) या मुख्य परिचालन अधिकारी सह - हस्ताक्षर करें। इस वचनपत्र के आधार पर पचास प्रतिशत की सीमा से अधिक एवं उक्त पैराग्राफ (i) में उल्लिखित सीमा तक ईटीसीडी संविदाएं बुक कर सकते हैं।

iv) ऐसे अन्य सभी सहभागी जिनका चालू एवं पूंजी लेनदेन खाते के संबंध में आधार विदेशि करेंसी एक्सपोज़र है एवं उनके साथ-साथ ऐसे निर्यातक एवं आयातक जो संविदागत एक्सपोज़र के आधार पर ईटीसीडी बाजार में अपनी पहुंच बनाना चाहते हों उन्हें ट्रेडिंग सदस्य के रूप में परिचालन कर रहे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक के माध्यम से ये लेनदेन करने होंगे। ऐसे मामलों में आधार एक्सपोज़र के सत्यापन एवं ईटीसीडी खरीद/ बिक्री आधार एक्सपोज़र के अनुरूप करने तथा इसी आधार एक्सपोज़र के प्रति कोई ओटीसी संविदा बुक न करना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबधित (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक) ट्रेडिंग सदस्य की होगी।

v) उक्त पैराग्राफ (iv) में शामिल के अलावा ईटीसीडी के सभी सहभागी से अपेक्षित है कि वे छमाही आधार पर संबंधित ट्रेडिंग सदस्य को मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) या कंपनी के वित्त एवं लेखा के वरिष्ठतम अधिकारी से या कंपनी सेक्रेटरी से इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा कि बकाया ओटीसी व्युत्पन्न संविदा एवं बकाया ईटीसीडी संविदा का कुल योग पात्र सीमा के समनुरूप है। कंपनी सेक्रेटरी की अनुपस्थिति में इस वचनपत्र पर मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) या कंपनी के वित्त एवं लेखा के वरिष्ठतम अधिकारी के साथ-साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) या मुख्य परिचालन अधिकारी (कू) सह - हस्ताक्षर करें।

घ. यह नोट किया जाए कि इस परिपत्र के प्रावधानों के अनुपालन का उत्तरदायित्व सहभागी का है एवं इनके उल्लंघन पर विदेशी मुद्रा अधिनियम, 1999 और इसके तहत बनाए गए विनियम, निदेश आदि के प्रावधानों के अनुसार सहभागी दंड का पात्र होगा।

7. पण्य बचाव (हेजिंग)

आयात एवं निर्यात ट्रेड या समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अन्यथा अनुमोदित में लगे भारतीय निवासियों को अंतरराष्ट्रीय पण्य एक्सचेंज/ बाजार में अनुमत पण्यों के मूल्य जोखिम को बचाव करने की अनुमति है। इस सुविधा को किसी अन्य व्युत्पन्न उत्पाद के साथ न जोड़ा जाए। यह नोट किया जाए कि यहां प्राथमिक व्यापारी की भूमिका मुख्यत: समय-समय पर मार्जिन अपेक्षाओं हेतु विदेशी करेंसी राशि के विप्रेषण की सुविधा उपलब्ध कराना है जो कि आधार एक्सपोज़र के सत्यापन के अधीन है। समुद्रपारीय प्रतिपक्षों के साथ ग्राहकों द्वारा किए गए पण्य व्युत्पन्न के कारण उत्पन्न होने वाली भुगतान बाध्यताओं के लिए प्रत्यक्ष विप्रेषण करने के बजाए पण्य व्युत्पन्न से संबंधित इन विशिष्ट भुगतान बाध्यताओं को कवर करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक गारंटी/ स्टेंड-बाई साख पत्र जारी कर सकते हैं जो कि अनुबंध XV में निहित शर्तों/ दिशानिर्देशों के अधीन होंगी। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां कहीं भी मंडल (बोर्ड) शब्द का प्रयोग हुआ है वहां इसका अभिप्राय "निदेशक मंडल" से होगा या साझीदारी या स्वत्वाधिकारी फर्म में इसके समतुल्य से होगा। ये सुविधा इन श्रेणीयों में बांटी गई है:-

अ. प्रत्यायोजित मार्ग

क. पण्य के वास्तविक आयात/ निर्यात पर मूल्य जोखिम का बचाव

सहभागी

उपयोगकर्ता - पण्यों के आयात एवं निर्यात में लगी भारतीय कंपनियां

सुसाध्यक (फेसिलिटेटर्स) - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक

उद्देश्य - आयातित/ निर्यातित पण्य के मूल्य जोखिम का बचाव

उत्पाद - अंतरराष्ट्रीय पण्य एक्सचेंज में मानक एक्सचेंज ट्रेडिड फ्यूचर्स एवं आप्शन (केवल क्रय)। यदि जोखिम संविभाग के लिए आवश्यक हो तो समुद्रपारीय ओटीसी संविदा का उपयोग किया जा सकता है।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश

अंतरराष्ट्रीय पण्य एक्सचेंज/ बाजार में किसी भी पण्य (सोना, चांदी, पैलेडियम एवं प्लैटिनम को छोड़कर) के संबंध में आयात/ निर्यात पर मूल्य जोखिम के बचावे के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक कंपनियों को अनुमति दे सकते हैं। दिशानिर्देश अनुबंध XI (क तथा ख) में दिए गए हैं।

ख. कच्चे तेल के अनुमानित आयात का बचाव

सहभागी

उपयोगकर्ता - कच्चे तेल शोधन में लगी घरेलू कंपनियां

सुसाध्यक (फेसिलिटेटर्स) - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक

उद्देश्य - पिछले निष्पादन के आधार पर आयातित कच्चे तेल के मूल्य जोखिम का बचाव

उत्पाद - अंतरराष्ट्रीय पण्य एक्सचेंज में मानक एक्सचेंज ट्रेडिड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन (केवल क्रय)। यदि जोखिम संविभाग के लिए आवश्यक हो तो समुद्रपारीय ओटीसी संविदा का उपयोग किया जा सकता है।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश

क) पिछले वर्ष के दौरान वास्तविक आयात की मात्रा के 50 प्रतिशत तक या पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान आयातित मात्रा के औसत के 50 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, के बचाव की अनुमति।

ख) इस सुविधा के तहत बुक की गई संविदाएं बचाव की अवधि के दौरान समर्थित आयात आदेश दिखाने पर नियमित होंगी। कंपनियों से इस बारे में वचनपत्र लिया जाए।

ग) अनुबंध XI के अनुसार अन्य सभी शर्तों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।

ग) घरेलू खरीद एवं बिक्री पर मूल्य जोखिम का बचाव

चुनिन्दा धातु

सहभागी

उपयोगकर्ता - एल्युमिनियम, तांबा, सीसा, निकेल एवं जिंक के घरेलू उत्पादक/ उपयोगकर्ता जो कि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों।

सुसाध्यक (फेसिलिटेटर्स) - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक

उद्देश्य - एल्युमिनियम, तांबा, सीसा, निकेल एवं जिंक पर आधारित उनके आधार आर्थिक एक्सपोज़र पर मूल्य जोखिम का बचाव।

उत्पाद - अंतरराष्ट्रीय पण्य एक्सचेंज में मानक एक्सजेंच ट्रेडिड फ्यूचर्स एवं आप्शन (केवल क्रय)।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश

क) उक्त पण्यों की पिछले तीन वर्ष (अप्रैल से मार्च) की वास्तविक खरीद/ बिक्री के औसत या पिछले वर्ष की वास्तविक खरीद/ बिक्री के टर्नओवर , इनमें से जो भी अधिक हो, तक के बचाव की अनुमति है।

ख) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक उपयोगकर्ता से निदेशक मंडल का संकल्प प्रस्तुत करने को कहेगा जिसमें निदेशक मंडल की अनुमोदित नीतियां प्रमाणित हों जिसमें वह समग्र ढ़ांचा परिभाषित हो जिसके तहत व्युत्पन्न कार्य किए जाएं एवं जोखिम नियंत्रित किया जाए।

ग) अनुबंध XI (क तथा ख) के अनुसार अन्य सभी शर्तों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।

(ii) एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल)

सहभागी

उपयोगकर्ता - एटीएफ के वास्तविक घरेलू उपयोगकर्ता

सुसाध्यक (फेसिलिटेटर्स) - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक

उद्देश्य - घरेलू खरीद पर आधारित एटीएफ के संबंध में आर्थिक एक्सपोज़र से बचाव।

उत्पाद - अंतरराष्ट्रीय पण्य एक्सचेंज में मानक एक्सजेंच ट्रेडिड फ्यूचर्स एवं आप्शन (केवल क्रय)। यदि जोखिम संविभाग के लिए आवश्यक हो तो समुद्रपारीय ओटीसी संविदा का उपयोग किया जा सकता है।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश

क) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक सुनिश्चित करें कि एटीएफ बचाव की अनुमति केवल पक्के आदेशों के प्रति ही दी जाए।

ख) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक आवश्यक दस्तावेजी सबूत रखें।

ग) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक उपयोगकर्ता से निदेशक मंडल का संकल्प प्रस्तुत करने को कहेगा जिसमें निदेशक मंडल की अनुमोदित नीतियां प्रमाणित हों जिसमें वह समग्र ढ़ांचा परिभाषित हो जिसके तहत व्युत्पन्न कार्य किए जाएं एवं जोखिम नियंत्रित किया जाए।

घ) अनुबंध XI (क तथा ख) के अनुसार अन्य सभी शर्तों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।

(iii) कच्चे तेल की घरेलू खरीद एवं पेट्रो-उत्पादों की बिक्री

सहभागी

उपयोगकर्ता - कच्चे तेल शोधन में लगी घरेलू कंपनियां

सुसाध्यक (फेसिलिटेटर्स) - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक

उद्देश्य - कच्चे तेल की घरेलू खरीद एवं पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू बिक्री, जो कि अंतरराष्ट्रीय मूल्य से जुड़े हैं, के पन्य मूल्य जोखिम का बचाव।

उत्पाद - अंतरराष्ट्रीय पण्य एक्सचेंज में मानक एक्सजेंच ट्रेडिड फ्यूचर्स एवं आप्शन (केवल क्रय)। यदि जोखिम संविभाग के लिए आवश्यक हो तो समुद्रपारीय ओटीसी संविदा का उपयोग किया जा सकता है।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश

क) बचाव की अनुमति पुर्णत: आधार संविदाओं के आधार पर ही दी जाएगी।

ख) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक आवश्यक दस्तावेजी सबूत रखें।

ग) अनुबंध XI (क तथा ख) के अनुसार अन्य सभी शर्तों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।

घ. इन्वेन्ट्री पर मूल्य जोखिम का बचाव

सहभागी

उपयोगकर्ता - तेल विपणन तथा शोधन की घरेलू कंपनियां

सुसाध्यक (फेसिलिटेटर्स) - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक

उद्देश्य - इन्वेन्ट्री पर पण्य मूल्य जोखिम का बचाव

उत्पाद - अधिकतम एक वर्ष के वायदा तक प्रतिबंधित परिपक्वता काल वाले काउंटर पर (ओटीसी)/ समुद्रपारीय एक्सचेंज ट्रेडिड व्युत्पन्न

परिचालनात्मक दिशानिर्देश

क) पिछली तिमाही के पहले वाली तिमाही की मात्रा के आधार पर अपनी इन्वेन्ट्री के 50 प्रतिशत तक के बचाव की अनुमति है।

ख) अनुबंध XI (क तथा ख) के अनुसार अन्य सभी शर्तों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।

II) अनुमोदन मार्ग

सहभागी

उपयोगकर्ता - भारत के ऐसे निवासी जो पण्य में प्रणालीगत अंतरराष्ट्रीय मूल्य जोखिम के प्रति एक्सपोज़ हों।

सुसाध्यक (फेसिलिटेटर्स) - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक

उद्देश्य - पण्य में प्रणालीगत अंतरराष्ट्रीय मूल्य जोखिम के प्रति बचाव।

उत्पाद - अंतरराष्ट्रीय पण्य एक्सचेंज में मानक एक्सजेंच ट्रेडिड फ्यूचर्स एवं आप्शन (केवल क्रय)। यदि जोखिम संविभाग के लिए आवश्यक हो तो समुद्रपारीय ओटीसी संविदा का उपयोग किया जा सकता है।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश

जो कंपनियां/ फर्में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक की प्रत्यायोजित प्राधिकार से कवर नहीं होती हैं उनके आवेदन संबधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के माध्यम से विचारार्थ रिज़र्व बैंक को भेजे जाएं एवं साथ में निर्दिष्ट अनुशंसा का पत्र भी भेजा जाए। आवेदनपत्र के ब्योरे अनुबंध XII में दिए गए हैं।

III) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) की संस्थाएं

सहभागी

उपयोगकर्ता - विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) की संस्थाएं

सुसाध्यक (फेसिलिटेटर्स) - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक

उद्देश्य - आयातित/ निर्यातित पण्य के मूल्य जोखिम का बचाव

उत्पाद - अंतरराष्ट्रीय पण्य एक्सचेंज में मानक एक्सजेंच ट्रेडिड फ्यूचर्स एवं आप्शन (केवल क्रय)। यदि जोखिम संविभाग के लिए आवश्यक हो तो समुद्रपारीय ओटीसी संविदा का उपयोग किया जा सकता है।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश

प्राधिकृत व्यापारी बैंक विशेष आर्थिक क्षेत्र की संस्थाओं (एसईज़ेड) को को समुद्रपारीय पण्य एक्सचेंज/ बाजार में बचाव लेनदेन की अनुमति दे सकते हैं ताकि निर्यात/ आयात में उनके पण्य मूल्य का बचाव हो सके पर यह इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसी संविदाएं स्टेंड-अलोन आधार पर की जाएं। (यहां "स्टेंड-अलोन" का तात्पर्य यह है कि जहां तक आयात/ निर्यात लेनदेनों का संबंध है तो एसईज़ेड में

स्थित इकाइयां मुख्य भूमि पर स्थित या एसईज़ेड में ही स्थित अपनी मूल या सहायक कंपनी से वित्तीय संविदाओं के मामले में एकदम अलग है)।

नोट:- प्रत्यायोजित मार्ग एवं अनुमोदित मार्ग से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश क्रमश: अनुबंध XI एवं XII में दिए गए हैं।

8. माल-भाड़ा बचाव

घरेलू तेल शोधन कंपनियां एवं जहाजरानी कंपनियां माल-भाड़ा जोखिम के प्रति एक्सपोज़ होती हैं अत: रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक द्वारा इन्हें माल-भाड़ा जोखिम के प्रति बचाव की अनुमति है। माल-भाड़ा जोखिम के प्रति एक्सपोज़ अन्य कंपनियां अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक के माध्यम से पूर्वानुमति ले सकती हैं।

यह नोट किया जाए कि यहां प्राथमिक व्यापारी की भूमिका मुख्यत: समय-समय पर मार्जिन अपेक्षाओं हेतु विदेशी करेंसी राशि के विप्रेषण की सुविधा उपलब्ध कराना है जो कि आधार एक्सपोज़र के सत्यापन के अधीन है। इस सुविधा का उपयोग किसी अन्य व्युत्पन्न उत्पाद के साथ जोड़ कर न किया जाए। इस सुविधा को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है:-

I) प्रत्यायोजित मार्ग

सहभागी

उपयोगकर्ता - घरेलू तेल शोधन कंपनियां एवं जहाजरानी कंपनियां

सुसाध्यक (फेसिलिटेटर्स) - रिज़र्व बैंक द्वारा विशिष्टत: प्राधिकृत ऐसे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक जिन्हें यह शक्ति प्रत्यायोजित की गई है कि वे सूचीबद्ध कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय पण्य एक्सचेंज/ बाजार में पण्य मूल्य जोखिम बचाव करने की अनुमति प्रदान कर सकेंऐसा यहां उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा।

उद्देश्य - माल-भाड़ा जोखिम बचाव

उत्पाद - अंतरराष्ट्रीय बाजार/ एक्सचेंज में एकदम सादा काउंटर पर या एक्सचेंज ट्रेडिड उत्पाद।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश:-

i) अधिकतम अनुमत परिपक्वता काल एक वर्ष वायदा का होगा।

ii) जिस एक्सचेंज से उत्पाद खरीदा गया हो वह मूल देश में विनियमित संस्था होनी चाहिए।

iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि अपने माल-भाड़ा एक्सपोज़र का बचाव करने वाली संस्था के पास निदेशक मंडल का संकल्प होना चाहिए जिसमें निदेशक मंडल की अनुमोदित

नीतियां प्रमाणित हों जिसमें वह समग्र ढ़ांचा परिभाषित हो जिसके तहत व्युत्पन्न लेनदेन किए जाएं एवं निहित जोखिम नियंत्रित किया जाए।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक यह सुनिश्चित करने के बाद को अनुमोदन देगा कि निर्दिष्ट गतिविधियों के साथ-साथ समुद्रपारीय एक्सचेंज/ बाजार में डीलिंग के लिए कंपनी के निदेशक मंडल का अनुमोदन हासिल कर लिया गया है। निदेशक मंडल के अनुमोदन में लेनदेन करने, बाजार मूल्य को बही में अंकित करने (मार्क - टू - मार्केट) संबंधी नीति, ओटीसी व्युत्पन्न हेतु अनुमत प्रतिपक्ष आदि के लिए अनुमत प्राधिकार का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए एवं किए गए लेनदेनों की सूची छमाही आधार पर निदेशक मंडल के समक्ष रखी जानी चाहिए।

iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक को निदेशक मंडल के उस संकल्प की प्रति प्राप्त करनी चाहिए जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि कॉरपोरेट की जोखिम प्रबंधन नीति है, इसमें उक्त ब्योरे लेनदेन करने की अनुमति देते समय एवं जब कभी इसमें परिवर्तन हो तो उसे भीशामिल किया जाए।

v) उपयोगकर्ता के लिए आधार एक्सपोज़र नीचे (क) तथा (ख) में दिए गए हैं।

(क) घरेलू तेल शोधन कंपनियों के लिए

(i) माल भाड़ा बचाव आधार संविदाओं अर्थात कच्चे तेल/ पेट्रोलियम उत्पादों के आधार पर किया जाएगा।

(ii) इसके अलावा, घरेलू तेल शोधन कंपनियां पिछले वर्ष के दौरान कच्चे तेल के वास्तविक आयात की मात्रा के 50 प्रतिशत या पिछले तीन वर्ष के दौरान आयात के औसत मात्रा के 50 प्रतिशत तक, इनमें से जो भी अधिक हो, के अपने पिछले निष्पादन के आधार पर कच्चे तेल के अनुमानित आयात के अपने माल भाड़े का बचाव कर सकती हैं।

(iii) पिछले निष्पादन सुविधा के तहत बुक की गई संविदाओं को बचाव की अवधि के दौरान आधार दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर नियमित किया जा सकता है। कंपनी से इस आशय का वचनपत्र लिया जाए।

(ख) जहाजरानी कंपनियों के लिए

(i) जहाजरानी कंपनी के स्वामित्व/ नियंत्रण वाले ऐसे जहाजों के आधार पर बचाव दिया जाएगा जिनके नियोजन का कोई वचनबद्धता न हो। बचाव की मात्रा का निर्धारण न जहाजों की संख्या एवं क्षमता के आधार पर तय होगी। इसका सत्यापन सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा किया जाए एवं प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक को प्रस्तुत किया जाए।

(ii) बुक की गई संविदाओं को आधार दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर नियमित किया जाए अर्थात बचाव की अवधि के दौरान जहाज का नियोजन। कंपनी से इस आशय का वचनपत्र लिया जाए।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि जहाजरानी कंपनियों द्वारा किए गए माल भाड़ा व्युत्पन्न जहाजरानी कंपनियों के आधार कारोबार के परावर्तक हैं।

II) अनुमोदित मार्ग

सहभागी

उपयोगकर्ता - माल भाड़ा जोखिम के प्रति एक्सपोज़ कंपनियां (घरेलू तेल शोधन कंपनियों एवं जहाजरानी कंपनियों के अलावा)

सुसाध्यक (फेसिलिटेटर्स) - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक

उद्देश्य - मालभाड़ा जोखिम बचाव

उत्पाद - अंतरराष्ट्रीय बाजार/ एक्सचेंज में एकदम सादा काउंटर पर या एक्सचेंज ट्रेडिड उत्पाद।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश

क) अधिकतम अनुमत परिपक्वता काल एक वर्ष वायदा का होगा।

ख) जिस एक्सचेंज से उत्पाद खरीदा गया हो वह मूल देश में विनियमित संस्था होनी चाहिए।

ग) जो कंपनियां/ फर्में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक की प्रत्यायोजित प्राधिकार से कवर नहीं होती हैं उनके आवेदन संबधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के माध्यम से विचारार्थ रिज़र्व बैंक को भेजे जाएं एवं साथ में निर्दिष्ट अनुशंसा का पत्र भी भेजा जाए।

भाग - II

भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

भागीदार

बाजार - सृजक - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक

उपयोगकर्ता - विदेशि संविभाग निवेशक (एफपीआई), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाले निवेशक (एफडीआई), अणिवासी भारतीय (एनआरआई), अनिवासी निर्यातक और आयातक, भारतीय रुपए में विनिर्दिष्ट ईसीबी वाले अनिवासी उधारदाता ।

प्रत्येक उपयोगकर्ता का प्रयोजन, उत्पाद और परिचालनात्मक दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:-

1. एफपीआई के लिए सुविधाएं

प्रयोजन

i) किसी विशेष तारीख को भारत में ईक्विटी और/ या ऋण में पूरे निवेश के बाजार मूल्य पर मुद्रा जोखिम को हेज करना।

ii) आगामी बारह माह में ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के कारण कूपन प्राप्तियों को हेज करना।

iii) एएसबीए कार्यविधि के अधीन आईपीओ से संबंधित अस्थाई पूंजी प्रवाहों को हेज करना।

उत्पाद

मुद्राओं में से एक रुपया सहित फॉर्वर्ड फोरेन एक्सचेंज संविदा और फोरेने करेंसी - भारतीय रुपया आप्शन/ आईपीओ से संबंधित प्रवाहों के लिए फोरेन करेंसी - भारतीय रुपया स्वैप।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश

शर्तें

क) किसी विशेष तारीख को भारत में ईक्विटी और/ या ऋण में पूरे निवेश के बाजार मूल्य पर उनकी करेंसी को हेज करने के लिए एफपीआई, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक से संपर्क कर सकते हैं:-

i) एफपीआई द्वारा इस आशय की घोषणअ सहित कि उसके सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों में उसके वैश्विक बकाया हेज और निरस्त व्युत्पन्न संविदा उसके निवेश के बाजार मूल्य के भीतर है। विनिर्दिष्ट प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए मूल्य प्रमाणपत्र के आधार पर कवर की पात्रता का निर्धारण किया जाए।

ii) एफपीआई तिमाही घोषणा कस्टोडियन बैंक को प्रस्तुत करेगा कि सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों में बुक की गईं व्युत्पन्न संविदाओं की कुल राशि उसके निवेश के बाजार मूल्य के भीतर हैं।

iii) विनिर्दिष्ट प्राधिकृत व्यापारी बैंकों से इतर प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के साथ लिए गए हेज का निपटान सिएस/ एनईएफटि के माध्यम से विनिर्दिष्ट बैंक के साथ रखे विशेष अनिवासी रुपया खाते के माध्यम से दिया जाएगा।

iv. यदि कोई एफपीआई उसके द्वारा जारी किसी पीएन/ ओडीआई पर उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों के भाग पर एक्सपोज़र के लिए हेज संविदा करना चाहता है तो उसके पास इस प्रयोजन के लिए पीएन/ ओडीआई धारक से मेंडेट होना चाहिए। इसके अलावा, हालांकि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक से यह अपेक्षित है कि ऐसे मेंडेट का सत्यापन करे, जिन मामलों में ऐसा करना कठिन है , के एफपीआई से पीएन/ ओडीआई के स्वरूप/ संगठन के बारे में एक घोषणा प्राप्त करें जिसमें हेज प्रचालन की आवश्यकता स्थापित की गई हो और कि ये प्रचालन उनके ग्राहकों से लिए गए विशिष्ट मेंडेट पर किए जा रहे हैं।

ख) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक बाजार मूल्य में कमी-बढ़त, नए प्रवाहों, प्रत्यावर्तित राशियों और अन्य संगत पैरामीटर के आधार पर, कम से कम तिमाही अंतरालों पर आवधिक समीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बकाया फॉरवर्ड कवर निहित एक्सपोज़र से समर्थित है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई एफपीआई अपने किसी उप-खाता धारक के एक्सपोज़र को हेज करना चाहता है (देखें अधिसूचना सं. एफईएमए 20/ 2000 आरबी दिनांक 3 मई 2000 की अनुसूची 2 का पैरा 4), तो उसे व्युत्पन्न लेनदेन करने के लिए इस आशय का स्पष्ट मेंडेट प्राप्त करना होगा। इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों को संबंधित उप-खाते में धारित प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य की तुलना में मेंडेट तथा संविदा की पात्रता का सत्यापन करना होगा।

ग) यदि पोर्टफोलियो कें बाजार मूल्य के प्रतिभूतियों के विक्रय से इतर कारण से कम हो जाने के कारण, हेज अंशत: या पूर्णतया अप्रतिभूत हो जाता है, तो ऐसा चाहने पर, हेज को मूल परिपक्वता तक जारी रहने की अनुमति देनी चाहिए।

घ) एक बार निरस्त किए जाने पर, एफपीआई द्वारा बुक फॉरवर्ड संविदा निरस्त संविदा मूल्य के 10% तक फिर से बुक किए जा सकते हैं। तथापि, बुक की गई संविदा परिपक्वता पर या एसके पहले विस्तारित (रोल ओवर) किए जाने चाहिए।

ङ) पैरा (i) (ii) में उल्लिखित कूपन प्राप्तियों को हेज करने के लिए बुक की गई फॉरवर्ड संविदा फीर से बुकिंग या निरसन के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापपि, परिपक्वता पर रोल ओवर किए जा सकते हैं बशर्ते कि संबंधित कूपन राशि अभी प्राप्त होनी है।

च) हेज की लागत सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्रत्यावर्तनीय निधियों तथा/ या आवक विप्रेषणों में से पूरी की जानी चाहिए।

छ) हेज के लिए प्रासंगिक सभी जावक विप्रेषण लागू टैक्स काट कर हैं।

ज) आईपीओ से संबंधित अस्थाई पूंजी प्रवाहों के लिए:-

i) एफपीआई, विदेशी मुद्रा रुपया स्वैप केवल एएसपीए कार्यविधि के अधीन आईपीओ के संबंध में प्रवाह के हेज के लिए किए जा सकते हैं।

ii) स्वैप की राशि आईपीओ में प्रस्तावित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iii) स्वैप की अवधि 30 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iv) एक बार निरस्त किए जाने पर, संविदा फिर से बुक नहीं की जा सकती है। इस योजना के अधीन रोल ओवर की अनुमति भी नहीं होगी।

i) एफईएमए, 1999 या उसके अधीन अनुमत विनियमों/ निदेशों के लिए किसी भी लेनदेन के लिए एफपीआई और अन्य विदेशि निवेशक अपनी पसंद के किसी भी बैंड के माध्यम से निधियां प्रेषित करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार विप्रेषित निधियां सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I कस्टोडियन बैंक को अंतरित की जा सकती है। तथापि, यह ध्यान रखा जाए कि, जहां आवश्यक हो, विप्रेषक के संबंध में केवाईसी की संयुक्त जिम्मेदारी विप्रेषण प्राप्त करने वाले बैंक और उस बैंक की है जिसने अंतत: विप्रेषण राशि प्राप्त की है। जबकि पहले बैंक के पास विप्रेषक का विवरण और विप्रेषण का प्रयोजन उपलब्ध रहेगा, दूसरे बैंक के पास प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण से पूरी सूचना उपलब्ध होगी। इसके अलावा, विप्रेषण प्राप्त करने वाले बैंक के लिए यह आवश्यक है कि राशियां प्राप्त कर रहे बैंक को एफआईआरसी जारी करे ताकि यह स्थापित हो सके कि निधियां विदेशी मुद्रा में विप्रेषित की गई थीं।

2. ईटीसीडी में भाग ले रहे विदेशी संविभाग निवेशकों के लिए शर्तें [(देखें पैरा ए, उप-पैरा (4) और (5)]

विदेशी संविभाग निवेशक (एफपीआई) समय - समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूत का अंतरण या निर्गम) विनियम, 2000 (एफईएमए 20/ 2000 - आरबी दिनांक 3 मई 2000) जीएसआर 400 (ई) दिनांक 3 मई 2000 की अनुसूची 2, 5, 7, और 8 में निर्धारित अनुसार प्रतिभूतियों के निदेश के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन करेंसी फ्यूचर या एक्सचेंज ट्रेडिड करेंसी आप्शन संविदा कर सकते हैं:-

क) भारतीय ऋण और ईक्विटी प्रतिभूतियों में उनके एक्सपोज़र के बाजार मूल्य के कारण करेंसी जोखिम की हेजिंग के लिए एफपीआई करेंसी फ्यूचर या एक्सचेंज ट्रेडिड करेंसी आप्शन कर सकते हैं।

ख) ऐसे निवेशक किसी भी पंजीकृत/ मान्यताप्राप्त ट्रेडिंग मेंबर के माध्यम से करेंसी फ्यूचर/ एक्सचेंज ट्रेडिड आप्शन बाजार में बाग ले सकते हैं।

ग) एफपीआई प्रति एक्सचेंज 15 मिलियन यूएसडी तक यूएसडी - भारतीय रुपया में लांग (बॉट) और शॉर्ट (सेल्ड) पोजीशन ले सकते हैं। इसके अलावा, उन्हें प्रति एक्सचेंज सब मिला कर 5 मिलियन यूएसडि के बराबर ईयूआर - भारतीय रुपया, जीबीपी - भारतीय रुपया तथा जेपीवाई - भारतीय रुपया में लांग और शॉर्ट पोजीशन लेने की अनुमति है। निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए, एक्सचेंज, यूएसडी से इतर मुद्राओं में संविदा के लिए नियत सीमा निर्दारित कर सकते हैं ताकि ये सीमा यूएसडी 5 मिलियन के बराबर की सीमा के भीतर रहे। इन सीमाओं की एक्सचेंजों द्वारा निगरानी की जाएगी और उल्लंघन, यदि कोई हो, की सूचना वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को दी जाए।

घ) एक्सचेंज द्वारा निर्धारित पोजीशन सीमा की शर्त के अधीन निहित एक्सपोज़र को स्थापित किए बिना, एफपीआई क्रॉस करेंसी फ्यूचर और एक्सचेंज ट्रेडिड क्रॉस करेंसी आप्शन संविदा में पोजीशन ले सकते हैं।

ङ) किसी भी समय करेंसी पेयर को मिलाकर यूएसडी 5 मिलियन से अधिक और यूएसडी - भारतीय रुपया पेयरमें 15 मिलियन से अधिक शॉर्ट पोजीशन एफपीआई नहीं ले सकता है। किसी भी एक्सचेंज में इन सीमाओं से अधिक लांग पोजीशन लेने के लिए, निहित एक्सपोज़र का होना आवश्यक है। किसी निहित एक्सपोज़र के अस्तित्व को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित एफपीआई की है।

च) तथापि, जोखिम प्रबंधन और निष्पक्ष ट्रेडिंग के प्रयोजन के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने के लिए एक्सचेंज स्वतंत्र होगा।

छ) एक्सचेंज/ समाशोधन निगम दिन के अंत की स्थिति और अंतर-दिन उच्चतम स्थिति एफपीआई वार संबंधित कस्टोडियन बैंकों को उपलब्ध कराएगा। कस्टोडियन बैंक एक्सचेंज में और उनके साथ बुक किए गए ओटीसी और अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों के साथ प्रत्येक एपीआई की समग्र स्थिति संग्रहीत करेंगे। यदि किसी दिन संविदा का कुल मूल्य बाजार मूल्य से अधिक है, तो संबंधित एफपीआई इस संबंध में सेबी द्वारा निर्धारित दंड और एमए 1999 के अधीन रिज़र्व बैंक द्वारा कार्रवाई की जा सकेगी। विनिर्दिष्ट कस्टोडियन बैंक इस पर निगरानी रखेगा और उल्लंघन, यदि कोई हो, आरबीआई/ सेबी के ध्यान में लाएगा।

3. अनिवासी भारतीयों के लिए सुविधाएं

प्रयोजन

क) फेरा, 1973 या फेमा 1999 की अधिसूचनाओं के अनुसार संविभाग योजना के अधीन किए गए निवेश, के बाजार मूल्य के एक्सचेंज दर जोखिम को हेज करना।

ख) भारतीय कंपनियों में धारित शेयरों पर देय लाभांश पर एक्सचेंज दर जोखिम को हेज करना।

ग) एफसीएनआर (बी) में जमाराशियों पर एक्सचेंज दर जोखिम को हेज करना।

घ) एनआरई खाते में शेष राशियों पर एक्सचेंज दर जोखिम को हेज करना।

उत्पाद

क) एक मुद्रा के रूप में रुपए के साथ फॉरवर्ड फोरेन एक्सचेंज संविदा और फोरेन करेंसी - भारतीय रुपया आप्शन

ख) इसके अलावा, एफसीएनआर (बी) खातों में "शेष राशियों" के लिए क्रॉस करेंसी (रुपया शामिल नहीं) फॉरवर्ड संविदा टामिन एम फोरेन करेंसी में शेष राशियों को दूसरी फोरेन करेंसी में बदलना, जिसमें एफसीएनआर (बी) जमाराशियों को रखने की अनुमति है।

4. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को हेज करने की सुविधाएं

प्रयोजन

i) भारत में एक्सपोज़र के सत्यापन की शर्त के अधीन, 1 जनवरी 1993 से भारत में किए गए निवेश के बाजार मूल्य पर एक्सचेंज दर जोखिम को हेज करना।

ii) भारतीय कंपनियों में निवेश पर प्राप्य लाभांश एक्सचेंज दर जोखीम को हेज करना।

iii) भारत में प्रस्तावित निवेश पर एक्सचेंज दर जोखिम को हेज करना।

उत्पाद

एक मुद्रा के रूप में रुपए सहित फॉरवर्ड एक्सचेंज संविदा और फोरेन करेंसी - भारतीय रुपया आप्शन

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

क) भारत में निवेश के बाजार मूल्य पर एक्सचेंज दर जोखिम संविदा के संबंध में, एक बार निरस्त की गई संविदा फिर से बुक करने के लिए पात्र नहीं है। तथापि, संविदा रोल ओवर की जा सकती है।

ख) प्रस्तावित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में, निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं:-

i) भारतीय कंपनियों में प्रस्तावित निवेश के कारण एक्सचेंज दर जोखिम को हेज की अनुमति केवल यह सुनिश्चित करने के बाद दी जानी चाहिए कि विदेशी संस्थाओं ने आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं और सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।

ii) एक बार में संविदा की अवधि छह माह से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसके बाद संविदा जारी रखने के लिए रिज़र्व बैंक की अनुमति आवश्यक होगी।

iii) निरस्त करने पर, उन्हीं प्रवाहों के लिए ये संविदा फिर से बुक करने की पात्र नहीं होगी।

iv) एक्सचेंज लाभ, यदि कोई हो, निरस्त होने पर समुद्रपारीय निवेशक को नहीं दिए जाएंगे।

5. भारतीय रुपए में बीजक में व्यापार एक्सपोज़र के लिए सुविधाएं

प्रयोजन

भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों के साथ भारतीय रुपयों में बीजक भारत से निर्यात और भारत में आयात वास्तविक व्यापार लेनदेनों के कारण करेंसी जोखिम को हेज करना।

उत्पाद

मुद्राओं में से रुपए सहित फॉरवर्ड एक्सचेंज संविदा और फोरेन करेंसी - भारतीय रुपया आप्शन

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

निम्नानुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक मॉडल I या II का विकल्प चुन सकते हैं:-

मॉडल I

अपने समुद्रपारीय बैंक के माध्यम से अनिवासी निर्यातक/ आयातक (भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओ सहित)

- अनिवासी निर्यातक/ आयातक अपने समुद्रपारीय बैंकर को यथोचित दस्तावेजों के साथ संपर्ककरता है, यह अनुरोध करते हुए कि रुपए में बीजक पुष्ट आयात या निर्यात आदेश के रुपया एक्सपोज़र को हेज किया जाए।
- बदले में समुद्रपारीय बैंक भारत में अपने प्रतिनिधि बैंक से संपर्क करता है (अर्थात भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक) कि कुछ मूल्य पर उसके ग्राहक के एक्सपोज़र को हेज कर दिया जाए और उसके ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज देगा जिससे भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक संतुष्टि कर सकेगा कि निहित व्यापार लेनदेन अस्तित्व में है (स्कैन की हुई प्रतियां स्वीकार्य हैं)। ग्राहक से निम्नलिखित वचनपत्र भी लिए जाएं:-
- कि उसी निहित एक्सपोज़र को भारत में किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक के साथ हेज नहीं किया गया है।
- यदि निहित एक्सपोज़र निरस्त किया जाता है तो ग्राहक तुरंत हेज संविदा निरस्त कर देगा।
- भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक द्वारा समुद्रपारीय बैंक से अंत:-ग्राहक केवाईसी एकबारगी दस्तावेज भी ले लेना चाहिए।

- ❖ समुद्रापारीय् प्रतिनिधि से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर भारत में आपातकाल प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक निहित व्यापार लेनदेन के बारे में अपनी संतुष्टि कर ले और समुद्रपारीय बैंक को फॉरवर्ड मूल्य का प्रस्ताव दे (टू-वे दरें नहीं दी जानी चाहिए, जो उसी ग्राहक को देगा)। इसलिए, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक समुद्रपारीय आयातक/ निर्यातक के साथ प्रत्यक्ष रूप से डील नहीं करेगा।
- ❖ हेज की राशि और अवधि निहित लेनदेन से अधिक नहीं चाहिए और भुगतान/ प्राप्तियों की अवधि के वर्तमान विनियमों के अनुरूप होनी चाहिए।
- ❖ नियत तारीख को, निपटान प्रतिनिधि बैंक के वोस्त्रों या प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक के नोस्त्रो खातों से किया जाना चाहिए।
- ❖ एक बार निरस्त किए जाने पर, निविदा फिर से बुक नहीं की जा सकती है।
- ❖ तथापि, निहित एक्सपोज़र की परिपक्वता की शर्त के अधीन संविदा परिपक्वता पर या उसके पहले रोल ओवर किए जा सकते हैं।
- ❖ संविदा को निरस्त करने का लाभ ग्राहक को दे दिया जाए बशर्ते कि ग्राहक यह घोषणा करे कि वह संविदा को फिर से बुक नहीं करेगा या संविदा निहित एक्सपोज़र को निरस्त किए जाने के कारण निरस्त कर दिया गया है।
- ❖ यदि निहित व्यापार लेनदेन में विस्तार किया जाता है, तो निहित व्यापार लेनदेन में विस्तार के आधार पर एक बार रोल ओवर की अनुमति दी जा सकती है जिसके लिए समुद्रपारीय बैंक द्वारा यथोचित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे और मूल संविदा की ही तरह वही कार्यविधि अपनाई जाएगी।

मॉडल II

भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक के साथ अनिवासी निर्यातक/ आयातक की प्रत्यक्ष डीलिंग

- ❖ समुद्रपारीय निर्यातक/ आयातक भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक से निहित लेनदेन के संबंध में फॉरवर्ड कवर के लिए संपर्क करता है जिसके लिए सौहार्दपूर्ण आधार पर यथोचित दस्तावेज प्रस्तुत करता है (स्कैन की हुई प्रतियां स्वीकार्य हैं) ताकि भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक संतुष्ट हो सके कि निहित लेनदेन अस्तित्व में है और उसका समुद्रपारीय वेंडर, पता आदि। ग्राहक से निम्नलिखित वचनपत्र भी लिए जाने चाहिए:-
- ❖ कि वही निहित एक्सपोज़र भारत में किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक/ बैंकों के साथ हेज नहीं किया गया है।

- ❖ यदि निहित एक्सपोज़र निरस्त किया जाता है तो ग्राहक तुरंत हेज संविदा निरस्त कर देगा।
- ❖ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक अनुबंध XVII में फॉर्मेट में केवाईसी/ एएमएल प्रमाणन प्राप्त करेगा। स्विफ्ट द्वारा प्रमाणित संदेश के माध्यम से समुद्रपारीय प्रतिनिधि/ बैंक से फॉर्मेट प्राप्त किया जा सकता है। यदि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक की भारत से बाहर उपस्थिति है, तो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक अपने बैंक की ऑफशोर शाखा के माध्यम से केवाईसी/ एएमएल करवा सकता है।
- ❖ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक ऋण जोखिम को कम करने के लिए यथोचित व्यवस्था करे। स्वयं/ समुद्रपारीय शाखा द्वारा किए गए ऋण विश्लेषण के आधार पर ऋण सीमाएं प्रदान की जा सकती हैं
- ❖ हेज की राशि और अवधि निहित लेनदेन से अधिक नहीं होनी चाहिए और भुगतान की अवधि/ प्राप्तियों की वसूली के संबंध में में वर्तमान विनियमों से अनुसार होनी चाहिए।
- ❖ नियत तारीख को, निपटान प्रतिनिधि बैंक के वोस्त्रो खाते या प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक के नोस्त्रों खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए। भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक हितधारकों को निधियां नोस्त्रो/वोस्त्रो खातों में निधियां प्राप्त होने के बाद ही जारी किए जाएं।
- ❖ एक बार निरस्त किए जाने पर संविदा फिर से बुक नहीं की जा सकती है।
- ❖ तथापि, निहित एक्सपोज़र की परिपक्वता पर या पहले रोल ओवर किए जा सकते हैं।
- ❖ संविदा निरस्त किए जाने पर, लाभ ग्राहक को दिया जा सकता है बशर्ते कि ग्राहक यह घोषणा करे कि वह संविदा फिर से बुक नहीं करेगा। या कि निहित एक्सपोज़र निरस्त हो जाने के कारण संविदा निरस्त कर दी गई है।
- ❖ यदि निहित एक्सपोज़र में विस्तार किया जाता है तो निहित व्यापार लेनदेन के आधार पर रोल ओवर की अनुमति एक बार दी जा सकती है जिसके लिए समुद्रपारीय बैंक द्वारा यथोचित प्रलेखीकरण उपलब्ध कराया जाए और यही प्रक्रिया मूल संविदा के लिए भी अपनाई जाए।

6. भारत में रुपए के मूल्य वर्गीकृत ईसीबी की हेजिंग के लिए सुविधाएं

i) प्रयोजन

नीचे II के अधीन शर्तों के अनुसार भारतीय रुपया में विनिर्दिष्ट ईसीबी के जोखिम के कारण मुद्रा जोखीम को हेज करने के लिए या तो भारत में बैंकों के साथ प्रत्यक्ष रूप से या बैक टु बैक आधार पर उनकी समुद्रपारीय शाखाओं के माध्यम से।

उत्पाद

रुपए में फॉर्वर्ड फोरेन एक्सचेंज संविदा, फोरेन करेंसी भारतीय रुपया आप्शन और फोरेन करेंसी भारतीय रुपया स्वैप

परिचालन दिशानिर्देश, शर्तें

- ❖ विदेशी ईक्विटी धारक/ समुद्रपारीय संगठन या व्यक्ति भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक से संपर्क करके अनुरोध करता है कि निहित लेनदेन के लिए सौहार्द्रपूर्ण आधार पर फॉरवर्ड कवर दिया जाए जिसके लिए वह यथोचित प्रलेखीकरण उपलब्ध कराएगा (स्कैन की गई प्रतियां स्वीकार्य होंगी)) ताकि भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक संतुष्ट हो सके कि निहित ईसीबी लेनदेन है, और अपने समुद्रपारीय बैंकर के विवरण, पता आदि ग्राहक से निम्नलिखित घोषणा भी ली जाए:-
- ❖ कि उसी निहित एक्सपोज़र को भारत में किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक के साथ हेज नहीं किया गया है।
- ❖ यदि निहित एक्सपोज़र निरस्त किया जाता है तो ग्राहक तुरंत हेज संविदा निरस्त कर देगा।

- ❖ हेज की राशि और अवधि निहित लेनदेन के अधिक नहीं होनी चाहिए और भुगतान की अवधि/ प्राप्तियों की वसूली के संबंध में में वर्तमान विनियमों से अनुसार होनी चाहिए।
- ❖ नियत तारीख को, निपटान प्रतिनिधि बैंक के वोस्त्रो खाते या प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक के नोस्त्रों खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए। भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक हितधारकों को निधियां नोस्त्रो/वोस्त्रो खातों में निधियां प्राप्त होने के बाद ही जारी किए जाएं।
- ❖ एक बार निरस्त किए जाने पर संविदा फिर से बुक नहीं की जा सकती है।
- ❖ तथापि, निहित एक्सपोज़र की परिपक्वता पर या पहले रोल ओवर किए जा सकते हैं।
- ❖ संविदा निरस्त किए जाने पर, लाभ ग्राहक को दिया जा सकता है बशर्ते कि ग्राहक यह घोषणा करे कि वह संविदा फिर से बुक नहीं करेगा। या कि निहित एक्सपोज़र निरस्त हो जाने के कारण संविदा निरस्त कर दी गई है।

ii) प्रयोजन

बैक टु बैक आधार पर समुद्रपारीय शाखाओं के माध्यम से भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों के साथ मान्यताप्राप्त अनिवासी उधारदाताओं[7] द्वारा भारतीय रुपया में निर्दिष्ट ईसीबी के कारण करेंसी जोखिम को हेज करना।

उत्पाद

फोरेन करेंसी - भारतीय रुपया स्वैप

परिचालन दिशानिर्देश, शर्तें

i) मान्यता प्राप्त अनिवासी उधारदाता यथोचित प्रलेखीकरण के साथ अपने समुद्रपारीय बैंक से संपर्क करता है और भारतीय उधारगराही को उधार देने के लिए भारतीय रुपया जु;ने के लिए स्वैप दर का अनुरोध करता है।

ii) समद्रपारीय शाखा ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रलेखीकरण सहित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक से संपर्क करके स्वैप दर के लिए अनुरोध करती है जिससे कि भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक संतुष्ट हो सके कि भारतीय रुपया में निहित ईसीबी है (स्कैन की गई प्रतियां स्वीकार्य हैं)। ग्राहक से निम्नलिखित वचनपत्र भी लिए जाएं:-

- ❖ कि वही निहित एक्सपोज़र भारत में किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक/ बैंकों के साथ हेज नहीं किया गया है।
- ❖ यदि निहित एक्सपोज़र निरस्त किया जाता है, तो ग्राहक तुरंत हेज संविदा को निरस्त कर देगा।

iii) अंत:-ग्राहक से केवाईसी प्रमाणन भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक द्वारा एकबारगी दस्तावेज के रूप में लिया जाएगा।

iv) समुद्रपारीय बैंक से प्राप्त दस्तावेजों के आदार पर, भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक निहित भारतीय रुपया में [6]ईसीबी के अस्तित्व की संतुष्टि करेगा और समुद्रापारीय बैंक को एक संकेतात्मक स्वैप देगा जो, फिर वही दर बैक टु बैक आधार पर अनिवासी उधारदाता को देगा।

v) स्वैप की निरंतरता हर समय निहित ईसिबी के अस्तित्व पर निर्भर करेगी।

vi) नियत तारीख को, निपटान भारत में उसके प्रतिनिधि बैंक के साथ समुद्रपारीय बैंक के वोस्त्रों खाते के माध्यम से किया जाएगा।

vii) संबंधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक सभी संबंधित प्रलेख रिज़र्व बैंक द्वारा सत्यापन के लिए रखेगा।

---

[7] एपी (डीआईआर सीरिज) परिपत्र संख्या 25 दिनांक 3 सितंबर 2014 और एपी (डीआईआर सीरिज) परिपत्र सख्या 103 दिनांक 21 मई 2015 के अनुसार सभी अनिवासियों पर लागू

परिचालन दिशानिर्देश, शर्तें

निरस्त संविदा को फिर से बुक करने के संबंध में प्रावधान को छोड़कर, एफपीआई में उल्लिखित सभी दिशानिर्देश लागू होंगे। एफपीआई से इतर भारत से बाहर निवासी के लिए अनुमत सभी फोरेन एक्सचेंज व्युत्पन्न संविदा, एक बार निरस्त किए जाने पर फिर से बुक करने के लिए पात्र नहीं होगी।

खंड III

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक के लिए सुविधाएं

1. बैंकों की आस्तियों का प्रबंध -

लायबिलिटीज यूजर्स - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक

प्रयोजन - फोरेन एक्सचेंज एसेट-लायबिलिटीज़ संविभाग की ब्याज दरों और करेंसी जोखिम को हेज करना

उत्पाद - ब्याज दर स्वैप, ब्याज दर कैप/ कॉलर, करेंसी स्वैप, फॉरवर्ड रेट करार/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक अपनी क्रास करेंसी स्वामित्व व्यापार पोजीशन को हेज करने के लिए कॉल या पुट आप्शन का क्रय भी कर सकते हैं।

परिचालन दिशानिर्देश, शर्तें

इन लिखतों का प्रयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

क) इस संबंध में यथोक्त नीति का अनुमोदन शीर्ष प्रबंधतंत्र द्वारा किया गया है।

ख) हेज का मूल्य और परिपक्वता, निहित से अधिक नहीं होना चाहिए।

ग) कोई भी "स्टैंड अलोन" लेनदेन प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। यदि कोई हेज अप्रतिभूत हो जाता है तो अंशत: या पूर्णत: संविभाग के मूल्य में कमी हो जाने के कारण तो उसे मूल की परिपक्वता तक जारी रहने की अनुमति दी जानी चाहिए और नियमित अंतरालों पर मार्क टु मार्केट किया जाना चाहिए।

घ) इन लेनदेनों के कारण निवल नकद प्रवाहों को आय/ व्यय के रूप में बुक किया जाता है और जहां लागू हो. फोरेन एक्सचेंज की पोजीशन के लिए गिना जाता है।

2. स्वर्ण मूल्यों की हेजिंग

उपयोगकर्ता -

i) रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंक जो स्वर्ण जमा योजना परिचालित कर सकते हैं।

ii) बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक जो भारत में फॉरवर्ड स्वर्ण संविदा कर सकते हैं (अंतर-बैंक स्वर्ण सौदों के कारण पोजीशन सहित)

प्रयोजन - स्वर्ण के मूल्य जोखिम को हेज करना।

उत्पाद - समुद्रपार उपलब्ध एक्सचेंज ट्रेडिड और ओवर दि काउंटर हेजिंग उत्पाद।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

क) आप्शन के संबंध में उत्पादों का प्रयोग करते हुए, यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रीमियम की कोई निवल प्राप्ति नहीं है।

ख) इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन प्राधिकृत व्यापारियों को स्वर्ण में निहितविक्रय क्रय और ऋण लेनदेनों में अपने घटकों (स्वर्ण उत्पादों के निर्यातक, आभूषण विनिर्माता, व्यापारिक घराने आदि) के साथ फॉरवर्ड संविदा करने की अनुमति है। इन संविदाओं की अवधि छह माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. पूंजी की हेजिंग

उपयोगकर्ता - भारत में कार्यरत विदेशी बैंक

उत्पाद - फॉरवर्ड फोरेन एक्सचेंज संविदाएं

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

क) टीयर I पूंजी -

i) स्थानीय विनियमाक और सीआरएआर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में पूंजी निधियां उपलब्ध होनी चाहिए और, इसलिए इन्हें नोस्त्रो खातों में पार्क नहीं किया जाना चाहिए। हेजिंग के कारण उपचित विदेशी मुद्रा निधियां नोस्त्रों खातों में पार्क नहीं की जानी चाहिए लेकिन हर समय भारत में बैंकों के साथ स्वैपयुक्त रहना चाहिए।

ii) फॉरवर्ड संविदा एक या अधिक वर्ष की अवधि के लिए होनी चाहिए और परिपक्वता पर रोल ओवर किए जा सकते हैं। निरस्त हेज फिर से बुक करने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

ख) टीयर II पूंजी -

- ❖ डीबीओडी परिपत्र सं. आईबीएस. बीसी. 65/23.10.015/ 2001-02 दिनांक 14 फरवरी 2002 के अनुसार विदेशी बैंकों को हर समय स्वैप करके मुख्य कार्यालय उदार के रूप में सुबार्डिनेट डेट के तौर पर टीयर II पूंजी को हेज करने की अनुमति है।

- ❖ बैंकों को इनोवेटिव टीयर I/ टीयर II बांड के संबंध में नियत दर रुपया देयताओं को फ्लोटिंग दर विदेशी मुद्रा देयताओं में परिवर्तन के लिए फोरेन करेंसी - भारतीय रुपया स्वैप लेनदेन की अनुमति नहीं है।

4. भारत में करेंसी फ्यूचर बाजार में सहभागिता

कृपया भाग क खंड I, पैरा 4 देखें। उसी के क्रम में:-

क) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक डीबीओडी अनुदेश डीबीओडी संख्या एफएसडी. बीसी. 29/ 24.01.001/2008-09 दिनांक 6 अगस्त 2008 से मार्गदर्शित होंगे।

ख) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों को निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं का पालन करने की शर्त के अधीन स्वयं अपने और अपने ग्राहकों की ओर से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के करेंसी फ्यूचर मार्केट में व्यापार और समाशोधन सदस्य बनने की अनुमति है:-

i. 500 करोड़ रु. की न्यूनतम निवल मालियत
ii. 10 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर
iii. निवल एनपीए 3 प्रतिशत से अधिक न हो
iv. पिछले 3 वर्ष में निवल लाभ –

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक जो विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से करेंसी फ्यूचर संविदाओं का व्यापार और समाशोधन के लिए जोखिम का प्रबंध करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित करें।

ग) रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभागों के अनुमोदन और निदेशों के अधीन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक जो उपर्युक्त न्यूनतम विवेकपूर्ण मानदंड पूरा नहीं करते और वे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक जो शहरी सहकारी बैंक हैं या राज्य सहकारी बैंक हैं, करेंसी फ्यूचर मार्केट में केवल ग्राहक के रूप में भाग ले सकते हैं।

घ) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक विवेकपूर्ण सीमाओं, जैसे कि एनओपी और प्राधिकृत व्यापारी सीमाओं के भीतर कार्य करेंगे। स्वयं अपने लिए करेंसी फ्यूचर मार्केट में बैंकों का एक्सपोज़र उनके एनओपी और प्राधिकृत व्यापारी सीमा का हिस्सा होगा।

5. भारत में एक्स्चेंज ट्रेडिड करेंसी आप्शन बाजार में सहभागिता

कृपया भाग क खंड I पैरा 5 देखें। उसी क्रम में:-

क) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों को निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं का पालन करने की शर्त के अधीन स्वयं अपने और अपने ग्राहकों की ओर से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के एक्स्चेंज ट्रेडेड ऑप्शन में व्यापार और समाशोधन सदस्य बनने की अनुमति है:-

i. 500 करोड़ रु. की न्यूनतम निवल मालियत
ii. 10 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर
iii. निवल एनपीए 3 प्रतिशत से अधिक न हो
iv. पिछले 3 वर्ष में निवल लाभ

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक जो विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से करेंसी फ्यूचर संविदाओं का व्यापार और समाशोधन के लिए जोखिम का प्रबंध करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित करें।

ख) रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभागों के अनुमोदन और निदेशों के अधीन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक जो उपर्युक्त न्यूनतम विवेकपूर्ण मानदंड पूरा नहीं करते और वे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक जो शहरी सहकारी बैंक हैं या राज्य सहकारी बैंक हैं, एक्स्चेंज ट्रेडेड ऑप्शन में केवल ग्राहक के रूप में भाग ले सकते हैं।

6. ईटीसीडी बाजार में भाग ले रहे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश और शर्तें

क) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक बड़े एक्सचेंज द्वारा निर्धारित (जोखिम प्रबंध और बाजार की अखंडता बनाए रखने के लिए) सीमा के अधीन अपनी एनओपीएल सीमा में सभी अनुमत एक्सचेंज ट्रेडिड करेंसी व्युत्पन्न में व्यापार कर सकते हैं बशर्ते कि कोई भी सिन्थेटिक यूएसडी - भारतीय रुपया पोजीशन, एक्सचेंज ट्रेडिड एफसीवाई - भारतीय रुपया और क्रॉस करेंसी का मिश्रण - एक्सचेंज द्वारा यूएसडी - भारतीय रुपया संविदा के लिए निर्धारित सीमा में होगा।

ख) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक ईटीसीडी बाजार में ओटीसी व्युत्पन्न बाजारों में अपनी पोजीशन के विरुद्ध अपनी पोजीशन को नेट/ ऑफसेट कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव को देखते हुए रिज़र्व बैंक जब भी आवश्यक हो केवल ओटीसी बाजार के लिए एनओपीएल की एक उप-सीमा निर्धारित कर सकता है।

भाग ख

अनिवासी बैंकों के खाते

1. सामान्य

i) अनिवासी बैंक के खाते में क्रेडिट अनिवासियों को भुगतान का एक अनुमत तरीका है और इसलिए विदेशी मुद्रा में अंतरणों पर लागू विनियमों के अधीन है।

ii) अनिवासी बैंक के खाते में डेबिट वस्तुत: विदेशी मुद्रा में आवक विप्रेषण है।

2. अनिवासी बैंकों के रुपया खाते रिज़र्व बैंक को पूर्व संदर्भ के बिना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक अपनी समुद्रपारीय शाखाओं या प्रतिनिधियों के नाम में रुपया खाते खोल/ बंद कर सकते हैं (ब्याजरहित)। पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी बैंकों की शाखाओं के नाम में रुपया खाते खोलने के लिए रिज़र्व बैंक का विशिष्ट अनुमोदन आवश्यक है।

3. अनिवासी बैंकों के खाते की फंडिंग

i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक अपनी समुद्रापारीय शाखाओं/ प्रतिनिधियों से विद्यमान दरों पर मुक्त रूप से विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं ताकि भारत में अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने खातों में निधियां रख सकें।

ii) खातों में लेनदेनों की निकट से निगरानी की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समुद्रपारीय बैंक रुपए पर सट्टेबाजी का रुख न अपनाएं। इस प्रकार के किसी भी मामले को रिज़र्व बैंक को अधिसूचित किया जाना चाहिए।

नोट:- फंडिंग के लिए रुपए के विरुद्ध विदेशी मुद्राओं का क्रय या विक्रय प्रतिबंधित है। अनिवासी बैंकों को टू वे दरों का प्रस्ताव भी प्रतिबंधित है।

4. अन्य खातों से अंतरण

एक ही बैंक या विभिन्न बैंकों के खातों के बीच निधियों का अंतरण मुक्त रूप से अनुमत है।

5. रुपए को विदेशी मुद्राओं में बदलना

अनिवासी बैंकों के रुपया खातों में रखी शेष राशियां मुक्त रूप से विदेशी मुद्रा में बदली जा सकती हैं। ऐसे सभी लेनदेन फॉर्म ए 2 में रिकॉर्ड किए जाने चाहिए और खाते में संबंधित डेबिट संबंधित विवरणियों के अधीन फॉर्म ए 3 में होना चाहिए।

6. भुगतान करने वाले और प्राप्त करने वाले बैंकों के उत्तरदायित्व

खातों में क्रेडिट करने वाला बैंकर यह सुनिश्चित करे कि सभी विनियामक आवश्यकताएं पूरी की गई है और यथास्थिति फॉर्म ए 1/ ए 2 में सही प्रकार से प्रस्तुत की गई है।

7. रुपया विप्रेषणों का रिफंड

यह संतुष्ट करने के बाद रिफंड प्रतिपूरक स्वरूप के लेनदेनों के कवर में नहीं किए जा रहे हैं। आवक विप्रेषणों का निरसन या रिफंड रिज़र्व बैंक को संदर्भ किए बिना किया जा सकता है।

8. समुद्रापारीय शाखाओं/ प्रतिनिधियों को ओवरड्राफ्ट/ ऋण

i) सामान्य कारोबारी आवश्यकताएं पुरी करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक अपनी समुद्रपारीय शाखाओं/ प्रतिनिधियों को 500 लाख रुपए अनधिक के समग्र अस्थाई ओवरड्राफ्ट की अनुमति दे सकते हैं। यह सीमा भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों की सभी शाखाओं की बहियों में सभी समुद्रपारीय शाखाओं और प्रतिनिधियों की बकाया जमाराशियों के विरुद्ध है। यह सुविधा खातों की फंडिंग को आस्थगित करने के लिए नहीं की जानी चाहिए। यदि उक्त सीमा से अधिक ओवरड्राफ्ट पांच दिन के भीतर समायोजन नहीं किए जाने जाते तो भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय बाजार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई 400 001 को माह के अंत से 15 दिन के भीतर उसके कारण का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि वैल्यु डेटिंग के लिए व्यवस्था उपलब्ध है, तो ऐसी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।

ii) समुद्रपारीय बैंकों को ऊपर (i) से अधिक की किसी अन्य क्रेडिट सुविधा के इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 23वीं मंजिल, मुंबई 400 001 का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें।

9. निर्यात घरानों के रुपया खाते

भारत में निजी विप्रेषणों को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्यात घरानों के नाम में रुपया खाते खोलने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। 15,00,000[8] रुपए प्रति लेनदेन तक[8] व्यापार लेनदेनों के वित्तीयन के लिए निर्यात घरानों के माध्यम से विप्रेषण की अनुमति है।

---

[8] एपी. (डीआईआर सीरिज) परिपत्र सं. 102 दिनांक 21 मई 2015

भाग ग

अंतर - बैंक विदेशी मुद्रा सौदे

1. सामान्य

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों के बोर्ड विभिन्न खजाना प्रचालनों के लिए यथोचित नीति बनाएं ओर समुचित सीमा निर्धारित करें।

2. पोजीशन और गैप

बोर्ड/ प्रबंध समिति द्वारा अनुमोदन के बाद शीघ्र ही नेट ओवरड्राफ्ट पोजीशन (अनु. I) और समग्र गैप सीमाएं रिज़र्व बैंक को सूचित की जानी चाहिए।

3. अंतर - बैंक लेनदेन

पैरा 1 और के प्रावधानों के अनुपालन की शर्त के अधीन, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक के निम्नानुसार विदेशी मुद्रा के लेनदेन कर सकते हैं:-

क) भारत के प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों के साथ:-

i) रुपए या किसी अन्य विदेशी मुद्रा के विरुद्ध विदेशी मुद्रा का क्रय/ विक्रय स्वैपिंग

ii) विदेशि मुद्रा में जमाराशियां प्लेस करना/ स्वीकार करना और उधार लेना/ देना

ख) समुद्रपारीय शाखाओं के साथ और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के साथ

i) ग्राहक लेनदेनों को कवर करने के लिए या स्वयं की पोजीशन को समायोजित करने के लिए किसी अन्य विदेशी मुद्रा के विरुद्ध विदेशी मुद्रा का क्रय/ विक्रय/ स्वैपिंग

ii) समुद्रपारीय बाजारों में व्यापारिक स्थितियां प्रारंभ करना

नोट:-

क) अनिवासी बैंकों के खातों की फंडिंग - भाग ख का पैरा 3 देखें।

ख) अंतर - बैंक बाजार में विक्रय के लिए फॉर्म ए 2 को पूर्ण किए जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे सभी लेनदेनों की सूचना आर विवरणियों में रिज़र्व बैंक को दी जानी चाहिए।

4. समुद्रपारीय बाजारों में विदेशी मुद्रा खाते/ निवेश

i) विदेशी मुद्रा खातों में प्रवाह मुख्यत: ग्राहक - संबंधित लेनदेनों, स्वैप सौदों, जमाराशियों, उधार आदि के कारण होते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा तक विदेशी मुद्राओं में राशियां रख सकते हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित गैप सीमाओं के पालन की शर्त के अधीन

वे इन खातों में बेशी को अपनी समुद्रपारीय शाखाओं/ प्रतिनिधियों के साथ ओवरनाइट प्लेसमेंट और निवेश के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं।

ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा तक समुद्रपारीय बाजारों में निवेश कर सकते हैं। ऐसे निवेश समुद्रपारीय मुद्रा बाजारों द्वारा/ या ऋण लिखतों में विदेशी राज्य द्वारा एक वर्ष से एक परिपक्वता वाले कम से कम स्टेंडर्ड एंड पुअर/ एफआईटीसीएच या मूडी के एक्वि 3 रेटिंग वाले में किए जा सकते हें। किसी विदेशी राज्य के मुद्रा बाजार लिखतों से इतर ऋण लिखतों में निवेश के प्रयोजन के लिए, जहां आवश्यक हो, बोर्ड देश वार रेडिंग और देश वार सीमा निर्धारित कर सकते हैं।

नोट:- इस खंड के प्रयोजन के लिए मुद्रा बाजार लिखत में ऐसा कोई ऋण लिखत शामिल होगा जिसकी परिपक्वता देय तारीख को एक वर्ष से अधिक न हो।

iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक समुद्रपारीय बाजारों में दीर्घकालिक नियत आय प्रतिभूतियों में अनियोजित एफसीएनआर (बी) में निवेश कर सकते हैं बशर्ते कि निवेश की गई प्रतिभूतियों की परिपक्वता निहित एफसीएनआर (बी) जमाराशियों की परिपक्वता से अधिक न हो।

iv) नोस्त्रों खातों में बोकी राशियों को दिखला रही विदेशी मुद्रा निधियों का प्रयोजन निम्नानुसार किया जा सकता है:-

क) अपनी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निवासी घटकों को ऋण देने के लिए या निर्यातकों/ कंपनियों को रुपया कार्यशील पूंजी/ पूंजीगत व्यय के लिए जिनके पास स्वाभाविक हेज है या एक्सचेंज जोखिम के लिए जोखिम प्रबंधन नीति है बशर्ते कि विवेकपूर्ण/ ब्याज सहित मानदंड, ऋण अनुशासन और ऋण निगरानी दिशानिर्देश हों।

ख) विदेश में भारतीय पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं/ संयुक्त उद्यमों के ऋण सुविदाएं देना जिनमें कम से कम 51 प्रतिशत ईक्विटी निवासी कंपनी द्वारा धारित है, बशर्ते कि भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंककारी विनियमन विभाग) के दिशानिर्देशों का पालन हो।

v) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक समय समय पर बैंककारी विनियमन विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार अदावी शेष खाता असमायोजित नाम/ क्रेडिट प्रविष्टियों को राइट ऑफ/ अंतरित कर सकते हैं।

5. ऋण/ ओवरड्राफ्ट

क) वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उदारों और उनके प्रधान कार्यालय से ऋण/ ओवरड्राफ्ट, समुद्रपारीय शाखाओं और भारत से बाहर प्रतिनिधि बैंकों (ड देखें) या रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत कोई अन्य संस्था और नोस्ट्रो खातों में ओवरड्राफ्ट (पांच दिन में समायोजित न की गई) उनकी औसत टीयर I पूंजी या 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर (या उसके बराबर), जो भी अधिक हो, तीन चार की शर्तों के अधीन, के

100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उपर्युक्त सीमा भारत में सभी कार्यालयों और शाखाओं द्वारा विदेश से उनकी शाखाओं/ प्रतिनिधियों से जिसमें देशी स्वर्ण ऋणों की फंडिंग के लिए स्वर्ण में समुद्रपारीय उधार शामिल हैं, की समूची राशि पर लागू होगी। (देखें डीबीओडी परिपत्र सं.आईबीडी. बीसी 33/ 23.67.001/ 2005-06 दिनांक 5 सितंबर 2005)।

यदि उपर्युक्त सीमा से आहरण पांच दिन के भीतर समायोजित नहीं किए जाते, तो जिस माह अंत में सीमा का अतिक्रमण हुआ, उसके 15 दिन के भीतर एक रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई 400 001 को प्रेषित की जाएगी। यदि वैल्यु ट्रेडिंग की व्यवस्था उपलब्धता है तो ऐसी रिपोर्ट भेजनी आवश्यक नहीं है।

ख) इस प्रकार जुटाई गई निधियों का प्रयोग भारत में घटकों को विदेशी मुद्रा में उधार देने के प्रयोजन से इतर के लिए रिज़र्व बैंक को संदर्भ किए बिना किया जा सकता है। इस नियम के अपवाद के रूप में, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों को उधार ली गई राशियों और आईईसीडी परिपत्र सं. 12/ 04.02.02/ 2002-03 दिनांक 31 जनवरी 2003 के अनुसार निर्यात ऋण के लिए विदेशी मुद्रा ऋण देने के लिए स्वैप के माध्यम से प्राप्त निधियों का प्रयोग करने की अनुमति है। इस सीमा से अधिक कोई नया उधार केवल रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से लिया जाएगा। नए ईसीबी के लिए आवेदन वर्तमान ईसीबी नीति के अनुसार किए जाएं।

निम्नलिखित उधार आयात टीयर I पूंजी के 100 प्रतिशत या 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर (या उसके बराबर), जो भी अधिक हो, से की सीमा से बाहर रहेंगी।

i) निर्यात ऋण के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों द्वारा समुद्रपारीय उधार निर्यातकों को रुपया/ विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण और ग्राहक सेवा पर डीबीओडी मास्टर परिपत्र दिनांक 2 जुलाई 2015 में निर्धारित शर्तों के अधीन।

ii) विदेशी बैंकों के प्रधान कार्यालयों द्वारा भारत में अपनी शाखाओं के साथ टीयर II पूंजी के रूप में रखा गौण ऋण।

iii) परिपत्र डीबीओडी. सं. बीपी. बीसी. 57/ 21.01.002/ 2005-06 दिनांक 25 जनवरी 2006, डीबीओडी सं. बीपी. बीसी 23/ 21.01.002/ 2006-07 दिनांक 21 जुलाई 2006 और परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी. बीसी. 98/ 21.06.201/ 2011-12 दिनांक 2 मई 2012 के अधीन विदेशी मुद्रा में नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत और ऋण पूंजी लिखत जारी करके पूंजी निधियां जुटाई गई/ वृद्धि की गई है।

घ) रिज़र्व बैंक के पुर्व अनुमोदन के बिना ऋणों/ ओवरड्राफ्ट पर ब्याज विप्रेषित किया जा सकता है (कर काट कर)।

ङ) प्राधिकृत[9] व्यापारी श्रेणी - I बैंक उन्हीं बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं/ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण ले सकती हैं जिनमें भारत सरकार एक शेयरधारक सदस्य है या एक से अधिक सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या एक से अधिक सरकार और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की शेयरधारिता है।

च) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों की अज्ञात टीयर I पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक उधार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

i) बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित समुद्रपारीय उधार के संबंध में नीति होनी चाहिए जिससे जोखिम प्रबंधन प्रथाएं हों जो विदेश में विदेशी मुद्रा में उधार लेते समय बैंक पालन करेगा।

ii) बैंक 12.0 प्रतिशत सीआरएआर बनाए रखेगा।

iii) वर्तमान सीमा से अधिक के उधार तीन वर्ष की न्यूनतम परिपक्वता के होंगे।

iv) अन्य सभी वर्तमान मानदंड (एफईएमए विनियम, एनओपीएल मानदंड आदि) लागू रहेंगे।

---

[9] एपी. (डीआईआर सीरिज) परिपत्र सं. 112 दिनांक 25 जून 2015

भाग घ

वस्तुओं और सेवाओं के भारतीय निर्यातकों और आयातकों द्वारा कवर्ड कॉल और पुट करेंसी आप्शन लिखत [10]

भागीदार

क) **बाजार - सृजक -** भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक जिनके पास क्रॉस करेंसी और विदेशी मुद्रा - भारतीय रुपया आप्शन के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन है।

ख) **उपयोगकर्ता** - साझे खजाना और समेकित शेष राशियों वाली सूचीबद्ध कंपनियों और उनकी सहायक संस्थाएं/ सयुक्त उद्यम साथी या कम से कम 200 करोड़ रुपए के न्यूनतम निवल मालियत वाली असूचीबद्ध कंपनियां बशर्ते कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार यथोचित वित्तीय विवरणों में यथोचित प्रकटीकरण किया गया है।

2. उत्पाद

क) कवर्ड कॉल - भारत में निवासी निर्यातक भारत से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के कारण संविदागत एक्सपोज़र के विरुद्ध भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक को स्टेंड अलोन एकदम सादा यूरोपियन कॉल आप्शन संविदा लिख (विक्रय) कर सकता है।

ख) कवर्ड पुट - निवासी आयातक भारत में वस्तुओं और सेवाओं के कारण संविदागत एक्सपोज़र के विरुद्ध भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक को स्टेंड अलोन एकदम सादा यूरोपियन पुट आप्शन लिख (विक्रय) सकता है।

ग) कवर्ड आप्शन करने के प्रयोग को हेजिंग रणनीति नहीं माना जाएगा।

घ) निहित नकदी लिखत और सामान्य व्युत्पन्न उत्पाद का मिश्रण होने के कारण कवर्ड कॉल और कवर्ड पुट आप्शन को समय समय पर यथासंशोधित व्युत्पन्न पर व्यापक दिशानिर्देश के संबंध में परिपत्र डीबीओडी. सं. बीपी. बीसी. 86/ 21.04.157/ 2006-07 दिनांक 20 अप्रैल 2007 के अनुसार सुनियोजित व्युत्पन्न माना जाएगा।

3. परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

क) उपर्युक्त परिपत्र के पैरा (2) (घ) में उल्लिखित और बाद के संशोधन, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, सामान्य रूप से व्युत्पन्न उत्पाद और विशेष रूप से सुनियोजित उत्पादों को नियंत्रित कर रहे दिशानिर्देश कवर्ड आप्शन पर लागू होंगे।

---

[10] एपी. (डीआईआर सीरिज) परिपत्र सं. 78 दिनांक 23 जून 2016 कवर्ड आप्शन जो हेजिंग/ जोखिम प्रबंध रणनीति नहीं माने जाते हैं, के संबंध में दिसानिर्देश इस मास्टर निदेश में शामिल किए गए हैं जिससे कि विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न के संबंध में एक ही संदर्भ दस्तावेज हो।

ख) इस मास्टर निदेश के भाग क अनुभाग I में क्रॉस करेंसी और विदेशी मुद्रा - भारतीय रुपया आप्शन में उल्लिखित बुक के अनुसारअपने सक्षम अधिकारी/ (बोर्ड/ जोखिम समिति/ एनएलसीओ) से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक अपने निर्यातक या आयातक घटकों के साथ कवर्ड आप्शन करें।

ग) आप्शन राइटर का जोखिम प्रबंधन प्रण्लयों वित्तीय सशक्तता के आकलन की जिम्मेदारी पूर्णतया संबंधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक की होगी। आप्शन राइटर के लगातार लाभप्रदता, उच्चतर निवल मालियत, टर्न ओवर जैसे मानकों के आधार पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंको यथायोग्य विनिर्दिष्ट कर सकते हैं।

घ) निहित के अंशत: या पूर्ण मूल्य के विरुद्ध कवर्ड आप्शन लिखे जा सकते हैं।

ड) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक जिस कवर्ड आप्शन के विरुद्ध आप्शन लिखा गया है उस एक्सपोज़र को "अनहेज्ड एक्सपोज़र" मानेंगे। तद्नुसार, अन्हेज्ड फोरेन करेंसी एक्सपोज़र के साथ संस्थाओं के लिए पूंजी और प्रावधान आवश्यकताओं के संबंध में रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी. बीसी. 85/ 21.06.200/ 2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 के साथ जारी दिशानिर्देश लागू होंगे।

च) 12 माह की अधिकतम परिपक्वता की शर्त के अधीन कवर्ड आप्शन निहित की परिपक्वता अवधि तक के लिखे जा सकते हैं।

छ) संबंधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक द्वारा निहित के सत्यापन की शर्त के अधीन कवर्ड आप्शन मुक्त रूप से निरस्त और फिर से बुक किए जा सकते हैं।

ज) निहित पात्र संविदागत एक्सपोज़र के लिए, आप्शन सैलर कवर्ड आप्शन को या तो एकल एफसीवाई - भारतीय रुपया आप्शन के रूप में या एफसीवाई - यूएसडी और यूएसडी - भारतीय रुपया चरणों के लिए अलग आप्शन के रूप में लिख सकता है।

झ) इस मास्टर निदेश के भाग क, अनुभाग I (क) में संविदागत एक्सपोज़र के अधीन - फॉरवर्ड फोरेन एक्सचेंज संविदा, क्रॉस करेंसी आप्शन (रुपए के बिना) और फोरेन करेंसी - भारतीय रुपया आप्शन के अधीन परिचालनात्मक दिशानिर्देश और शर्तें कवर्ड आप्शन पर लागू होंगे।

ञ) इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित को छोड़कर, किसी और व्युत्पन्न या नकदी लिखत के साथ कोई कवर्ड आप्शन नहीं किया जाएगा।

ट) समय - समय पर यथासंशोधित व्युत्पन्न पर व्यापक दिशानिर्देशों के अधीन प्रावधान के अनुसार, निर्यातकों और आयातकों द्वारा उन्हें विक्रय किए गए कवर्ड आप्शन के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी ऐसे मार्जिन/ लिक्विड कॉलेटरल रख सकते हैं।

ठ) समय - समय पर यथासंशोधित हमारे परिपत्र एफएसडीएसएस. आरजी. सं. 75/ 02.05.002/ 2012-13 दिनांक 13 मार्च 2013 के अनुसार अपने घटकों के साथ कवर्ड आप्शन कर रहे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक ओटिसी फोरेन एक्सचेंज व्युत्पन्न के लिए सीसीआईएल के रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर सूचना दें।

4. उपर्युक्त के अलावा, इस मास्टर निदेश के बाग ग में अनुभाग (1) (बी) के अधीन "भारत में निवासियों द्वारा ओटिसी फोरेन व्युत्पन्न संविदा के लिए सामान्य अनुदेश" आवश्यक परिवर्तनों के साथ कवर्ड आप्शन पर लागू होंगे।

रिज़र्व बैंक को रिपोर्टें:-

i) प्रत्येक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक का मुख्य/ प्रधान कार्यालय अनुंबध II के फॉर्मेट के अनुसार ओआरएफएस के माध्यम से फॉर्म एफटीडी में फोरेन एक्सचेंज टर्नओवर, और फॉर्म डीपीबी में गैप्स, पोजीशन एंड कैश बैलेन्सिस की दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

ii) प्रत्येक श्रेणी I बैंक का मुख्य प्रधान कार्यालय अनुभाग III के फॉर्मेट में मासिक आधार पर नोस्त्रो/ वोस्त्रो खाता शेष का विवरण निदेशक, अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रभाग्, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 8वीं मंजिल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को अग्रेषित करेगा। फॉर्मेट में दिए गए नंबर/ पते पर डेटा फैक्स या ई-मेल से भेजा जाए।

iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक निवासियों द्वारा क्रॉस करेंसी व्युत्पन्न के डेटा समेकित करें और अनुबंध IV के फॉर्मेट के अनुसार छमाही आधार पर (जून और दिसंबर) रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट ई-मेल से भी अग्रेषित की जाए ताकि अगले माह की 10 तारीख तक विभाग में प्राप्त हो जाए।

iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक अनुबंध V के अनुसार प्रत्येक तिमाही के अंत में विदेशी मुद्रा में एक्सपोज़र के विवरण अग्रेषित करें। एडी, एक्सबीआरएल के माध्यम से जो https://secweb.rbi.org.in/orfxbre/ पर उपलब्ध हैं। सितंबर 2013 को समाप्त तिमाही से संशोधित फॉर्मेट में आनलाइन भेजें। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक जो एक्सआरबीएल सिस्टम को एक्सेस करने के लिए लॉग इन आईडी/ पासवर्ड चाहते हैं, अपने ई-मेल पते और संपर्क नंबर ई-मेल पर भेजें। कृपया ध्यान दें कि निर्धारित मानदंड पूरा करने वाले सभी कंपनी ग्राहकों के एक्सपोज़र के विवरण रिपोर्ट में शामिल किए जाएं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक यह रिपोर्ट बैंक की बहियों के आधार पर प्रस्तुत करें और कंपनी विवरणियों के आधार पर नहीं।

v) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक अनुबंध VIII कर अनुसार फॉर्मेट में दिए गए आप्शन लेनदेनों के विवरण (एफसीवाई - भारतीय रुपया) साप्ताहिक आधार पर अग्रेषित करें। रिपोर्ट ई-मेल से भी अग्रेषित की जाए ताकि विभाग को अगले माह की 10 तारीख तक मिल जाए।

vi) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक अनुबंध IX के अनुसार सभी श्रेणियों के अधीन बकाया विदेशी मुद्रा उधार रिपोर्ट करें। रिपोर्ट अगले माह की 10 तारीख तक प्राप्त हो जानी चाहिए। रिपोर्ट ई-मेल से भी अग्रेषित की जाए ताकि अगले माह की 10 तारीख तक प्राप्त हो जाए।

vii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक पिछले निष्पादन के आधार पर अनुबंध X में फॉर्मेट के अनुसार फॉर्वर्ड संविदा की बुकिंग सुविधा के अधीन अपने घटकों को प्रदान की गई और प्रयुक्त सीमा के बारे में एक मासिक रिपोर्ट (प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार) प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट ई-मेल से भी अग्रेषित की जाए ताकि अगले माह की 10 तारीख तक विभाग में पहुंच जाए।

viii) प्रत्येक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक का मुख्य/ प्रधान कार्यालय ओएफआरएस के माध्यम से बीएएल फॉर्म में संबंधित अवधि के समाप्त होने से सात कैलेंडर दिन के अंदर पखवाड़े के आधार पर विदेशी मुद्राओं में अपनी धारिताओं का विवरण प्रस्तुत करेगा।

ix) अनुबंध XII के अनुसार एफपीआई के संबंध में लिए गए कवर, एफपीआई फंड का नाम, कवर की पात्रता राशि, वास्तव में लिया गया कवर, आदि के संबंध में मासिक विवरण अगले माह की 10 तारीख तक प्रस्तुत किया जाए। रिपोर्ट ई-मेल से भी अग्रेषित की जाए ताकि अगले माह की 10 तारीख तक विभाग में पहुंच जाए।

x) प्रत्येक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक की प्रधान/ मुख्य शाखा अपनी उन सभी कार्यालयों/ शाखाओं की सूची (तीन प्रतियों में, प्रत्येक वर्ष दिसंबर अंत की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक को उन अनिवासी बैंकों की सूची प्रस्तुत करेगा जो रुपया खाते रख रहे हैं जिसमें रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित कोड भी होगा।) यह सूची अगले वर्ष की 15 जनवरी से पहले प्रस्तुत की जाए। कार्यालय/ शाखा रिज़र्व बैंक के कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अनुसार वर्गीकृत किए जाएं। रिपोर्ट अगले माह की 10 तारीख से पहले ई-मेल से भी भेजी जाए।

xi) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक अनुबंध XIV के अनुसार अगलेमाह के पहले सप्ताह में एसएमई और निवासी व्यक्तियों, फर्म और कंपनियों द्वारा बुक और निरस्त किए गए फॉरवर्ड संविदा की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट अगले माह की 10 तारीख के पहले ई-मेल से भी भेजी जाए।

xii. प्राधिकृत व्यापारी योजना के अधीन अनिवासियों द्वारा किए गए लेनदेनों का समेकन करें और अनुबंध XIX के अनुसार तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

xiii. प्राधिकृत व्यापारी अनुबंध XX के फॅर्मेट के अनुसार अनिवासियों द्वारा हेज लेनदेनों तथा/ या बार-बार निहित के निरस्त करने के संबंध में तिमाही आधार पर संदिग्ध लेनदेनों की सूचना दें। रिपोर्ट अगले महीने की 10 तारीख से पहले ई-मेल से भी भेजी जाए।

रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय् बाजार विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 23वीं मंजिल, मुंबई को भेजी जाए, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो। रिपोर्टें अधिमानत: ई-मेल से भेजी जाएं।

अनुबंध I

(पैरा 2 भाग ग देखें)

क. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक के लिए विदेशी मुद्रा एक्सचेंज सीमाओं के लिए दिशानिर्देश

प्राधिकृत व्यापारियों की एक्सपोज़र सीमाएं दो प्रकार की होंगी:-

i) फोरेक्स जोखिम पर पूंजी प्रभार की गणना के लिए एनओपीएल

ii) विनिमय दर प्रबंध के लिए रुपए के संबंध में पोजीशन

सीमा I

भारत में निगमित बैंकों के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा में उनकी समुद्रपारीय शाखाओं और ऑफ-शोर बैंकिंग इकाइयों सहित सभी शाखाओं का जोड़ होगा। विदेशी बैंकों के लिए सीमा में केवल भारत में उनकी शाखाएं होंगी।

i. फोरेक्स जोखिम पर पूंजी प्रभार की गणना के लिए एनओओपीएल

एनओओपीएल का निर्धारण संबंधित बैंकों के बोर्ड द्वारा किया जाए और उसकी सूचना तुरंत रिज़र्व बैंक को दी जाए। तथापि, ऐसी सीमाएं बैंक की कुल पूंजी (टीयर I और टीयर II) के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नेट ओपन पोजीशन की गणना निम्नानुसार की जाए:-

- **एक ही मुद्रा में नेट ओपन पोजीशन की गणना**

  पहले प्रत्येक विदेशी मुद्रा के लिए ओपन पोजीशन की गणना की जाए। किसी मुद्रा में ओपन पोजीशन है - क) नेट ओपन पोजीशन, ख) नेट फॉरवर्ड पोजीशन और ग) नेट आप्शन पोजीशन का जोड़

क) नेट स्पॉट पोजीशन

नेट स्पॉट पोजीशन है:- तुलन पत्र में विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का अंतर। इसमें सभी उपचित आय/ व्यय शामिल होंगे।

ख) नेट फॉरवर्ड पोजीशन

संपन्न का लिए जाएं। सभी विदेशी मुद्रा लेनदेनों के परिणामस्वरूप, सभी प्राप्य राशियों में से भविष्य में भुगतान की जाने वाली राशियां भुगतान की जाने वाली राशियां घटा दी जाएंगी। इन राशियों में, जो बैंक की बहियों में ऑफ - बैलेंस शीट मदों के रूप में दर्ज़ की जाती है:-

i. जिन स्पॉट लेनदेनों का अभी निबटान नहीं किया गया है।

ii. फॉरवर्ड लेनदेन

iii. विदेशी मुद्राओं में गारंटी और उसी प्रकार की प्रतिबद्धताएं जिनका कॉल किया जाना निश्चित है।

iv. नेट फ्यूचर आय/ व्यय जो अभी उपचित नहीं हुई है लेकिन पूरी तरह से हेज है (रिपोर्टिंग बैंक के विवेकाधिकार पर)।

v. करेंसी फ्यूचर के संबंध में प्राप्त/ दत्त राशियों का नेट, और करेंसी फ्यूचर/ स्वैप पर मूल

ग) नेट आप्शन पोजीशन

प्राधिकृत व्यापारी के आप्शन जोखिम प्रबंध प्रणाली में दिखाए गए अनुसार पोजीशन है - डेबिट - ईक्विटी बैलेंस स्पॉट करेंसी पोजीशन और इसमें डेटरा हेज शामिल हैं जिन्हें ऊपर I (क) या I (ख) में (i) और (ii) में शामिल नहीं किया गया है।

2. समग्र नेट ओपन पोजीशन की गणना

इसमें विभिन्न मुद्राओं में बैंक के लॉंग और शॉर्ट पोजीशण के मिश्रण में निहित जोखीम है। समग्र नेट ओपन पोजीशन की गणना के लिए यह निर्णय लिया गया है कि "शॉर्ट हैंड मैथड" अपनाया जाए जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत है। इसलिए, बैंक समग्र नेट ओपन पोजीशन की गणना निम्नानुसार करे:-

i. प्रत्येक करेंसी में (पैरा I) नेट ओपन पोजीशन की गणना

ii. स्वर्ण में नेट ओपन पोजीशन की गणना

iii. रिज़र्व बैंक/ एफईडीएआई के दिशानिर्देशो के अनुसार विभिन्न मुद्राओं और स्वर्ण की नेट ओपन पोजीशन को रुपए में बदलना। फॉरवर्ड एक्सचेंज संविदा सहित सभी व्युत्पन्न लेनदेनों की सूचना पीवी समायोजन के आधार पर दी जाए।

iv. सभी नेट शॉर्ट पोजीशन का जोड़ किया जाए।

v.सभी नेट लॉंग पोजीशन का जोड़

समग्र नेट विदेशी मुद्रा पोजीशन (iv) या (v) में से उच्चतर है। उपर्युक्त के अनुसार गणना की गई समग्र नेट विदेशी मुद्रा पोजीशन को बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित कुल सीमा के भीतर रखा जाए।

नोट:- नेट ओपन पोजीशन की णना के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत डीलर बैंक पीवी समायोजन के आधार पर फॉरवर्ड एक्सचेंज संविदा सहित सभी व्युत्पन्न लेनदेनों की सूचना दें। पीवी समायोजन के प्रयोजन के लिए, प्राधिकृत डीलर बैंक अपनी पसंद का यील्ड कर्व चुन सकते हैं। तथापि, बैंक अपने एएलसीओ द्वारा अनुमोदित आतंरिक नीति का प्रयोग करें।

3. ऑफ-शोर एक्सपोजर

समुद्रपारीय उपस्थिति वाले बैंकों के लिए, उपर्युक्त पद्धति के अनुसार ऑफ-शोर एक्सपोजर की गणना स्टेंड अलोन आधार पर की जाए और ऑन-शोर एक्सपोजर के साथ नेट न किया जाए। समग्र सीमा को

(ऑन-शोर + ऑफ-शोर) को नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन कहा जाए (एनओओपी) और यह पूंजी प्रभार के अधीन होगा। ओपन पोजीशन की गणना के लिए विदेशी शाखाओं के संचित बेशी को हिसाब में न लिया जाए। उदाहरण:-

किसी बैंक की तीन शाखाएं है और तीन शाखाओं की पोजीशन निम्नानुसार है:-

शाखा क + 15 करोड़ रुपए

शाखा ख + 5 करोड़ रुपए

शाखा ग - 12 करोड़ रुपए

सबको मिलाकर समुद्रपारीय शाखाओं ओपन पोजीशन 20 करोड़ रुपए होगी।

4. पूंजी आवश्यकता

समय - समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार

5. अन्य दिशानिर्देश

i. प्राधिकृत डीलर के एएलसीओ/ आतंरिक लेखा परीक्षा समिति सीमाओं के प्रयोग और सीमा के पालन पर निगरानी रखे।[11]

ii. प्राधिकृत व्यापारी एक ऐसी प्रणाली स्थापित करें जिसमें, जब भी आवश्यक हो, एनओओपी के विभिन्न संघटकों का रिज़र्व बैंक द्वारा सत्यापन किया जा सके।

iii. विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र सीमाओं की गणना के लिए प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा कारोबारी दिन के अंत तक किए गए लेनदेनों की गणना की जानी चाहिए। कारोबारी दिन के अंत के बाद किए गए लेनदेनों को अगले दिन की स्थिति के लिए हिसाब में लिया जाए। दिन के अंत का समय बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाए।

iv. विनिमय दर प्रबंध के लिए रुपए की पोजीशन की स्थिति

क. बाजार की स्थिति के अनुसार, रिज़र्व बैंक के विवेकाधिकार पर प्राधिकृत व्यापारियों के लिए [7]एनओपी - भारतीय रुपया निर्धारित किया जाए।

---

[11] रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) पूंजी का अभिप्राय टीयर I पूंजी है।

ख) एनओपी - भारतीय रुपया पोजीशन की गणना लाँग और शॉर्ट ऑन-शोर पोजीशन (शॉर्ड हैंट पद्धति द्वारा) को नेट करके और उसमें ऑफ-शोर शाखाओं की नेट भारतीय रुपया पोजीशन को जोड़ दिया जाना चाहिए।

ग) एक्सचेंजों में करेंसी फ्यूचर/ आप्शन में बैंकों द्वारा ली गई पोजीशन, एनओपी - भारतीय रुपया का हिस्सा होंगे।

घ) ओपन पोजीशन के संबंध में, उतार-चमाव बाजार अंत/पुनर्मूल्यन के दौरान वृद्ध आप्शन ग्रीक्स के कारण बेशी को तकनीकी उल्लंघन माना जाए। तथापि, इन उल्लंघनों का बैंकों द्वारा यथोचित ऑडिट ट्रेल द्वारा निगरानी की जाए। ऐसे यथोचित उल्लंघनों को यथोचित प्राधिकारी (एएलसीओ/ आतंरिक लेखापरीक्षा समिति) द्वारा नियमित और पुष्टि की जाए।

ख) एग्रीमेंट गैप लिमिट (एडीएल)

i. iii. iv. v. एडीएल का निर्धारण संबंधीत बैंकों के बोर्ड द्वारा किया जाए और उसकी सूचना तुरंत रिज़र्व बैंक को दी जानी चाहिए। तथापि, ऐसी सीमाएं बैंक की कुल पुंजी के 6 गुणा से अधिक (टीयर I और II पूंजी) नहीं होनी चाहिए।

ii. तथापि, जिन प्राधिकृत व्यापारियों ने समग्र विदेशी मुद्रा गैप रिस्क में बेहतर उपाय जैसे कि अवधि वार पीवी 01 सीमा और वीएआर से स्थापित किए हैं, उन्हें एजीएल के स्थान पर उनकी पूंजी, जोखिम क्षमता आदि के आधार पर पीवी 01 और वीएआर स्थापित करने की अनुमति है और उसकी सूचना रिज़र्व बैंक को दें। इस सीमा की कार्यविधि और गणना का प्रलेखीकरण आंतरिक नीति के रूप में किया जाना चाहिए और उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

अनुबंध II

[भाग ड, पैरा (i) देखें]

फोरेक्स टर्नओवर डेटा की सूचना एटिडी और जीपीवी एफटीडी और जीपीवी तैयार करने के लिए दिशानिर्देश और फॉर्मेट नीचे दिए गए हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक यह सुनिश्चित करें कि रिपोर्ट इन दिशानिर्देशों के आधार पर सही प्रकार से समेकित की जाती हैं। किसी विशेष दिन के लिए डेटा अगले कार्यदिवस को कारोबार की समाप्ति तक हमे पहुंच जाना चाहिए।

एफटीडी

1. स्पॉट - " स्पॉट" लेनदेनों के अधीन केवल प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों के बीच विदेशी मुद्रा स्वैप रिपोर्ट किए जाएं।

2. स्वैप - स्वैप लेनदेनों के अधीन केवल प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों के बीच विदेशी मुद्रा स्वैप रिपोर्ट किए जाएं। इस रिपोर्ट में दीर्घकालिक स्वैप (क्रॉस-करेंसी और विदेशी मुद्रा स्वैप दोनों) इसमें शामिल न किए जाएं। स्वैप लेनदेनों की सूचना एक ही बार दी जाए और " स्पॉट" या "फॉरवर्ड" लेनदेनों में शामिल न किया जाए। बाय/ सेल स्वैप को "पर्चेज" साइड में स्वैप के अधीन और सेल/ बाय स्वैप को "सेल" साइड में दिखाया जाना चाहिए।

3. फॉरवर्ड का निरसन

व्यापारियों से पर्चेज के विरुद्ध फॉरवर्ड संविदा निरसन के अधीन रिपोर्ट की सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक निरस्त फॉरवर्ड मर्चेंट सेल संविदा का जोड़ होगा (बाजार में सप्लाई को बढ़ाते हुए)। निरस्त फॉरवर्ड पर्चेज संविदा का जोड़ दिखाया जाना चाहिए (बाजार में माँग को बढ़ाते हुए)।

4. एफसीवाई/ एफसीवाई लेनदेन

लेनदेनों के दोनों चरणो की सूचना संबंधित कॉलम में दी जाए। उदाहरण के लिए ईयूआर/ यूएसडी पर्चेज संविदा में, ईयूआर राशि पर्चेज साइड में शामिल की जाए जबकि यूएसडी राशि सेल साइड में शामिल की जाए।

5. रिज़र्व बैंक के साथ लेनदेन अंतर- बैंक लेनदेनों में शामिल किए जाएं। विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत बैंकों से इतर वित्तीय संस्थाओं के साथ लेनदेन व्यापारिक लेनदेनों के अधीन शामिल किए जाने चाहिए।

जीपीबी

1. विदेशी मुद्रा शेष - विदेशी मुद्रा में सभी नकद राशियां और निवेश अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित की जाएं और इस शीर्ष के अधीन रिपोर्ट की जाए।

2. नेट ओपन एक्सचेंज पोजीशन - इसमें करोड़ रुपयों में प्राधिकृत व्यापारी की कुल ओवरनाइट नेट ओपन एक्सपोज़र पोजीशन का उल्लेख होना चाहिए। नेट ओपन एक्सपोज़र पोजीशन की गणना अनुबंध I में दिए गए अनुदेशों के आधार पर की जानी चाहिए।

3. उपर्युक्त एफसीवाई/ भारतीय रुपया में से, रिपोर्ट की जाने वाली राशि है - रुपए के विरुद्ध पोजीशन - अर्थात नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन घटा कर, यदि कोई हो।

एफटीडी और जीपीबी विवरणों का फॉर्मेट

एफटीडी

------दिनांक को विदेशी मुद्रा के दैनिक टर्नओवर का विवरण

व्यापारी					अंतर-बैंक		
		स्पॉट, कैश, रेडी, टीटी आदि	फॉरवर्ड	फॉरवर्ड का निरसन	स्पॉट	स्वैप	फॉरवर्ड
एफसीवाई/ आईएनआर	से पर्चेज						
	को सेल						
एफसीवाई/ एफसीवाई	से पर्चेज						
	को सेल						

जीपीबी

---को गैप पोजीशन और नकदी शेषों का विवरण

विदेशी मुद्रा शेष नकदी + सभी निवेश	:	मिलियन अमेरिकी डॉलर में
नेट ओपन एक्सचेंज पोजीशन (रन)	:	ओ/ वी (+) ओ/ एस - भारतीय रुपए में करोड़ रुपए में
ऊपर एफसीवाई/ आईएनआर में से	:	करोड़ (भारतीय रुपए में)
एजीएल (मायो अमेरिकी डॉलर में)	:	वीएआर (भारतीय रुपए में)

विदेशी मुद्रा परिपक्वता
मिसमैच (मिलयन अमेरिकी डॉलर में)

I माह	II माह	III माह	IV माह	V माह	VI माह	> माह VI

अनुबंध III

(पैरा ii भाग ङ देखें)

- माह के लिए नोस्त्रो/ वोस्त्रो शेषों का विवरण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक का नाम और पता

क्र.सं.	करेंसी	मुद्रा नेट	नोस्त्रों खाते में शेष	वोस्त्रो खाते में शेष
1.	यूएसडी			
2.	ईयूआर			
3.	जेपीवाई			
4.	जीबीपी			
5.	भारतीय रुपया			
6	अन्य मुद्रा			

नोट:- यदि प्रत्येक मद में (1 से 5) एक माह में 10% से अधिक बदलाव हैं तो फुटनोट के रूप में कारण दिया जाए।

यह विवरण निदेशक, अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 8वीं मंजिलं, मुंबई 400 001 को संबोधित किया जाना चाहिए।

फोन:- 022 - 2266 3791

फैक्स:- 022 2262 2993

022 2266 0792

अनुबंध IV

(देखें भाग ड पैरा iii)

क्रॉस करेंसी व्युत्पन्न लेनदेन

----को समाप्त छमाही के लिए

उत्पाद	विवरण लेनदेनों की संख्या	यूएसडी में सांकेतिक मूल राशि
ब्याज दर स्वैप		
करेंसी स्वैप		
कूपन स्वैप		
विदेशी मुद्रा आप्शन		
ब्याज दर कैप या कॉलर (पर्चेज)		
फॉरवर्ड रेट कमार		
समय - समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत कोई अन्य उत्पाद		

अनुबंध V

[कृपया भाग ङ, पैराग्राफ (iv) देखें]

---------- को विदेशी करेंसी में एक्सपोज़र से संबंधित सूचना

------को विदेशी करेंसी में एक्सपोज़र से संबंधित सूचना बैंक का नाम										------को विदेशी करेंसी में एक्सपोज़र से संबंधित सूचना बैंक का नाम						इ. रुपया देयता पर आधारित आईएनआर / एफसीवाई करेंसी स्वैप
अ. आधार लेनदेनों (यूएसडी मिलियन) के आधार पर एक्सपोज़र एवं बचाव										आ. पिछले निष्पादन (यूएसडी मिलियन) के आधार पर एक्सपोज़र एवं बचाव						
क्र. सं.	कॉरपोरेट का नाम	ट्रेड संबंधी						गैर-ट्रेड								
		निर्यात		आयात		बकाया अल्पावधि वित्त		एक्सपोज़र	बचाव राशि	निर्यात			आयात			
		एक्सपोज़र	बचाव राशि	एक्सपोज़र	बचाव राशि	एक्सपोज़र	बचाव राशि			पात्र सीमा	उपचित बचाव राशि	बकाया राशि	पात्र सीमा	उपचित बचाव राशि	बकाया राशि	
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
नो																

ट:-															
क. खरीदे गए/ बट्टा वाले/ पराक्रम्य वाले निर्यात बिल शामिल न किए जाएं।															
ख. स्थापित एल/सि/ एलसी के तहत बिल का अग्रिम भुगतान किया जाए/ बकाया आयात संग्रहण बिल शामिल किए जाएं।															
ग. डॉटा बैंक की बही के आधार पर प्रस्तुत किए जाएं न कि कॉरपोरेट के विवरण के आधार पर।															
घ. अल्पावधि वित्त में बैंक/ पीसीएफसी द्वारा अनुमोदित ट्रेड क्रेडिट (क्रेता क्रेडिट/ आपूर्तिकर्ता क्रेडिट) को शामिल किया जाए।															
ङ. गैर ट्रेड एक्सपोज़र में बैंक/ एफसीएनआर (5) ऋण आदि द्वारा हैंडिल किए गए ईसीबी, एपसीसीबी मामले शामिल किए जाएं।															
च. जिन मामलों में एक्सपोज़र या लिए गए बचाव 25 मिलियन यूएसडी इसके समतुल्य से अधिक हैं तो इसकी कॉरपोरेट वार डॉटा की रिपोर्ट की जाए।															
छ. जिन बचाव में एक लेग के रूप में रुपया है उनकी रिपोर्ट की जाए।															
ज. आप्शन ढ़ांचे के मामले में उच्चतम आनुमानिक राशि की रिपोर्ट की जाए।															
झ.रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश अनुसार पात्र राशि की गणना की जाने की स्थिति में राशि 25 मिलियन यूएसडी इसके समतुल्य से अधिक होने की स्थिति में भाग आ में कॉर्पोरेट वार रिपोर्ट की जाए।															
ञ. भाग आ में बचाव राशि के तहत वित्त वर्ष के दौरान बुक की गई बचाव की कुल राशि रिपोर्ट की जाए।															
ट. बचाव की गई राशि एवं भाग आ में बकाया राशि के तहत पिछले वर्ष के दौरान बुक की गई राशि एवं बकाया राशि को शामिल न किया जाए।															
ठ. जिन मामलों में बैंकों ने कॉरपोरेट के लिए कुछ पीपी सीमा निर्धारित की है उनकी रिपोर्ट भाग आ में की जाए।															

नोट:- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक सितंबर 2013 को समाप्त तिमाही से उक्त तिमाही रिपोर्ट एक्सटिंसीबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्रणाली (इसे https://secweb.rbi.org.in/orfsxbrl से एक्सेस किया जा सकता है) के माध्यम संशोधित फॉर्मेट में ऑन लाइन प्रस्तुत करें।

अनुबंध VI

[भाग क खंड I पैरा 2 (ज) (iv) देखें]

पिछले निष्पादन सुविधा के अधीन बुक/ निरस्त की गई राशियों की घोषणा का फॉर्मेट

(कंपनी के पत्रशीर्ष पर)

तारीख

प्रति

बैंक का नाम और पता

महोदय,

विषय:- पिछले निष्पादन सुविधा के अधीन बुक/ निरस्त की गई राशियों की घोषणा

हम प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों/ बैंकों (एडी श्रेणी/ बैंकों के साथ) पिछले निष्पादन सुविधा के आधार पर, विदेशी मुद्रा के संबंध में फॉरवर्ड या आप्शन संविदा बुक करने का संदर्भ देते हैं, विशेषकर इस संबंध को हमारे द्वारा आपको दिनांक --- को प्रस्तुत वचनपत्र के संबंध में उपर्युक्त वचनपत्र के अनुसार, हम सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों के साथ बुक किए गए लेनदेनों की राशि हम एतदद्वारा घोषणा प्रस्तुत करते हैं।

हम निम्नलिखित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों के साथ पिछली निष्पादन सीमा का प्रयोग कर रहे हैं।

एफईएमए विनियमों के अधीन सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों के साथ उक्त पिछली निष्पादन सुविधा के अधीन हम बुक/ निरस्त की गई राशियों के संबंध में नीचे सूचना प्रस्तुत कर रहे हैं:-

पिछले निष्पादन के अधीन पात्र सीमा	अप्रैल से लेकर आज तक सभी एडी के साथ बुक संविदा की समग्र राशि	अप्रैल से लेकर आज तक सभी एडी के साथ निरस्त संविदा की समग्र राशि	आज की तारीख को एडी के साथ बकाया संविदा की राशि	आज की तारीख को प्रयुक्त राशि (दस्तावेजों की सुपुर्दगी से)	पिछले निष्पादन के अधीन उपलब्ध सीमाएं

भवदीय

के लिए

(मुख्य वित्तीय अधिकारी) कंपनी सेक्रेटरी

अनुबंध VII

[भाग क खंड I पैरा 2 (ङ) देखें]

50 प्रतिशत से अधिक पिछली निष्पादन सीमा के प्रयोग के लिए घोषणा का फॉर्मेट और आयात/ निर्यात टर्नओवर, अतिदेय, आदि का विवरण

(कंपनी के पत्रशीर्ष पर)

प्रति,

बैंक का नाम और पता

महोदय,

50 प्रतिशत से अधिक पिछली निष्पादन सीमा के प्रयोग के लिए घोषणा का फॉर्मेट और आयात/ निर्यात टर्नओवर, अतिदेय, आदि का विवरण

1 ----तारीख को पिछली निष्पादन सुविधा रूट के अधीन हमारे द्वारा प्रयुक्त बकाया फॉरवर्ड कवर का मूल्य हमारे आयात (निर्यात) के लिए पात्रता का ----प्रतिशत है।

2. हम प्रमाणित करते हैं कि इस सुविधा का प्रयोग करते समय पिछले निष्पादन सुविधा के अधीन एक्सपोज़र की हेजिंग के संबंध में सभी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है।

3. हम घोषणा करते हैं कि नीचे तालिका में सूचना हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार सत्य है और फेमा, 1999 (1999 का अधिनियम 42) के अधीन विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमत विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा का प्रयोग करते हुए पिछली निष्पादन सुविधा के अधीन करेंसी हेज के आवेदन के समर्थन में उपलब्ध कराई गई है।

वित्तीय वर्ष	टर्नओवर		पिछले निष्पादन के आधार पर फॉरवर्ड कवर के लिए वर्तमान सीमा	
	निर्यात/ आयात	निर्यात/ आयात	निर्यात	आयात
वर्ष 1				
वर्ष 2				
वर्ष 3				

भवदीय

के लिए

(मुख्य वित्तीय अधिकारी) कंपनी सेक्रेटरी

अनुबंध VIII

(भाग च , पैरा (v))

एफसीवाई / रु. विकल्प लेन देन

(_____ को समाप्त सप्ताह के लिए)

क. विकल्प लेन देन रिपोर्ट

क्र.सं.	कारोबार की तारीख	ग्राहक / प्रतिपक्ष का नाम	कल्पित	विकल्प मांग / विक्रय	चिन्हित करें	परिपक्वता	प्रीमियम	प्रयोजन *

*तुलन पत्र, कारोबार अथवा ग्राहक से सम्बंधित

II. विकल्प स्थिति रिपोर्ट

मुद्रा जोड़ा	कल्पित बकाया		शुद्ध संविभाग डेल्टा	शुद्ध संविभाग गामा	शुद्ध संविभाग वेगा
यूएसडी - रु.	यूएसडी	यूएसडी	यूएसडी		

ईयूआर - रु.	ईयूआर	ईयूआर	ईयूआर		
जेपीवाई - रु.	जेपीवाई	जेपीवाई	जेपीवाई		

(इसी प्रकार अन्य मुद्रा जोड़ों के लिए)

कुल निवल आरंभिक विकल्प स्थिति (रु.) :

कुल निवल आरंभिक विकल्प स्थिति दि. 4 अप्रैल 2003 के ए. पी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 92 में दिए गए तरीके से निकली जा सकती है.

III. संविभाग डेल्टा रिपोर्ट में परिवर्तन

रु. में ($- वृद्धि) हाज़िर में 0.25% के लिए यू एस डी -रु. डेल्टा में परिवर्तन =

रु. में ($- वृद्धि) हाज़िर में 0.25% के लिए यू एस डी -रु. डेल्टा में परिवर्तन =

इसी प्रकार मुद्रा के अन्य जोड़ों में, यथा यूइआर - रु.,जेपीवाई - रु. आदि में (एफ सी वाई वृद्धि तथा कमी) हाज़िर में 0.25%के लिए डेल्टा में परिवर्तन

IV. तय केन्द्रीकरण रिपोर्ट

परिपक्वता समूह

तय कीमत	1 सप्ताह	2 सप्ताह	1 माह	2 माह	3 माह	>3 माह

यह रिपोर्ट वर्तमान तय स्तर के आस पास 150 पैसे की सीमा के लिए तैयार की जानी चाहिए. संचयी स्थिति दी जानी है.

सभी राशियाँ यूएसडी मिलियन में डी जाएँ. जब बैंक ने कोई विकल्प लिया है तो राशि सकारात्मक होनी चाहिए. जब बैंक ने कोई विकल्प बेचा है तो राशि नकारात्मक होनी चाहिए. मार्किट मेकर्स द्वारा सभी रिपोर्टें इ मेल द्वारा भेजी जाएँ. रिपोर्टें हर शुक्रवार को तैयार की जाएँ और आगामी सोमवार को भेजी जाएँ.

अनुबंध IX

(भाग ग, पैरा 5 (अ) देखें)

समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार - _____को रिपोर्ट

राशि (यूएसडी*मिलियन में)

बैंक स्विफ्ट कोड	पिछली तिमाही के अंत में अक्षत टियर I पूँजी	1 जुलाई 2009 के जोखिम प्रबंधन और अंतर बैंक कारोबारपर मास्टर परिपत्र के भाग ग पैरा 5 (ए) के अनुसार उधार	रुपये संसाधन@ की पुन: पूर्ति के लिए उक्त सीमा से अधिक उधार	बाहरी वाणिज्यिक उधार	1 जुलाई 2003 के विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर आइइसीडी के मास्टर परिपत्र तथा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 3/2000- आर बी के अनुसार निम्नलिखित योजना में उधार	
					अ)विदेशी मुद्रा में (पीसीएफसी) पूर्व पोतलदान ऋण देने के	आ) निर्यात बिल विदेश योजना (ईबीआर

					लिए ऋण सहायता	) की पुन: भुनाईदेने के लिए समुद्र पार से बैंकर स्वीकृति सुविधा (बीएएफ)/ ऋण
	क	1.	2.	3.	4अ	4आ
टियर IIपूँजी में सम्मिलित करने के लिए विदेशी मुद्रा में गौण ऋण	अन्य कोई श्रेणी (इस कॉलम में निर्दिष्ट करें)	(1+2+3+6) का जोड़	(1+2+3+4+6) का जोड़	(1+2+3+6) श्रेणियों के अंतर्गत उधार क में टियर I पूँजी की प्रतिशतता	(1+2+3_{+4} +6) श्रेणियों के अंतर्गत उधार क में टियर I पूँजी की प्रतिशतता	
5.	6.	7.	8.	9.	10.	

नोट *रूपांतरण के प्रयोजन के लिए रिपोर्ट करने की तारीख को भरिबैं की सन्दर्भ दर और न्यू यॉर्क की अंतिम दर का प्रयोग किया जाए.

@दि24 मार्च 2004 के ए पी (डी आइ आर श्रंखला)परिपत्र सं.८१ के पैरा 4 के द्वारा सुविधा समाप्त कर दी गयी है.

अनुबंध X

(भाग क, खंड I, पैरा 1 (ii) (I))

पिछले निष्पादन के आधार पर वायदा संविदा की बुकिंग -

दि. _____ को रिपोर्ट

बैंक का नाम -

(यूएसडी मिलियन में)

माह के दौरान स्वीकृत कुल सीमा (1)	संचयी स्वीकृत सीमा (2)	बुक की गयी संविदा की राशि (3)			उपयोग की गयी राशि (दस्तावेज प्रस्तुत करने पर) (4)			वायदा संविदा निरस्त करने की राशि (5)		
		वायदा संविदा	एफसीवाई / रु. विकल्प	विदेशी मुद्रा में किया गया लेन देन	वायदा संविदा	एफसीवाई / रु. विकल्प	विदेशी मुद्रा में किया गया लेन देन	वायदा संविदा	एफसीवाई / रु. विकल्प	विदेशी मुद्रा में किया गया लेन देन

रिपोर्ट की तारीख को पिछली निष्पादन सुविधा का उपयोग क्लारने वाले ग्राहकों की संख्या : _____

नोट :

1. बैंक की पूर्ण स्थिति निर्दिष्ट की जाएगी.
2. कालम 2, 3, 4 और 5 में दर्शाई गयी राशि पूरे वर्ष की संचयी स्थिति होनी चाहिए. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया राशि आगे ले जाई जाए तथा उसे अगले वर्ष की सीमा में माना जाए तथा अगले वर्ष की पात्र सीमा में गिना जाए.

अनुबंध xi

(भाग क, खंड I, पैरा 5 क (i) देखें)

क) अंतर्राष्ट्रीय वस्तु बाजार में वस्तुओं के मूल्य के जोखिम की प्रतिरक्षा

1. एडी श्रेणी I बैंक कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय वस्तु बाजार में किसी भी वस्तु (सोना, प्लैटिनम और चांदी को छोड़कर) के संबंध में मूल्य के जोखिम की प्रतिरक्षा की अनुमति दे सकते हैं.

   रिज़र्व बैंक के पास यह अधिकार होगा कि किसी भी बैंक को दी गई अनुमति, आवश्यक समझी जाने पर, वापस ली जा सकती है.
2. कंपनियों को लेन देनों की प्रतिरक्षा की अनुमति देने से पहले प्राथमिक व्यापारी उनसे बोर्ड संकल्प प्रस्तुत करने को कहेगा, जिसमें यह निर्दिष्ट किया होगा कि i) बोर्ड इन लेन देनों में होने वाले जोखिम से परिचित है, ii) वर्ष के दौरान कंपनियों के द्वारा किए जाने वाले लेन देनों की प्रतिरक्षा का स्वरूप, तथा iii) कंपनी उन्हीं लेन देनों की प्रतिरक्षा करेगी जो मूल्य के जोखिम के अधीन हैं.
3. सूचीबद्ध न की गई कंपनियों को वस्तुओं के आयात/ निर्यात पर मूल्य जोखिम के संबंध में लेन देनों की प्रतिरक्षा से पहले प्राधिकृत व्यापारी उन्हें प्रस्तावित प्रतिरक्षा प्रणाली का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहेगा, यथा :
   - व्यापारिक गतिविधि का ब्यौरा और जोखिम का स्वरूप,
   - प्रतिरक्षा के लिए प्रयोग में ले जाने वाले लिखत,
   - उन वस्तु बाज़ारों और ब्रोकरों के नाम जिनके माध्यम से जोखिम की प्रतिरक्षा प्रस्तावित है और ऋण प्रतिरक्षा का उपयोग किया जाना है.

सम्बंधित देश में विनियामक प्राधिकरण का नाम और पता भी दिया जाए.

- वर्ष के दौरान जोखिम और/ अथवा कुल आवर्त का आकार / औसत अवधि तथा उसकी उच्चतम सीमा और गणना का आधार.

तथा प्रबंधन द्वारा अनुमोदित बोर्ड जोखिम प्रबंधन नीति की प्रति जिसमें निम्नलिखित मदें दी हों :

- जोखिम की पहचान
- जोखिम का आकार
- स्थिति के पुनर्मूल्यांकन तथा / अथवा निगरानी के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और दिशानिर्देश
- उन पदाधिकारियों के नाम और पदनाम जो लेन देन और सीमा के लिए प्राधिकृत हैं

4. यदि प्राधिकृत व्यापारी को किसी लेन देन की वास्तविकता पर संदेह है अथवा यदि कंपनी जोखिम के लिए तैयार नहीं है तो वह उस की प्रतिरक्षा से इंकार कर सकता है. कोई प्राधिकृत व्यापारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रतिरक्षा के लिए अनुमति दे सकता है, जिसकी निगरानी के संबंध में दिशानिर्देश निचे दिए गए हैं. यह स्पष्ट किया जाता है की रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किए गए विशिष्ट लेन देनों के अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में देशी वस्तुओं के मूल्य जोखिम, चाहे देशी मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से सहलग्न हो, की प्रतिरक्षा की अनुमति नहीं है.ग्राहकों को प्रतिरक्षा गतिविधि शुरू करने से पहले आवश्यक सूचना दी जानी चाहिए.

5. एडी बैंक उन कंपनियों के नाम देते हुए, जिन्हें वस्तु प्रतिरक्षा के लिए अनुमति दी गई है तथा वस्तु का नाम देते हुए प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को वार्षिक रिपोर्ट मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक , वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई 400 001 को एक माह के भीतर प्रस्तुत करेंगे.
6. प्रदत्त प्राधिकार के अंतर्गत न लिए गए लेन देनों की प्रतिरक्षा अनुमोदन के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I द्वारा रिज़र्व बैंक को भेजे जाने जारी रखे जाएँ.

अंतर्राष्ट्रीय वस्तु बाजार में लेन देनों की प्रतिरक्षा के लिए शर्तें / दिशानिर्देश

1. प्रतिरक्षा लेन देनों का ध्यान जोखिम पर केन्द्रित होना चाहिए. केवल ऑफ सेट प्रतिरक्षा की अनुमति है.

2. सभी मानक विदेशी मुद्रा फ्यूचर और विकल्प (केवल खरीद) की अनुमति है. यदि जोखिम संविभाग में आवश्यक हो तो कंपनी / फर्म ओटीसी संविदा भी कर सकती है. कंपनी / फर्म विकल्प प्रणाली का संयुक्त रूप से प्रयोग कर सकती है जिसमें खरीद और बिक्री साथ साथ हों, अनबंध XVII दिए गए दिशानिर्देशों के अधीन, प्रत्यक्ष या अन्यथा प्रीमियम न हो. कंपनियों को उसी ब्रोकर के साथ कोई विकल्प स्थिति या विपरीत लेन देन निरस्त करने की अनुमति है.

3. कंपनी / फर्म को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I के पास एक विशेष खाता खोलना चाहिए. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I द्वारा प्रतिरक्षा के सभी भुगतान / प्राप्तियां, बिना रिज़र्व बैंक को सन्दर्भ भेजे, इसी खाते से की जा सकती हैं.

4. कम्पनी के वित्तीय नियंत्रक द्वारा विधिवत पुष्टि की गई / प्रति हस्ताक्षरित माह के अंत की ब्रोकर की रिपोर्ट का सत्यापन बैंक द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि सभी अपतटीय लेन देनों का दस्तावेजी साक्ष्य था.

5. ब्रोकर द्वारा प्रस्तुत आवधिक विवरण की जांच कंपनी / फर्म द्वारा की जानी चाहिए, विशेष रूप से उन लेन देनों के संबंध में, जहाँ समायोजन में देय राशि तथा बुक किए गए लेन देन और बंद की गई संविदा का ब्यौरा दिया गया हो. समायोजन न की गई मदों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए और उनका समायोजन तीन माह की अवधि में कर लिया जाना चाहिए.

6. कंपनी / फर्म द्वारा कोई अंतरपणन / सट्टे वाले लेन देन नहीं किए जाने चाहिए. इस संबंध में लेन देनों पर निगरानी का उत्तरदायित्व प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I का होगा.

7. कंपनी / फर्म द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त वार्षिक प्रमाण पत्र प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I को प्रस्तुत करना होगा. इस प्रमाण पत्र यह पुष्टि की जानी होगी कि सभी निर्धारित शर्तों का पालन किया गया है और यह भी कि कंपनी / फर्म का आंतरिक नियंत्रण संतोषजनक है. आंतरिक लेखा परीक्षा / निरीक्षण के लिए ये प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में रखे जाएँ.

ख) देशी कच्चे तेल शोधन कंपनियों द्वारा पट्रोलियम और पट्रोलियम उत्पाद पर वस्तु मूल्य जोखिम पर प्रतिरक्षा

1. प्रतिरक्षा केवल प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों द्वारा, इस अनुबंध के (क) और (ख) में दी गई शर्तों और दिशानिर्देशों के अधीन की जानी चाहिए.

2. उक्त प्रतिरक्षा सुविधा देते समय प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक यह सुनिश्चित करें कि देशी कच्चे तेल शोधन कंपनियों द्वारा निम्नलिखित मदों का अनुपालन किया जा रहा है :

- बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ जो समग्र ढांचे को परिभाषित करती हैं जिनके अंतर्गत ये गतिविधियाँ होती हैं और जोखिम को कम किया जा सकता है.
- विशिष्ट व्युत्पन्न गतिविधि तथा ओटीसी बाज़ार में कारोबार के लिए कंपनी के बोर्ड की अनुमति ली गई है ;
- बोर्ड के अनुमोदन में प्रतिभूतियों का दैनिक बाज़ार मूल्य की नीति पूरी तरह शामिल होनी चाहिए, प्रतिपक्षों को ओटीसी व्युत्पन्नों की अनुमति आदि; तथा
- देशी कच्चे तेल शोधन कंपनियों द्वारा छमाही आधार पर बोर्ड को ओटीसी लेन देनों की सूची प्रस्तुत करनी चाहिए जो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रतिरक्षा सुविधाएँ जारी रखने की अनुमति से पहले देखि जानी चाहिए.

3. एडी श्रेणी I बैंक दि.2 नवम्बर 2011 के हमारे परिपत्र सं. बीपी.बीसी. 44/21.04.157/2011 -12 द्वारा जारी "डेरिवेटिव्स पर व्यापक दिशानिर्देश" के पैरा 8.3 में निर्दिष्ट ग्राहकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उत्पादों की प्रतिरक्षा के लिए "प्रयोगकर्ताओं के लिए औचित्य" और "उपयुक्तता" सुनिश्चित करें.

अनुबंध XII

अनुमोदन रूट

भारत में निवासी, जो आयात निर्यात या अन्यथा रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर अनुमोदित कारोबार में लगे हैं, अंतर्राष्ट्रीयवस्तु बाज़ार में सभी वस्तुओं के मूल्य जोखिम की प्रतिरक्षा कर सकते हैं. वे फर्म / कंपनियां जो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I के प्रदत्त प्राधिकर में नहीं आती हैं, वे किसी एडी बैंक के अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के माध्यम से वस्तुओं के मूल्य की प्रतिरक्षा के लिए निम्नलिखित ब्यौरा देते हुए विशिष्ट सिफारिशों के साथ आवेदन कर सकती हैं:

1. प्रस्तावित प्रतिरक्षा प्रणाली का संक्षिप्त ब्यौरा, यथा :
   कारोबार गतिविधि का ब्यौरा और जोखिम का स्वरूप,
   प्रतिरक्षा के लिए प्रयोग किए जा रहे प्रस्तावित लिखत,
   वस्तु बाज़ारों और ब्रोकरों के नाम जिनके माध्यम से जोखिम की प्रतिरक्षा प्रस्तावित हैतथा ऋण की अधिकतम सीमा का उपयोग प्रस्तावित है.
   सम्बंधित देश में विनियामक प्राधिकारी का नाम और पता दिया जाए.
   एक वर्ष के दौरान जोखिम का आकार / औसत अवधि तथा उसकी अधिकतम सीमा और गणना का आधार भी बताया जाए.
2. प्रबंध तंत्र द्वारा अनुमोदित बोर्ड जोखिम प्रबंधन नीति, जिनमें निम्नलिखित मदें शामिल हों :
   जोखिम की पहचान
   जोखिम की मात्रा
   अधिकतम सीमा के पुनर्मूल्यांकन तथा / अथवा निगरानी के लिए अपने जाने वाली प्रक्रिया और दिशानिर्देश

लेन देन करने तथा सीमा निर्धारण करने वाले प्राधिकृत अधिकारीयों के नाम और पदनाम

3. कोई अन्य सम्बंधित सूचना.

इस गतिविधि को शुरू करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक बार अनुमोदन के साथ दिशानिर्देश जरी किए जाएँगे.

अनुबंध XIII

(भाग क, खंड II, पैरा 1 देखें)

विवरण - एफपीआइ ग्राहकों द्वारा लिए गए वायदा रक्षा का ब्यौरा

माह -

भाग क - बकाया वायदा रक्षा (दुबारा बुकिंग के बिना) का ब्यौरा

एफपीआइ का नाम

वर्तमान बाज़ार मूल्य (यूएसडी मिलियन)

वायदा रक्षा के लिए पात्रता	बुक की गई वायदा रक्षा		निरस्त की गई वायदा रक्षा		कुल बकाया वायदा रक्षा
	माह के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से तारीख	माह के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से तारीख	

भाग ख - निरस्त और दुबारा बुकिंग के लिए अनुमत लेन देनों का ब्यौरा

एफपीआइ का नाम

वर्ष के आरम्भ में निर्धारित किए अनुसार बाज़ार मूल्य (यूएसडीमिलियन)

वायदा रक्षा के लिए पात्रता	बुक की गई वायदा रक्षा		निरस्त की गई वायदा रक्षा		कुल बकाया वायदा रक्षा
	माह के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से तारीख	माह के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से तारीख	

एडी श्रेणी - I बैंक का नाम :

प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर :

तारीख :

स्टाम्प :

अनुबंध XIV

(भाग च, पैरा (x) देखें)

विवरण - _____ को समाप्त तिमाही के लिए बुक और निरस्त की गई वायदा संविदाओं / विकल्पों का ब्यौरा :

श्रेणी	वायदा संविदा/एफसीवाई- रु. बुक की गई विकल्प संविदा		वायदा संविदा/एफसीवाई-रु. निरस्त की गई विकल्प संविदा	
	तिमाही के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से तारीख	तिमाही के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से तारीख
एसएमई				
व्यक्ति				
फर्म / कंपनी				

एडी श्रेणी - I बैंक का नाम :

प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर :

तारीख :

स्टाम्प :

अनुबंध XV

दि. 29 अक्तूबर 2007 का ए. पी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 15 और दि. 8 अक्तूबर 2015 का ए. पी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 20 (भाग क, खंड I, पैरा 3 (ii) (सी) देखें)

निवासी व्यक्तियों, फर्मों और कंपनियों द्वारा यूएसडी 1,000,000 तक वायदा संविदाओं / विकल्पों की बुकिंग के लिए आवेदन व घोषणा

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

I. आवेदक का ब्यौरा

- नाम _____
- पता _____
- खाता सं. _____
- पैन सं. _____

II. अपेक्षित विदेशी मुद्रा बाज़ार वायदा / एफसीवाई - रु. विकल्प संविदाओं का ब्यौरा

1. राशि (मुद्रा जोड़ा निर्दिष्ट करें) _____
2. आशय _____

III. दि. _____ को बकाया वायदा / एफसीवाई - आइएनआर संविदाओं का अनुमानित मूल्य

IV. वास्तविक / अनुमानित प्रेषण का ब्यौरा

1. राशि :
2. प्रेषण सूची :
3. प्रयोजन :

घोषणा

मैं, _____ (आवेदक का नाम) एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि भारत में _____ (बैंक) की _____ (नामित शाखा) के पास विदेशी मुद्रा वायदा / एफसीवाई - रु. विकल्प संविदाओं का कुल मूल्य यूएसडी 1,000,000/- (एक मिलियन यूएस डॉलर मात्र) है तथा यह प्रमाणित करता हूँ उक्त व्युत्पन्न संविदाएं अनुमत चालू तथा / या पूँजी खाता लेन देनों के लिए बनी हैं. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने किसी और बैंक / शाखा के पास विदेशी मुद्रा वायदा / एफसीवाई - रु. विकल्प संविदाएं बुक नहीं की हैं. मैंने विदेशी मुद्रा वायदा / एफसीवाई - रु. विकल्प संविदाओं को बुक करने में होने वाले जोखिम को समझ लिया है.

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम)

स्थान :

तारीख :

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक द्वारा प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राहक _____

(आवेदक का नाम) के पास पैन सं. _____ है तथा हमारे पास _____ * से उनका खाता सं. _____ है. हम प्रमाणित करते हैं कि वे भारिबैं द्वारा निर्धारित एएम्एल /

केवाईसी मानदंड पूरे करते हैं और उन्होंने अपेक्षित उपयुक्तता जाँच करवा ली है.

प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम और पदनाम :

स्थान :

हस्ताक्षर :

तारीख : स्टाम्प और सील

*माह / वर्ष

अनुबंध XVI

दि. 10 नवम्बर 2008 का ए. पी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 35

(भाग क, खंड I, पैरा 5 देखें)

आपाती साख पत्र / बैंक गारंटी जारी करने के लिए शर्तें / दिशानिर्देश - वस्तु प्रतिरक्षा लेन देन

1. एडी श्रेणी I बैंक प्रेषण प्रदत्त प्राधिकार अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा समुद्रपारीय वस्तु प्रतिरक्षा के लिए विशिष्ट अनुमोदन के अंतर्गत ही बैंक गारंटी / आपाती साख पत्र जारी कर सकते हैं .
2. जारीकर्ता बैंक के पास जोखिम के स्वरूप और सीमा पर बोर्ड की अनुमोदित नीति होनी चाहिए जो बैंक ऐसे लेन देनों पर ले सकता है तथा ग्राहक के ऋण जोखिम का एक भाग होना चाहिए. ऋण जोखिम में वर्तमान परंतुकों के अनुसार पूँजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए प्रदत्त जोखिम भर भी होना चाहिए.
3. आपाती साख पत्र / बैंक गारंटी कंपनी की अनुमोदित वस्तु प्रतिरक्षा गतिविधियों के संबंध में मार्जिन राशि के भुगतान के विशिष्ट प्रयोजन के लिए जारी किया जा सकता है.
4. आपाती साख पत्र / बैंक गारंटी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विशिष्ट प्रतिपक्ष को किए गए मार्जिन भुगतान से अधिक के लिए जारी नहीं किया जाना चाहिए.
5. आपाती साख पत्र / बैंक गारंटी ग्राहक को उपलब्ध (साख पत्र / बैंक गारंटी) गैर निधियां सुविधा पर लियन दर्ज करके अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाना चाहिए.

6. बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समुद्रपारीय वस्तु प्रतिरक्षा के लिए दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है.
7. बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि माह के अंत में दी जाने वाली कंपनी के वित्तीय नियंत्रक द्वारा पुष्टि की गई / प्रतिहस्ताक्षरित ब्रोकर की रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी गई हैं.
8. ब्रोकर की माह के अंत में दी जाने वाली रिपोर्टें बैंक द्वारा नियमित रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापित की जानी चाहिए कि सभी अपतटीय लेन देनों पर दस्तावेजी साक्ष्य है / था.

अनुबंध XVII

समुद्रपारीय वस्तु प्रतिरक्षा के लिए विक्रयों की साथ साथ खरीद और बिक्री की ओटीसी विकल्प प्रणालियों के समूह में प्रयोगकर्ताओं के प्रवेश की अनुमति के लिए शर्तें

प्रयोगकर्ता - सूचीबद्ध कंपनियां और उनकी अनुषंगी / संयुक्त उद्यम /सहयोगी संस्थाएं, जिनका खज़ाना और तुलन पत्र संयुक्त है अथवा वे कंपनियां जो सूचीबद्ध नहीं हैं पर उनकी न्यूनतम निवल संपत्ति 200 करोड़ रु. है

बशर्ते कि

अ) प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उनके सभी उत्पादों का मूल्य उचित हो;

आ) ऐसी कंपनियाँ जो, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों तथा ऐसे उत्पादों / संविदाओं के लिए भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान के लागू अन्य दिशानिर्देशों के साथ साथ विवेकपूर्ण सिधान्तों जो अनुमानित हानि और वसूल न किए गए लाभ की पहचान करती हों,

इ) दि. 2 दिसम्बर 2005 की आइसीएआइ प्रेस विज्ञप्ति में निर्धारित वित्तीय विवरण में किए गए प्रकटीकरण; तथा

ई) जिन कंपनियों की नीति में विशिष्ट खंड हो, जिसमें लागत कम करने के ढांचों के प्रयोग की अनुमति हो.

(नोट : उक्त लेखांकन उपाय ए एस 30 /32 अथवा समकक्ष मानक अधिसूचित होने तक अस्थाई व्यवस्था है)

परिचालनगत दिशानिर्देश और शर्तें

अ) प्रयोगकर्ताओं द्वारा एकल आधार पर विकल्प लिखने की अनुमति नहीं है. तथापि, प्रयोगकर्ता लागत कमी ढांचे के रूप में विकल्प लिख सकते हैं, बशर्ते कि, प्रीमियम की कोई शुद्ध प्राप्ति न हो.

आ) विशेष सुविधा व्यापार ढांचे, डिजिटल विकल्प, बैरियर विकल्प तथा अन्य किसी विदेशी उत्पादों की अनुमति नहीं है.

इ) अवधि पत्र में विकल्पों का डेल्टा विशेष रूप से दर्शाया जाना चाहिए.

ई) अधिकतम कल्पित वाले ढांचे का भाग पूर्वाधिकार संपत्ति के प्रयोजन से दर्शाया जाना चाहिए.

उ) एडी श्रेणी I बैंक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय, यथा निरंतर लाभप्रदता आदि दिखा सकते हैं जो परिचालनों के स्तर और प्रयोगकर्ताओं के जोखिम प्रोफाइल पर निर्भर होगा.

अनुबंध XVIII

अनिवासी आयातक / निर्यातक के संबंध में अपने ग्राहक को जानिए

(केवाईसी) फॉर्म

अनिवासी आयातक / निर्यातक का पंजीकृत नाम (यदि अनिवासी आयातक / निर्यातक एक व्यक्ति है तो उसका नाम)	
पंजीकरण संख्या (यदि अनिवासी आयातक / निर्यातक एक व्यक्ति है तो उसकी विशिष्ट पहचान संख्या*)	
पंजीकरण पता (यदि अनिवासी आयातक / निर्यातक एक व्यक्ति है तो उसका स्थाई पता)	
अनिवासी आयातक / निर्यातक के बैंक का नाम	
अनिवासी आयातक / निर्यातक के बैंक की खाता सं.	

अनिवासी आयातक / निर्यातक के साथ बैंक के संबंध की अवधि	

* अनिवासी आयातक / निर्यातक की पासपोर्ट सं., सामाजिक सुरक्षा सं., अथवा और कोई विशिष्ट सं. जिससे अनिवासी आयातक / निर्यातक का देश प्रमाणित हो सके.

हम पुष्टि करते हैं कि अनिवासी आयातक / निर्यातक के समुद्रपारीय प्रेषण बैंक के द्वारा दी गई उक्त जानकारी सही है.

(एडी बैंक के प्राधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

तारीख :

स्टाम्प : स्थान :

अनुबंध XIX

अनिवासी आयातक / निर्यातक द्वारा किए गए व्युत्पन्न लेन देनों की रिपोर्टिंग - _____ को समाप्त तिमाही के लिए

एडी श्रेणी I बैंक का नाम -

इस सुविधा का उपयोग कर रहे अनिवासी आयातकों / निर्यातकों की सं.		**किए गए व्युत्पन्न लेन देनों की कुल राशि (रु. करोड़ में)**	
आयातक	निर्यातक	वायदा	एफसीवाई विकल्प

अनुबंध XX

अनिवासी आयातक / निर्यातक द्वारा किए गए संदेहास्पद लेन देनों की रिपोर्टिंग - - _____ को समाप्त तिमाही के लिए

एडी श्रेणी I बैंक का नाम -

क्र सं.	अनिवासी आयातक / निर्यातक का नाम	समुद्रपारीय बैंक का नाम (यदि मॉडल I है तो)	निरस्त व्युत्पन्नलेन देनों के साथ किए गए कारोबार लेन देनों की सं. और उनमें लगी राशि	एडी श्रेणी I बैंक द्वारा की गई कार्रवाई

परिशिष्ट

उन परिपत्रों / अधिसूचनाओं की सूची जो जोखिम प्रबंधन और अंतर बैंक कारोबार पर मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए हैं

क्र. सं.	परिपत्र / अधिसूचना	तारीख
1.	अधिसूचना सं. फेमा 25/2000-आरबी	3 मई 2000
2.	अधिसूचना सं. फेमा 28/2000-आरबी	5 सितम्बर 2000
3.	अधिसूचना सं. फेमा 54/2002-आरबी	5 मार्च 2002
4.	अधिसूचना सं. फेमा 66/2002-आरबी	27 जुलाई 2002
5.	अधिसूचना सं. फेमा 70/2002-आरबी	26 अगस्त 2002
6.	अधिसूचना सं. फेमा 81/2003-आरबी	8 जनवरी 2003
7.	अधिसूचना सं. फेमा 101/2003-आरबी	3 अक्टूबर 2003
8.	अधिसूचना सं. फेमा 104/2003-आरबी	21 अक्टूबर 2003
9.	अधिसूचना सं. फेमा 105/2003-आरबी	21 अक्टूबर 2003

10.	अधिसूचना सं. फेमा 127/2005-आरबी	5 जनवरी 2005
11.	अधिसूचना सं. फेमा 143/2005-आरबी	19 दिसम्बर 2005
12.	अधिसूचना सं. फेमा 147/2006-आरबी	16 मार्च 2006
13.	अधिसूचना सं. फेमा 148/2006-आरबी	16 मार्च 2006
14.	अधिसूचना सं. फेमा 159/2007-आरबी	17 सितम्बर 2007
15.	अधिसूचना सं. फेमा 177/2008-आरबी	1 अगस्त 2008
16.	अधिसूचना सं. फेमा 191/2009-आरबी	20 मई 2009
17.	अधिसूचना सं. फेमा 201/2009-आरबी	5 नवम्बर 2009
18.	अधिसूचना सं. फेमा 210/2010-आरबी	19 जुलाई 2010
19.	अधिसूचना सं. फेमा 226/2010-आरबी	16 मार्च 2012
20.	अधिसूचना सं. फेमा 240/2010-आरबी	25 सितम्बर 2012
21.	अधिसूचना सं. फेमा 286/2013-आरबी	5 सितम्बर 2013
22.	अधिसूचना सं. फेमा 288/2013-आरबी	26 सितम्बर 2013

23.	अधिसूचना सं. फेमा 303/2014-आरबी	21 मई 2014
24.	अधिसूचना सं. एफएमआरडी.1/ईडी(सीएस)-2015	10 दिसम्बर 2015
25.	अधिसूचना सं. एफएमआरडी.2/ईडी(सीएस)-2015	10 दिसम्बर 2015
26.	अधिसूचना सं. फेमा 365/2016-आरबी	1 जून 2016
1.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 92	4 अप्रैल 2003
2.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 93	5 अप्रैल 2003
3.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 98	29 अप्रैल 2003
4.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 108	21 जून 2003
5.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 28	17 अक्टूबर 2003
6.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 46	9 दिसम्बर 2003
7.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 47	12 दिसम्बर 2003
8.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 81	24 मार्च 2004
9.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 26	1 नवम्बर 2004

10.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 47	23 जून 2005
11.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 03	23 जुलाई 2005
12.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 25	6 मार्च 2006
13.	ईसी. सीओ. एफएमडी. सं.8/02.03.75/2002-03	4 फरवरी 2003
14.	ईसी. सीओ.एफएमडी.सं.14/02.03.75/2002-03	9 मई 2003
15.	ईसी. सीओ. एफएमडी. सं. 345/02.03.129(नीति)/2003 -04	5 नवम्बर 2003
16.	एफ ई. सीओ. एफएमडी. सं.1072 /02.03.89 /2004 -05	8 फरवरी 2005
17.	एफई. सीओ. एफएमडी. सं. 2/02.03.129 (नीति) /2005 - 06	7 नवम्बर 2005
18.	एफई. सीओ. एफएमडी. सं. 21921 /02.03.75/2005 - 06	17 अप्रैल 2006
19.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 21	13 दिसम्बर 2006

20.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 22	13 दिसम्बर 2006
21.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 32	8 फरवरी 2007
22.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 52	8 मई 2007
23.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 66	31 मई 2007
24.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 76	19 जून 2007
25.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 15	29 अक्टूबर 2007
26.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 17	6 नवम्बर 2007
27.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 47	3 जून 2008
28.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 05	6 अगस्त 2008
29.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 23	15 अक्टूबर 2008
30.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 35	10 नवम्बर 2008
31.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 50	4 फरवरी 2009
32.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 27	19 जनवरी 2010

33.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 05	30 जुलाई 2010
34.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 32	28 दिसम्बर 2010
35.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 60	16 मई 2011
36.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 67	20 मई 2011
37.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 68	20 मई 2011
38.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 3	21 जुलाई 2011
39.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 50	23 नवम्बर 2011
40.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 58	15 दिसम्बर 2011
41.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 63	29 दिसम्बर 2011
42.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 68	17 जनवरी 2012
43.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 122	9 मई 2012
44.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 3	11 जुलाई 2012
45.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 13	31 जुलाई 2012

46.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 21	31 अगस्त 2012
47.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 30	12 सितम्बर 2012
48.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 45	22 अक्टूबर 2012
49.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 86	1 मार्च 2013
50.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 121	26 जून 2013
51.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 2	4 जुलाई 2013
52.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 7	8 जुलाई 2013
53.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 17	23 जुलाई 2013
54.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 18	1 अगस्त 2013
55.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 36	4 सितम्बर 2013
56.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 40	10 सितम्बर 2013
57.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 61	10 अक्टूबर 2013
58.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 92	13 जनवरी 2014

59.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 96	20 जनवरी 2014
60.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 114	27 मार्च 2014
61.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 119	7 अप्रैल 2014
62.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 135	27 मई 2014
63.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 147	20 जून 2014
64.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 148	20 जून 2014
65.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 28	8 सितम्बर 2014
66.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 34	30 सितम्बर 2014
67.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 58	14 जनवरी 2015
68.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 78	13 फरवरी 2015
69.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 90	31 मार्च 2015
70.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 91	31 मार्च 2015
71.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 103	21 मई 2015

72.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 112	25 जून 2015
73.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 20	8 अक्टूबर 2015
74.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 28	5 नवम्बर 2015
75.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 35	10 दिसम्बर 2015
76.	एपी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 78	23 जून 2016

ये परिपत्र फेमा, 1999 तथा उसमें जारी किए गए नियमों / विनियमों / निदेशों / आदेशों / अधिसूचनाओं के संदर्भ में पढ़े जाने चाहिए .

अन्यथा न हो :-

(i) 'अधिनियम' का अर्थ है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (1999 का 42);

(ii) 'प्राधिकृत व्यापारी' का अर्थ है वह व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत है.

अनुसूची

(विनियम 6 देखें)

1. भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार इस अनुसूची में निर्धारित योजनाओं में से किसी के अंतर्गत होगा.
2. इन योजनाओं में से किसी योजना के अंतर्गत उधार के लिए विनियम 6 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के अनुमोदन हेतु आवेदन इन विनियमों के साथ संलग्न फॉर्म ईसीबी में किया जाना चाहिए.
3. विदेशी मुद्रा में उधार अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाले समुद्रपारीय बैंक / निर्यात क्रेडिट रेटिंग एजेंसी / उपस्कर के आपूर्तिकर्ता अथवा विदेशी सहभागी, विदेशी इक्विटी धारक, भारतीय अनिवासी , ओसीबी, कंपनी / संस्थान अथवा अंतर्राष्ट्रीय पूँजी बाज़ार द्वारा किसी भी नाम से बांड, अस्थाई दर के नोट या अन्य कोई ऋण लिखत जारी कर के लिया जा सकता है.
4. उधारकर्ता इन योजनाओं में से किसी योजना के अंतर्गत लिए गए उधार का उपयोग शेयर बाज़ार अथवा भू संपत्ति कारोबार में निवेश के लिए नहीं करेगा.

(i) अल्पकालीन ऋण योजना

अ) वस्तुओं के समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता द्वारा वस्तुओं के आयातक को भारत में वस्तुओं के आयात के लिए दिया गया विदेशी मुद्रा ऋण, बशर्ते कि ऋण की परिपक्वता अवधि 6 माह से अधिक लेकिन तीन वर्ष से कम हो.

आ) भारत में आयातक को भारत में आयात के लिए भारत से बाहर वित्तीय संस्थान अथवा किसी बैंक द्वारा दिया गया विदेशी मुद्रा ऋण बशर्ते कि ऋण की परिपक्वता अवधि तीन वर्ष से कम हो.

(ii) पांच मिलियन यूएस डॉलर योजना के अंतर्गत उधार

किसी भारतीय संस्था द्वारा सामान्य कंपनी प्रयोजनों के लिए पांच मिलियन यूएस डॉलर अथवा उसके समकक्ष विदेशी मुद्रा में तीन वर्ष की न्यूनतम परिपक्वता अवधि के लिए उधार.

(iii) दस मिलियन यूएस डॉलर योजना के अंतर्गत उधार

किसी भारतीय संस्था द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दस मिलियन यूएस डॉलर से अनधिक अथवा उसके समकक्ष विदेशी मुद्रा में उधार :

अ) मूलभूत परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु उधार

(i) मूलभूत परियोजनाएं लागू करने के लिए भारतीय संस्था द्वारा प्रवर्तित किसी अनुषंगी / संयुक्त उद्यम कंपनी में इक्विटी निवेश हेतु वित्तपोषण के लिए उधार बशर्ते कि ऋण की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि तीन वर्ष हो. यदि ऋण एक परियोजना के लिए एक प्रवर्तक संस्था से अधिक संस्थाओं द्वारा दिया जाना है तो सभी प्रवर्तकों द्वारा कुल ऋण दस मिलियन यूएस डॉलर से अधिक न हो.

(ii) किसी भारतीय संस्था द्वारा मूलभूत परियोजना के लिए दिया गया विदेशी मुद्रा ऋण बशर्ते कि ऋण की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि तीन वर्ष से कम न हो.

आ)निर्यातक / विदेशी मुद्रा अर्जक द्वारा उधार

किसी निर्यातक /विदेशी मुद्रा अर्जक को उनकी पिछले तीन वर्ष की वार्षिक विदेशी मुद्रा आय की औसत राशि का तीन गुना विदेशी मुद्रा में उधार, जिसकी अधिकतम राशि दस मिलियन यूएस डॉलर या उसके समकक्ष हो तथा जिसकी न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि तीन वर्ष हो.

इ) दीर्घावधि उधार

सामान्य कंपनी प्रयोजनों के लिए आठ वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि हेतु उधार

(IV) प्रत्यावर्तन आधार पर अनिवासी भारतीयों द्वारा उधार देने की योजना

भारत में किसी निवासी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर रहने वाले अपने किसी निकट सम्बन्धी से निम्नलिखित शर्तों पर विदेशी मुद्रा में 2,50,000 यूएस डॉलर से अनधिक अथवा उसके समकक्ष उधार-

क) ऋण ब्याजमुक्त हो ;
ख) ऋण की न्यूनतम परिपक्वता अवधि सात वर्ष हो ;
ग) अनिवासी उधार कर्ता के एनआरइ / एफसीएनआर खाते में नाम डालकर अथवा सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से फ्री विदेशी मुद्रा आवक प्रेषण द्वारा प्राप्त ऋण की राशि ;
घ) ऋण की राशि का उपयोग उधार कर्ता अपने वैयक्तिक प्रयोजनों के लिए अथवा अपनी सामान्य कारोबार की गतिविधियों के लिए करे लेकिन इसका उपयोग कृषि / बागबानी गतिविधियों, अचल संपत्ति खरीदने अथवा भारत में कंपनियों द्वारा जारी शेयर , डिबेंचर, बांड खरीदने या आगे उधार देने के लिए न किया जाए.

स्पष्टीकरण

'निकट सम्बन्धी' का अर्थ वे सम्बन्धी हैं जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में पारिभाषित हैं.